राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, सोमवार ८ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८ बज कर ४५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री अध्यक्ष— वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे ।

[निम्नलिखित सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण किया :—

१. श्रीमती यशोदा देवी, २. श्री रामनिवास मिर्धा, ३. श्री जयसिंह रानावत, ४. श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, ५. श्री चांदमल मेहता, ६. श्री ब्रजसुन्दर शर्मा ।

श्री हजारीलाल शर्मा का नाम भी श्री सचिव द्वारा पुकारा गया किन्तु वे सदन से अनुपस्थित थे ।]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष— अब प्रश्न पूछे जावेंगे । श्री जुझार सिंह ।

प्रश्न संख्या १

राजस्थान में साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन

श्री जुझार सिंह (वि सं० १०)— क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार के पास साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई योजना है ? यदि है तो वह क्या है और अब तक क्या काम किया जा चुका है ?

(ख) भारतवर्ष में कई राज्यों की सरकारों द्वारा वर्ष की उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है । राजस्थान सरकार के इस विषय में क्या विचार है ?

[श्री जुझारसिंह]

(ग) पुरातत्त्व मन्दिर नामक संस्था राजस्थान सरकार की ओर से काम कर रही है वह कब से संस्थापित है ? अब तक उसमें कितना रुपया खर्च हो चुका है और उसने क्या-क्या कार्य अब तक किये हैं ।

(घ) राजस्थान में रियासतों के समय से चले आ रहे अनेक सरस्वती भंडारों में जो ग्रन्थ अप्रकाशित रक्खे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ? उनको प्रकाशित करने के लिए क्या कोई योजना है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)— (क) साहित्य की उच्च शिक्षा सरकार के सब स्कूलों व कालेजों में दी जाती है। इसके अतिरिक्त संगीत व ललित कलाओं में उच्च शिक्षा देने के लिए सरकार "राजस्थान कला संस्थान" नाम की एक संस्था चलाती है। साहित्यिक संस्थाओं को सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। यह प्रवृत्तियां राजस्थान राज्य के प्रारम्भ से चालू हैं और हजारों विद्यार्थी इनसे लाभ उठा रहे हैं।

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में विचार है कि यह पद्धति अच्छी है।

(ग) सन् १९५० से मन्दिर के प्रकाशन सम्बन्धी कार्य में अब तक ८५८६२।६।६ व्यय हुआ है। इसमें अब तक २८३६ हस्तलिखित दुर्लभ प्राचीन ग्रन्थों का २५७४ मुद्रित संदर्भ ग्रन्थों का संग्रह हुआ है तथा ४२ उच्च कोटि के संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी व प्राचीन राजस्थानी ग्रन्थों का सम्पादन होकर प्रेस में मुद्रण हो रहा है। ५ ग्रन्थों का मुद्रण कार्य समाप्त हो चुका है।

(घ) इस विषय में योजना प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट—

प्रश्न संख्या २

राजस्थान में हाई स्कूलें तथा उनके भवन

श्री जुझारसिंह—Will the Minister Incharge of Education be pleased to state :—

(a) How many new High Schools have been opened in Rajasthan during the last year and where ?

(b) What percentage of the total cost of new buildings had been paid by the Government at places where the accommodation in the old buildings was quite inadeqate ?

[श्री जुझार सिंह]

Does the Government intend to pay some amount towards the construction of a new High School building at Khanpur (District Jhalawar) where the public has contributed about Rs. 40,000 for it and has requested for the help of the Government ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(अ) गत वर्ष दस हाई स्कूलें निम्न स्थानों पर खोली गई :

१. ऋषभदेव, २. मांडलगढ़, ३. गीजगढ़, ४. बोनली, ५. करनपुर, ६. बिलाड़ा, ७. रायपुर, ८. छापर, ६. नारायणपुर, १०. आड़ी।

(ब) सरकार ने इमारत के लिए कोई पैसा नहीं खर्च किया है।

नहीं। इस शर्त पर हाई स्कूल बनाई गई है कि बिल्डिंग का भार जनता पर होगा। करनपुर की पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग को स्कूल के लिए ले लिया गया है। इस बिल्डिंग को बढ़ाने और इसमें रद्दोबदल करने का भार जनता ने अपने पर लिया है। युनिवर्सिटी ने प्रोपर बिल्डिंग नहीं होने से निकोग्निशन नहीं दिया है।

श्री जुझारसिंह—जहां जहां स्कूल खोले गये हैं वहां वहां क्या ये आश्वासन दिये गये थे कि यदि उनके यहां इमारतें बन जावेंगी तो वहां वहां हाई स्कूल खोल दिये जावेंगे ?

श्री भोलानाथ—प्रोपर बिल्डिंग नहीं होने से बहुत सारी जगहों पर हाई स्कूल नहीं खोले गए हैं। जहां-जहां ऐसा किया गया है उन सब स्थानों पर बिल्डिंग बन रही हैं।.

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि सामोद में बिल्डिंग बन चुकी थी फिर भी वहां पर हाई स्कूल नहीं खोला गया ?

श्री भोलानाथ—इस पर विचार किया जावेगा। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं यह जानना चाहता था कि सामोद की जो हाई स्कूल के लिए मांग थी उसके लिए सरकार ने क्या सोचा ?

श्री भोलानाथ—इस सवाल पर अलग से विचार किया जा सकता है। ४० हजार रुपये तक के लिए हमारे पास कोई मामला नहीं आया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मन्त्रीजी सामोद के प्रश्न पर 'हां' या 'ना' में जवाब दें।

(हंसी)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ट्रेनिंग के लिए सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ—ऐसा कोई निर्णय नहीं।

श्री किस्तूरचन्द—जब मांडलगढ़ में बिल्डिंग तैयार है तो फिर वहां कोई हाई स्कूल नहीं खोलने की क्या वजह है ?

श्री भोलानाथ—मांडलगढ़ में दस-पन्द्रह हजार की लागत की बिल्डिंग बनाई गई थी ?

श्री किस्तूरचन्द—ऑलरेडी तैयार है क्या ?

श्री भोलानाथ—तैयार करवाई थी।

श्री किस्तूरचन्द—जब बिल्डिंग तैयार है तो वहां क्यों नहीं खोला गया ?

एक सदस्य—क्या अलवर जिले के हाई स्कूलों के साथ भी यही बर्ताव किया गया ?

श्री भोलानाथ—सब स्कूलों के साथ यही बर्ताव किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में है कि इस प्रश्न पर उनकी गुर्गा पार्टी में काफी असन्तोष है ?

("कोई असन्तोष नहीं" इस प्रकार की राज्य पक्ष की ओर से आवाज)

श्री भोलानाथ—हरगिज नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री शिवदानसिंह।

प्रश्न संख्या ३

सरकार द्वारा शिक्षित पटवारियों के लिए राज्य सेवा की व्यवस्था

महाराज श्री सिवदानसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा शिक्षित पटवारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको नौकरी देने के लिए सरकार के पास स्थान नहीं है ?

(ब) क्या सरकार ने पटवारियों को ट्रेनिंग देने के पूर्व यह नहीं सोचा था कि आवश्यकतानुसार ही व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जावे ?

(स) क्या अब भी सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कुछ सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री) (अ) जितने पटवारियों को सरकार द्वारा ट्रेनिंग दी गई उन सब को स्थान दिये गये हैं सिवाय उनको छोड कर जो कि स्थान विशेष पर रहना चहाते थे और वहाँ स्थान रिक्त नहीं होने के कारण सरकार ने अन्य स्थानों पर भेजना चाहा, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)

(ब तथा स) ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि जोधपुर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल से निकले ट्रेन्ड पटवारियों को बगैर किसी मुआवजा दिये घर भेज दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं जो उत्तर दे चुका हूँ उसमें इसका समावेश हो जाता है क्योंकि उन्हें वहां नौकरी देने के लिए जोर दिया गया होगा जहां स्थान रिक्त थे।

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि लोग नौकरी लेना चाहते थे किन्तु उनको नौकरी दिये बगैर घर जाने के लिए किराया तक नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है।

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जोधपुर पटवारी ट्रेनिंग के व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर खास तौर पर जिन लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, उन लोगों के नाम दिये जावेंगे तो सरकार जांच करावेगी।

श्री हरीकृष्ण व्यास—जोधपुर कमिश्नर दफ्तर से पटवारियों के नाम जानने की कोशिश की जा सकती है, जहां कि उनके रिप्रेजेन्टेशन्स पेन्डिग हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर उनके रिप्रेज़ेन्टेशन्स पेन्डिग है तो उन पर विचार किया जावेगा।

एक सदस्य—क्या यह सही है कि ट्रेन्ड पटवारियो को स्थान नहीं दिये गए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में यह नहीं है, जानकारी की जावेगी।

श्री रावत शम्भूसिंह—सरकार कब तक जानकारी करेगी, क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतावेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सरकार जानकारी करके इसका उत्तर शीघ्र ही भेज देगी।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४

सिरोही मोटर सर्विस का भविष्य तथा उसके कर्मचारियों का एकीकरण

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.6

[श्री जवानसिंह]

(क) सरकार ने सिरोही मोटर सर्विस के भविष्य के बारे में क्या तय किया है ?

(ख) क्या सरकार इसे नेशनेलाइज़ करना चाहती है ?

(ग) इस मोटर सर्विस के नोकर क्या सरकारी नौकरों की तारीफ में माने जाते हैं ?

(घ) अगर हां, तो उनका इन्टीग्रेशन अब तक क्यों नहीं हुआ और नहीं तो क्यां नहीं ?

(विराम)

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री अनुपस्थित हैं ?

श्री अध्यक्ष—Any Minister can reply on his behalf. But it is the Privilege of the House to have the presence of the Minister .

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—It is of course the privilege and it is a convention in every House of the Legislature that if a Minister does not turn up he is taken to task. It is a healthy convention and I hope, as our Rajpramukh has asked us that healthy convntions should be established and this will be established.

श्री अध्यक्ष—I hope the Honble Members will help me in establishing healthy conventions.

(६ बजे प्रातः)

कं. श्री जसवन्तसिंह—Sir, this is the second time and I think the Secretary concernd might be asked to give a reply.

श्री अध्यक्ष—I would not allow this ! Is this the healtby convention you are going to establish in the House ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न बाद में ले लिया जाय ।

कं. श्री जसवन्तसिंह—Sir, something has to be decided. Apart from joking and the light talk that we have been indulging in......

यह काफी सीरियस मामला है ।

श्री अध्यक्ष—I think we should take it in this light that the House takes notice about the absence of a Minister when the question is called. This is a sufficient warning in the first instance.

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तैयार है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ।

श्री जसवन्तसिंह—Too late now.

श्री अध्यक्ष—Only he was watching all the proceedings.

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) (क) सिरोही मोटर सर्विस को सरकार ने अपने अधीन ले लिया है और सर्विस सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

(ग) हां।

(घ) इस सर्विस में सरकार और श्री शिवप्रसाद आचार्य की हिस्सेदारी थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् इसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है इसके नौकरों के एकीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—यह मोटर सर्विस सरकार ने कब अपने हाथ में ली ?

श्री भोलानाथ—तारीख का सवाल नहीं, लेकिन यह सर्विस सरकार ने अपने हाथ में ले ली है।

श्री जवानसिंह—किस तारीख को ली है, यह आप बता सकते हैं ?

श्री भोलानाथ—सन् १९५४ में सरकार ने इस सर्विस में हिस्से लिये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों के इन्टीग्रेशन के सवाल पर सरकार कब तक विचार कर लेगी ?

श्री भोलानाथ—क्योंकि इसमें हिस्सेदारी का भी प्रश्न शामिल है, उसके तय हो जाने के बाद में इनका सवाल भी तय हो जायगा।

कं० श्री जसवन्त सिंह— कब तक यह सवाल हम तय होने की आशा करें ?

श्री भोलानाथ— जल्दी से जल्दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब कि सरकार ने इस कम्पनी को नेशनेलाइज कर लिया है तो उनके कर्मचारियों के इन्टीग्रेशन में क्या रोढ़ा अटक रहा है ?

श्री भोलानाथ— इन्टीग्रेशन के कुछ नियम हैं, तरीके हैं, उनके मुताबिक कार्य होता है; इसमें रोडे अटकाने का सवाल ही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सर्विस को नेशनेलाइज हुए करीब दस साल का अरसा हो चुका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है। इतने अरसे में कर्मचारियों का इन्टीग्रेशन नहीं हो सका तो भविष्य में होने में कितने समय के लगने की सम्भावना है ?

श्री भोलानाथ—जल्दी से जल्दी।

श्री जवान सिंह— इस सर्विस के नेशनेलाइज होने के पूर्व जितने भी कर्मचारी इस कम्पनी में काम करते थे उनको बोनस वगैरह दिया जायगा या नहीं ?

श्री भोलानाथ— नियमानुसार जो सर्विस की कन्डीशन्स होंगी उनके अनुसार जरूर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—This is a totally different question, out of the scope of this qestion.

प्रश्न संख्या ५

राजस्थान पंचायत अधिनियम के नियम तथा उसके अनुसार घेरों तथा क्षेत्रों की सर्वसाधारण को सूचना।

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state :—

(i) Why the rules framed under the Rajasthan Panchayat Act have not been published so far ?

(ii) When the circles and areas of the proposed Panchayats already determined since long are expected to be announced for the information of the general public ?

श्री भोलानाथ— राजस्थान पंचायत एक्ट, सन् १९५३, के अन्तर्गत नियम तैयार हैं। वे विधि विभाग में इस समय विचाराधीन हैं।

२. अभी तक केवल जयपुर व सीकर जिले की रूप-रेखाओं की जांच हो चुकी है और उनका प्रकाशन होने वाला है। अन्य जिलों की रूप-रेखाओं की जांच जारी है और शीघ्र ही वे प्रकाशित कर दी जायंगी।

श्री कानसिंह— क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि यह जांच कब तक चालू रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— दो जिलों में तो जाँच समाप्त हो चुकी है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि काम कितनी तेजी से किया गया है।

Page No.9

श्री हरिकृष्ण व्यास—पंचायतें बनाते समय क्या सरकार जनता के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके फैसला करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—प्रतिनिधि तो अब चुने जायेंगे, इस वक्त किसको प्रतिनिधि माना जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास— अभी अभी जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं या जिनको जिले का विश्वास प्राप्त हो उनको प्रतिनिधि माना जाय, जब तक कि प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो जाता ?

श्री सुखाडिया—जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं और जो दूसरे प्रतिनिधि होंगे उनके भी विचार जाने जा सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार के ध्यान में सिर्फ एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि सारे गांव की तफसील जानते हैं, क्या दूसरों से मालूम नहीं किया जा सकता ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— यह पार्टी विशेष के ऊपर निर्भर करता है जिसमें कांग्रेस के मन्त्री भी हैं, उस पार्टी को वहां की जनकारी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— दूसरी पार्टी के लोगों द्वारा प्रश्न पूछने पर क्या अधिकारियों ने बताने से इन्कार किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या सरकार को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने पर सरकार अधिकारियों को आदेश स्पष्ट तौर से देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— इस पर विचार किया जा सकता है, इतना ही कहा जा सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार पंचायतें बनाने का कब से विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

प्रश्न संख्या ६

खमनोर तहसील में नई प्राथमिक पाठशाला

श्री शिवदान सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खमनोर तहसील में वृहद् राजस्थान बनने के बाद कोई नई प्राथमिक पाठशाला सरकार द्वारा खोली गई है ?

Page No.10

[श्री शिवदानसिंह]

(ख) क्या इस तहसील की जनता ने किसी जगह पाठशाला खोलने के लिए सरकार से कोई मांग की है ?

(ग) क्या आबादी के लिहाज से इस तहसील में मौजूदा स्कूल पर्याप्त हैं ?

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तहसील में ऐसी जातियां निवास करती हैं जो बिना शिक्षा के दलित वर्ग से भी गिरी हालत में हैं ?

श्री भोलानाथ— (क) हां, वृहद् राजस्थान बनने के बाद सरकार द्वारा खमनोर तहसील में निम्न लिखित ८ पाठशालायें खोली गई हैं।

१. शिशोद	१९५०–५१ में
२. कूंतवास	१९५३–५४ में
३. काटार	,, ,,
४. शिशोद	,, ,,
५. सिहाद	,, ,,
६. सेमल	,, ,,
७. सिसली	,, ,,
८. करोली	,, ,,
	,, ,,

(ख) जनता द्वारा मांग की गई और उन्हीं के आधार पर इन ग्रामों में, वृहद् राजस्थान बनने के पश्चात् अन्य तहसीलों के समान ही इस तहसील में भी पाठशालायें खोली गई हैं। यही नहीं सन् १९५१-५२ में उदयपुर डिवीजन में कोई पाठशाला नहीं खोले जाने पर भी स्थानीय अधिकारियों ने जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सिसली और कूंतवास ग्राम में सहायक पाठशालाओं का प्रबन्ध किया।

(ग) खमनोर तहसील की जनसंख्या ९५०९१ है और इस समय वहां पर कुल १९ सरकारी पाठशालायें चलाई जा रही हैं जो अन्य तहसीलों के अनुपात को दृष्टि में रखते हुए इस तहसील के लिये पर्याप्त हैं।

(घ) सरकारी स्कूलों में प्रत्येक जाति के छात्र बिना किसी अड़चन के प्रवेश ले सकते हैं। ऐसी कोई शिकायत इस क्षेत्र से नहीं आई पाई जाती है कि जिससे किसी जाति या वर्ग के बालक शिक्षा विभाग की पाठशालाओं में प्रवेश के लिये वंचित रहे हों।

श्री शिवदानसिंह—इस प्रश्न के (ग) का उत्तर नहीं आया है।

श्री भोलानाथ—आबादी के लिहाज से स्कूल खोले गये हैं और आबादी को ही ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जायेंगे। मौजूदा स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां की आबादी इसके लिए पर्याप्त है।

श्री शिवदानसिंह—यह तो (ग) का उत्तर दिया गया, (घ) का क्या जवाब है ?

श्री भोलानाथ—इन स्कूलों में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों को जाने की कोई मनाही नहीं है।

श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार इस संख्या को पर्याप्त समझती है ?

श्री भोलानाथ—स्कूलों की संख्या तो सारे राजस्थान में ही अपर्याप्त है, जैसा कि यहाँ के पढे लिखे लोगों की संख्या से पता लगता है। स्कूलों की आपके वहां भी आवश्यकता है और सारे राजस्थान में आवश्यकता है।

श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस तहसील में ऐसी जातियां भी निवास करती है जो बिना शिक्षा के दलित वर्ग से भी गिरी हालत में हैं।

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न आप बैकवर्ड क्लास के मन्त्री से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

प्रश्न संख्या ७

उदयपुर जिले में प्राथमिक पाठशालायें

श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला उदयपुर में किन किन तहसीलों में वृहद् राजस्थान बनने के बाद कहां–कहां कितने नये प्राथमिक स्कूल खोले गये ?

(ख) क्या इसका कोई खास कारण है कि खमनोर तहसील में नये स्कूल नहीं खोले जाकर इस जिले की अन्य तहसीलों में शिक्षा की उन्नति की गई ?

श्री भोलानाथ—इसकी सूची आपके पास पहूँचा दी गई है तथा सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८

मेड़ता (जोधपुर डिवीजन) में कूओं तथा तालाबों का खुदवाया जाना

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : क्या मेड़ता के लोग बेरे (कूए) नहीं होने से प्रायः तालाबों का पानी पीने के काम में लाते हैं ?

Page No.12

[श्री भोपालसिंह]

(ख) क्या वहां के तालाब संवत् १९९६ की साल के बाद सरकार द्वारा नहीं खुदवाये गये हैं ?

(ग) क्या वहां की जनता राज्य से तालाबों के बाबत सालाना खुदाई को इमदाद चाहती है ?

(घ) क्या सरकार के पास तालाबों की खुदाई की लिस्ट पेश की गई है ?

(ङ) क्या सरकार लिस्ट मुजब (के अनुसार) या कुछ इमदाद तालाबों के लिये प्रदान करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री) (क) इस इलाके का मैंने दौरा नहीं किया।

(ख) जिन गांवों में बेरे नहीं हैं वहां के निवासी तालाब का पानी पीने के काम में लाते हैं।

(ग) संवत् १९९६ के बाद में सन् १९४८–४९ व १९४९–५० में २८ तालाब खुदवाये गये। सन् १९५१–५२ व १९५२–५३ में ५३ तालाब खुदाये गये। जिन गांवों में तालाब खुदवाये गये उनकी सूची सदन के समक्ष पेश है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(घ) जनता की ओर से तालाबों की सालाना खुदाई के बाबत अभी तक कोई मांग पेश नहीं हुई है।

(ङ) ऐसी कोई लिस्ट एम. एल. ए. द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

(च) स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए, जिनमें तालाबों की खुदाई भी शामिल है, पर्याप्त रकम मन्जूर की जाती है।

श्री भोपालसिंह—क्या जो लिस्ट यदि पेश की जायगी तो उसकी मन्जूरी दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—लिस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास भेजी जानी चाहिये। अपने फन्ड आदि का विचार करके वे जैसा उचित समझेंगे मन्जूर की जायगी।

श्री भोपालसिंह—मैंने जो लिस्ट आपके पास भेजी है उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर वह मेरे पास आयी होगी तो संबन्धित विभाग को भेज दी गई होगी।

Page No.13

श्री संग्रामसिंह—क्या इन बेरे-तालाबों में बारह मास पानी रहता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ६ तथा १०

(उत्तरदाता स्वायत शासन मन्त्री, श्री रामकरण जोशी के अनुपस्थित होने से इन प्रश्नों के उत्तर स्थगित रखे गये।)

प्रश्न संख्या ११

श्री नाथद्वारा में इन्टरमीजियेट कॉलेज की स्थापना

श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को मालूम है कि श्री नाथद्वारा में एक इन्टरमीजियेट कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता है ?

(ख) क्या सरकार के समक्ष वहाँ पर कालेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) (क) अन्य इसी प्रकार के स्थानों के समान वहाँ पर भी आवश्यकता हो सकती है।

(ख) सरकार ने अभी इस बात का कोई निर्णय नहीं किया है कि इस वर्ष इन्टर कॉलेज कहाँ-कहाँ खोले जावेंगे।

(ग) उत्तर 'ख' में आ जाता है।

श्री शिवदानसिंह—क्या आपको मालूम है कि और भी बहुत सी जगह आवश्यकता है ?

श्री रोशनलाल—और यहाँ भी तीन चार वर्ष से इसकी मांग की जा रही है ?

श्री भोलानाथ—जी, ध्यान है।

श्री किस्तूरचन्द—क्या माननीय मन्त्री का शाहपुरा के लिए भी ध्यान है ?

श्री भोलानाथ—अवश्य है। इसका भी नाम इसमें सम्मिलित है।

प्रश्न संख्या १२

टोंक कालेज में साइन्स, बाइलोजी तथा कॉमर्स के विषय

श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री सरदारसिंह]

टौंक कॉलेज में साइन्स, बाईलोजी तथा कॉमर्स के विषय नहीं रखे गये हैं? क्या उनका रखा जाना सम्भव है? अगर है, तो कब तक रखे जाने की आशा की जावे?

श्री भोलानाथ—इन्टर कॉलेज, टौंक, में आर्ट विषय जो कि पिछले दो वर्ष से चालू है अभी तक अस्थायी है और जब तक इसको स्थायी मान्यता नहीं मिल जाती तब तक दूसरे विषयों को खोलने का प्रश्न नहीं उठता। आर्ट विषय को स्थायी मान्यता मिलते ही साइन्स, बाईलोजी व कॉमर्स आदि विषयों को खोलने के प्रश्न पर विचार यथासमय किया जावेगा।

श्री सरदारसिंह—यह मान्यता कब तक मिल जावेगी?

श्री भोलानाथ—इसके लिए युनिवर्सिटी की शर्तें देखने की कृपा करें।

प्रश्न संख्या १३

बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा चाही व उफदाता भूमि का निश्चय

श्री गोपालसिंह—क्या राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि सेटिलमेन्ट अमला अपनी मरजी मुताबिक गिरदावरी कर चाही व उफदाता जमीन बना सकता है?

(ख) क्या यह भी ध्यान में है कि जमीन में अगर कुदरती पैदावार ही २) रु० बीघा की आमदनी है तो दो आना फी बीघा रेट जमीन को उफदाता मान कर लगाया जाता है?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सख्त कदम उठावेगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमंत्री)—(क) नहीं।

(ख) रेट सिर्फ कुदरती पैदावार पर ही कायम नहीं की जाती।

(ग) किसी जगह सेटलमेन्ट रेटस मन्जूरी होने के पहले हरेक को एतराज का मौका दिया जाता है। फिर भी कोई उदाहरण सामने आया तो नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या १४ तथा १५

(उत्तरदाता की अनुपस्थिति के कारण इन प्रश्नों के उत्तर आगे के लिए स्थगित किये गये।)

प्रश्न संख्या १६

मेड़ता हाई स्कूल के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए कमरों का प्रबन्ध

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री भोपालसिंह]

(क) मेड़ता हाई स्कूल में कितने लड़के पढ़ते हैं ?

(ख) क्या लड़कों के लिए पढ़ने के कमरे काफी हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि जगह तंग होने की वजह से एडमिशन के वक्त बहुत से देहाती लड़कों को वापिस जाना पड़ता है ?

(घ) क्या अब सरकार स्कूल में कमरे काफी तादाद में बनाने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) इस समय मेड़ता हाईस्कूल में २२२ छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

(ख) पहले विद्यार्थियों के लिए स्थानाभाव था इसलिए स्थानीय म्युनीसिपल बोर्ड ने दो नये कमरे बनवाकर इस स्थानाभाव की समस्या को दूर कर दिया है। इसके अतिरिक्त अनुमानतः १२०००) रुपये की लागत से दो कमरे और बनवाये जा रहे हैं, जो स्कूल की वर्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त होंगे।

(ग) स्कूल में भरती के लिए किसी छात्र को मना नहीं किया गया और नहीं इस बारे में कोई शिकायत आई है।

(घ) देहाती लड़कों को अपनी तहसील के हाई स्कूल में अवश्य भरती किया जाता है।

(ङ) अभी कोई अवसर नहीं आया जिससे किसी देहाती छात्र को भरती करने से मना किया गया हो।

(च) दो कमरों के बनने के बाद स्कूल की वर्तमान आवश्यकता पूरी हो जावेगी।

भोपालसिंह—माननीय मन्त्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि उक्त स्कूल से पचास लड़कों को स्थान नहीं होने से बाहर निकाल दिया है ? क्या माननीय मन्त्री उनके मामलों पर विचार करेंगे।

श्री भोलानाथ—अवश्य।

प्रश्न संख्या १७

थांवला, तहसील मेड़ता, की स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के कमरों का प्रबन्ध

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) थांवला, तहसील मेड़ता, की स्कूल में कितने लड़के पढ़ते हैं ?

(ख) क्या यहां पर तमाम लड़के देहाती पढ़ते हैं ?

(ग) क्या यहां पर लड़कों के लिए स्कूल में जगह काफी है ?

(घ) यदि है, तो क्या सरकार और मदद देने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) थांवला तहसील मेड़ता के स्कूल में इस समय १८५ छात्र पढ़ते हैं।

(ख) हां, सब ग्रामवासी हैं।

(ग) अभी तक कोई छात्र वंचित नहीं रहा जिसको कि प्रवेश न मिला हो।

(घ) इस समय शाला में स्थानीय छात्रों की संख्या १५० और ३५ छात्र पास के ग्रामों के पढ़ते हैं।

बढ़ते हुये छात्रों के लिए स्थान काफी नहीं है, परन्तु छात्रों को भरती होने से नहीं रोका गया है।

अधिक सहायता प्रदान करने के प्रश्न का विचार आगामी वर्ष के बजट पास होने पर किया जावेगा।

श्री भोपालसिंह—"छात्रों को किसी को ना नहीं दी गई," कहा गया है; तो अगर किसी को ना दी गई हो तो माननीय मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोलानाथ—भरती न करने वाले को सजा देंगे और उन लड़कों को भरती करेंगे।

श्री हरेकृष्ण व्यास—अगर माननीय मन्त्री महोदय की बात गलत निकली तो क्या सजा होगी, इसकी तजवीज आप और कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अगर उनकी गलती हो तो उनको माफ कर दीजिये।

प्रश्न संख्या १८

पटवारियों द्वारा सालाना गिरदावरी व नजरी दर्ज करना

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सालाना गिरदावरी पटवारियों द्वारा की जाती है या गांव के मुखियों को पूछ कर नजरी दर्ज की जाती है ?

(ख) क्या नजरी गिरदावरी करने में यदि एक चक में तीन आसामियों के नाम हैं तो उनके कास्तनी रकबे छांटे जाते हैं ?

(ग) क्या रकबा छांटने के लिए पटवारी को फीस देनी पड़ती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) सालाना गिरदावरी पटवारियों द्वारा मौके पर जाकर मुखियों के सामने की जाती है; नजरी नहीं की जाती।

(ख) क्योंकि गिरदावरी मौके पर जाकर की जाती है, अतः यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) अगर किसी एक चक में एक से ज्यादा काश्तकार हों और उनकी काश्त जुदा-जुदा हो तो उनके काश्त का रकबा अलग-अलग ही दर्ज किया जाता है, इसलिए छांट का प्रश्न पैदा नहीं होता। पटवारी को फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भोपालसिंह—पटवारियों द्वारा गिरदावरी नजरी दर्ज करने का अमल देखने में आता है , क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अर्ज करता हूँ कि गिरदावरी नजरी नहीं की जाती है। अगर इसके खिलाफ कोई वाक्य आप बतावें तो उस पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

श्री भोपालसिंह—तो क्या सरकार इसके लिए कोई इन्क्वायरी बिठा रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इन्क्वायरी के लिए सहयोग दें तो अच्छा है।

श्री भोपालसिंह—अवश्य इसके अन्दर आपको सहयोग दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—थ्रू आउट एन्क्वायरी बिठावेंगे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका यह समझना गलत है; ऐसा नहीं होता।

श्री गोपीलाल यादव—क्या सरकार को यह मालूम है कि रेवेन्यू कोर्टों में ऐसे रोज बरोज फैसले होते हैं कि गिरदावरी गलत है। जिनकी गिरदावरी कोर्टों में गलत बताई जाती है उन पटवारियों की और उस तरीके की आप सब जगह जांच कराइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं नहीं जानता किस कोर्ट के फैसलों से आपका मतलब है ? फैसले ऊपर जाकर बदल भी जाते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—रेवेन्यू बोर्ड के फैसलों में ऐसे बहुत से फैसले आपको मिलेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसे पाँच-सात मामले भी अगर आप बतादें तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊँगा।

श्री अध्यक्ष—यस, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १९ तथा २०

(उत्तरदाता, श्रम मन्त्री, की अनुपस्थिति के कारण इन प्रश्नों के उत्तर आगे के लिए स्थगित किये गये।)

प्रश्न संख्या २१

रीयां (बड़ी) तहसील मेड़ता, के विद्यार्थियों के लिये पाठशाला भवन का उचित प्रबन्ध।

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) रीयां (बड़ी), तहसील मेड़ता, में पिछले साल में लड़कों की संख्या क्या थी और इस साल जनवरी मास में उनकी संख्या क्या है ?

[श्री भोपालसिंह]

(ख) क्या अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने से स्कूल की इमारत बहुत छोटी रह गई है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार नई इमारत बनाने का विचार करेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) संख्या ४ से ८८ तक रही है।

(ख) १३२.

(ग) नहीं।

(घ) हां।

(ङ) उचित विचार किया जावेगा।

श्री भोपालसिंह—यह बात ही गलत कह रहे हैं।

(हंसी)

श्री भोलानाथ—वर्तमान आवश्यकता इसी प्रकार अन्य स्कूलों की है। प्राइमरी स्कूलों के साथ आमतौर से खास रियायत करने का सरकार का इरादा है।

श्री भोपालसिंह—जो कमरा इस स्कूल के लिए है उस कमरे का डाइमेन्शन क्या है ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिए तो नोटिस चाहिये ?

श्री भोलानाथ—दूसरा पृथक कमरा बनाने का सरकार सोच रही है, इसमें तो छपरे का सवाल है। मकान का सवाल है, सभी सवाल हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और उस कमरे में हाईजीन का क्या खयाल रक्खा है ?

श्री अध्यक्ष—This is for the Minister for Medical to reply.

(विराम)

प्रश्न संख्या २२

राजमहल इन्टरमीजियेट कॉलेज, जोधपुर की छात्राओं के लिए बस का प्रबन्ध

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजमहल इन्टरमीडियेट कॉलेज, जोधपुर, में कितनी छात्रायें पिछले वर्ष व इस वर्ष कॉलेज की मोटर बस से आती-जाती थीं और कितनी पैदल अथवा अन्य प्रकार से ?

(ख) पिछले वर्ष मोटर बस की क्या क्या फीसें थीं और कितने रुपये की आय हुई व कितने रुपये खर्च हुये तथा बचत व घाटा कितने रुपये का रहा ; कृपया ब्योरेवार बतावें ?

Page No.19

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(ग) इस वर्ष गत वर्ष से छात्राओं की बस फीस किस हिसाब से कितने-कितने रुपये बढ़ाई गई ? इससे अब बस फीस की कुल आमदनी कितने रुपयों की हुई, कितने रुपये खर्च होंगे तथा बचत कितने रुपयों की होगी ?

(घ) इस कॉलेज में कितनी-कितनी सीटों की कुल कितनी बसें काम में आती हैं ? क्या ये काफी हैं ? अगर नहीं तो और कितनी बसें सरकार और तजवीज कर रही है और कब तक ?

(ङ) क्या सरकार छात्राओं की बस फीस माफ, आधी व कम करने के विषय में सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षामन्त्री)—पिछले वर्ष २५३ छात्रायें बस द्वारा आती-जाती थीं और ११९ छात्रायें पैदल आती-जाती थीं। इस वर्ष २४७ छात्रायें बस द्वारा आती हैं और १७३ पैदल या अन्य प्रकार से आती-जाती हैं।

(ख) गत वर्ष मोटर बस का शुल्क निम्न प्रकार था :—

एक मील की दूरी वालों से डेढ़ रुपया, २ मील की दूरी तक २ रु० ८ आ०, ३ मील की दूरी तक ३ रु० ८ आ०, ४ मील की दूरी तक ४ रु० ८ आ० और ५ मील की दूरी तक ५ रु० ८ आ०।

गत वर्ष की आय ६७६८ रु० १० आ० ६ पा० और खर्च ८९१७ रु० ५ आ० ४ पा० था। इस प्रकार २१४८ रु० ११ आ० ४ पा० का घाटा हुआ।

(ग) इस वर्ष छात्राओं की शुल्क इस प्रकार रखी गई है:—

२ मील की दूरी तक बस का शुल्क ३ रु०, ४ मील की दूरी तक ५ रु० और ५ मील की दूरी तक ७ रुपये।

इस वर्ष होने वाली आय अनुमानतः ८ हजार रुपया होगी और व्यय ९०००) रु० होगा। इस प्रकार १००० रु० घाटा होने की संभावना है।

(घ) इस समय इस कॉलेज में तीन बसें चलती हैं जो कई बार में छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाती है। इनमें से दो बसों में से प्रत्येक में ४० छात्राएँ एक साथ बैठ सकती हैं और तीसरी में ३५ छात्राएँ एक साथ बैठ सकती हैं। इनसे काम चल जाता है। अभी और बसों की आवश्यकता नहीं।

(ङ) सरकार अभी तो ऐसा आर्थिक कारणों से नहीं सोच रही है।

श्री संतोषसिंह—क्या लड़कियों के लिए भी आर्थिक कारण आ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

प्रश्न संख्या २३

बाँसवाड़ा जिले में रसायनिक खाद व अमोनियम सल्फेट का भेजा जाना तथा उसका विक्रय

श्री घूलजी भाई—क्या कृषि (राजस्व) मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गत दो सालों में अर्थात् सन् १९५२ व १९५३ में रसायनिक खाद, अमोनियम सल्फेट आदि बाँसवाड़ा जिले में कितनी तादाद में भेजा गया एवं किसानों को किस भाव से बेचा गया ?

(ख) सन् १९५४ को जनवरी के पहिले हफ्ते में रसायनिक खाद रेलवे आउट एजेन्सी बाँसवाड़ा से कितना छुड़ाया गया ? वह कौन से माह में भेजा गया था एवं कितने टन था ?

(ग) उसके लिए रेलवे किराये के अलावा डेमरेज की रकम कितनी चुकानी पड़ी और अब वह किस भाव से बिक्री की जा रही है।

(घ) क्या राजस्थान के अन्य जिलों में भी बिक्री के भावों में समानता का ख्याल रक्खा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—गत वर्ष में रसायनिक खाद जिला बाँसवाड़ा को निम्न मिकदार में भेजा गया।

सन् ५२-५३ अमोनियम सल्फेट ५ टन और सुपरफोस्फेट १० टन।

इनके बिक्री के भाव निम्न प्रकार के हैं: अमोनियम सल्फेट ४३० रु० प्रति टन के हिसाब से और सुपरफोस्फैट ४४६ रु० प्रति टन की दर से।

(ख) सन् १९५४ जनवरी के प्रथम सप्ताह में २०० टन अमोनियम सल्फेट बाँसवाड़ा आउट ऐजेन्सी से छुड़ाया गया था। फैक्टरी से कन्साइनमेंट २४ नवम्बर, २५ नवम्बर व २ दिसम्बर को रवाना होकर ता० १३ दिसम्बर से ६ जनवरी तक बाँसवाड़ा पहुँचा।

(ग) यह खाद ३८० रुपये प्रति टन की दर से बेचा जा रहा है। उसमें डेमरेज शामिल नहीं है। इसके लिए रेलवे ने गलती से ६७२९ रु० १ आ० डेमरेज वसूल किया है। जल्दी से माल छुड़ाने की वजह से यह रुपया फिलहाल जमा करा दिया गया था। इसकी वापसी वसूली के लिए कार्यवाही जारी है।

(घ) हाँ। इस साल रसायनिक खाद का तमाम राजस्थान में एक ही भाव निर्धारित किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या इस डेमरेज के लिए रेलवे जिम्मेदार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वापसी की माँग की गई है। रिफण्ड वापिस मिल जाने की आशा है।

श्री हरिदेव जोशी— क्या यह सही है कि इसके लिए कई बार टेलिग्राम और टेलीफोन द्वारा सूचना दी गई थी कि इसकी मन्जूरी दी जाय, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी सूचना अवश्य दी गई थी जिस पर ध्यान दिया गया था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह खाद सभी जगह ३८० रुपये प्रति टन के भाव के बेचा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—शायद इस बारे में आपका अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या २४ तथा २५

(उत्तरदाता की अनुपस्थिति के कारण इन प्रश्नों के उत्तर आगे के लिये स्थगित हुए)

प्रश्न संख्या २६

भावी, पीपाड़ इत्यादि में हाई स्कूलें बनाना तथा भवन बनाना

श्री संतोषसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;—

(क) भावी, पीपाड़ सिटी व भोपालगढ़ की मिडिल स्कूलों को सरकार हाई स्कूलें कब तक बनवायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) विलाड़ा, भावी, पीपाड़ सिटी व भोपालगढ़ की स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कितने-कितने और कमरों के बनवाने की आवश्यकता है ?

(ग) सरकार इन कमरों की कमी को कब तक पूरा कर देगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) बिलाड़ा में जो इस वक्त हाई स्कूल बनी है उसमें साइन्स, कॉमर्स, संस्कृत व ड्राइङ्ग की कक्षाएं कब तक खुल जावेंगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री) (क) राजस्थान की अन्य स्कूलों के साथ-साथ इन पर भी विचार किया जायगा।

(ख) बिलाड़ ७, भावी ८, । पीपाड़ में पाठशाला किराये के मकान में है। यहाँ वालों ने इमारत देना स्वीकार किया है। आशा है जल्दी ही मिल जायगी। भोपालगढ़ में भी लोगों ने इमारत देना स्वीकार किया है।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है; जनता से भी अपील की गई है।

(घ) यहां पर विज्ञान और कॉमर्स के विषय पहले से ही खुले हुये हैं। बाकी आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री जसवन्तसिंह—आप जनता से किस प्रकार के सहयोग की आशा रखते हैं ?

श्री भोलानाथ—मकान बनवाने की।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मकान बनवाने का कर्त्तव्य सरकार का नहीं है, जो जनता से सहायता चाहती है?

श्री भोलानाथ—सरकार का भी कर्त्तव्य है, फिर भी जनता का सहयोग मांगा गया है।

श्री जसवन्तसिंह—यदि जनता किसी कारणवश पैसा नहीं दे सके, तो क्या सरकार इमारत नहीं बनवायेगी?

श्री भोलानाथ—जनता ने काफी सहयोग दिया है और देना चाहती है। इसलिए सरकार सहयोग लेती है।

श्री जसवन्तसिंह—यदि किसी कारणवश जनता द्वारा पैसा नहीं दिया जायगा तो सरकार की क्या नीति रहेगी।

श्री भोलानाथ—ऐसी हालत में सरकार बनवायेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत सरकार से जो रकम मिल रही है उससे पुलिस स्टेशन नहीं बनवाकर स्कूलें बनाई जावें तो क्या सरकार जल्दी तरक्की नहीं कर सकती?

श्री भोलानाथ—वह रकम इस काम के लिये नहीं दी गई है।

श्री हरकृष्ण व्यास—वह एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिये दी गई है।

श्री भोलानाथ—पुलिस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आवश्यक है।

श्री जसवन्तसिंह—जहां-जहां स्कूलों की मांग की जाती है वहां के लिये जवाब दिया जाता है कि मकान जनता द्वारा बनाया जाना चाहिये, तो क्या सरकार की यही नीति तय हुई है?

श्री भोलानाथ—नहीं, ऐसी नीति नहीं है। पिछले साल कई मकान बनाये गये हैं। जिन मकानों को पब्लिक बनाती है उन्हें भी सहायता देने की कोशिश की जाती है।

श्री जसवन्तसिंह—इस साल सरकार द्वारा कितने मकान बनाये गये, हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के लिये?

श्री भोलानाथ—यदि इसका नोटिस देंगे तो मैं पूरी सूचना दूंगा।

श्री हरिकृष्ण : क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार ने ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

प्रश्न संख्या २७

भिलाड़ा तहसील के कुछ गाँवों में प्राथमिक पाठशालाएँ खोलना

श्री सतोषसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री संतोषसिंह]

(क) क्या सरकार तहसील बिलाड़ा के निम्नलिखित बड़े-बड़े गांवों में जहां अभी तक भी प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं जल्दी ही सरकारी प्राइमरी पाठशालायें खोलने का इन्तजाम करेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं :—

१ पीपाड़ सिटी के पास उचिपाड़ा बस्ती, २ कापड्डा, ३ रामपुरिया, ४ हरियारा, ५ जाटियाबास, ६ बारी, ७ कालुना, ८ रावनायाना, ६ चिरडानी, १० सावला खुर्द, ११ बुचकला, १२ चाँडेलाव, १३ रावर, १४, जालना, १५ सोवनिया, १६ जालीवाडा खुर्द, १७ कुंड ।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—इस प्रकार के अन्य गांवों में पाठशालाएं खोलने के प्रश्न के साथ इन गांवों में भी पाठशालाएँ खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

प्रश्न संख्या २८

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को बोरिंग तथा ब्लास्टिंग की तकावी के लिये रुपया

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को लगभग दस लाख रुपया बोरिंग व ब्लास्टिंग की तकावी के लिए मोजूदा साल में दिया है ?

(ब) क्या यह रकम दूसरे हेतु, अर्थात् मशीनरी वगैरह में खर्च की जा रही है ?

(स) अगर हाँ, तो क्यों और नहीं तो कहाँ खर्च की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—नहीं, इससे केवल मशीनरी खरीदी जायगी ।

श्री जवानसिंह—क्या केवल तकावी के लिये यह रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तकावी के लिये रुपये अलग हैं, ये तो केवल मशीनों के लिये हैं ।

श्री हरिकृष्ण—क्या-क्या मशीनें खरीदी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जवानसिंह—क्या मशीनें खरीदने के लिये लिये गये टेंडर्स कैंसिल हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ ।

श्री हिम्मतसिंह—कितनी मशीनें खरीदी जायेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब खरीदी जा चुकें तब यह प्रश्न पूछें तो उचित रहेगा ।

श्री हिम्मतसिंह—अन्दाजा तो होगा कि १०० या ५० मशीनें खरीदी जायेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार का इरादा कितनी मशीनें खरीदने का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब कुछ फाइनल हो जाय उस समय पूछें तो अच्छा हो।

श्री जवानसिंह—क्या आपने टेन्डर्स माँगने से पहले इस बारे में कुछ निश्चय नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फाइनेलाइज हुए बगैर जानकारी देना उचित नहीं होगा।

श्री जवानसिंह—आपने पूरा इरादा किये बगैर ही टेन्डर्स कैसे कॉल कर लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सिर्फ कम्प्रेसर के बारे में कहा जा सकता है कि अनुमानतः २२,२४ खरीदे जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सामान कंट्रोलर जनरल ऑफ स्टोर्स, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से नहीं खरीदा जा सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि उपलब्ध हो सके तो पुरानी बातों को देखते हुए वहाँ से खरीदना क्या आप ठीक नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री जवानसिंह—क्या आपको डेमेजेज़ नहीं देने पड़ेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ?

प्रश्न संख्या २६

श्री अध्यक्ष—Question No. 29 is postponed.

प्रश्न संख्या ३०

तहसील बिलाड़ा में प्राइवेट तथा सरकारी प्राथमिक कन्या पाठशालाएँ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार तहसील बिलाड़े के निम्नलिखित बड़े-बड़े गाँवों में जहाँ अभी तक भी सरकारी व प्राइवेट प्राइमरी कन्या पाठशालायें नहीं हैं जल्दी ही सरकारी प्राइमरी कन्या पाठशालायें खोलने का इन्तजाम करेंगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

[श्री सन्तोषसिंह]

१ भावी, २ पीपाड़ सीटी, ३ भोपालगढ़, ४ साथीण, ५ खेजड़ला, ६ कोसाणा, ७ बुचकला, ७ चान्देलाव, ६ खारिया मीठापुर, १० बोरूंदा, ११ हरियाडाणा, १२ रणसीगाँव, १३ बालो, १४ मालकोसणी, १५ कुरी, १६ सालवा खुर्द, १७ चिरडाणी।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—इस प्रकार के अन्य बड़े-बड़े गाँवों में कन्या पाठशालाएँ खोलने के प्रश्न के साथ-साथ इन गाँवों पर भी विचार किया जायगा। इन गाँव वालों की ओर से सुविधा मिलने पर व आर्थिक सहायता दी जाने पर इन गाँवों को प्राथमिकता भी दी जा सकती है।

प्रश्न संख्या ३१

राजमहल गर्ल्स इन्टरमीजियेट कॉलेज जोधपुर के लिये महिला लेक्चरार्स का उचित प्रबन्ध।

श्री सन्तोषसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजमहल गर्ल्स इन्टरमिडियेट कॉलेज जोधपुर में गत वर्ष कितनी लेडी लेक्चरार्स अथवा लेडी टीचर्स थीं और कितनी और की जरूरत थी? इस वक्त वे कितनी हैं तथा कितनी और की जरूरत है?

(ख) इन्टर की कक्षाओं के लिए गत वर्ष व इस वर्ष कितनी लेडी प्रोफेसर थीं और हैं? और कितनी की जरूरत थी और है?

(ग) कौन-कौन सी लेडी लेक्चरार्स व टीचर्स गत वर्ष व इस वर्ष किस-किस मास में कितने-कितने दिनों की अथवा महीनों की छुट्टी पर रहीं?

(घ) इनके इस तरह छुट्टी चले जाने पर खाली जगह की पूर्ति किस प्रकार की गई; अथवा छात्राओं की पढ़ाई का अमूल्य समय बगैर पढ़ाई के ही बीता?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) राजमहल गर्ल्स कॉलेज में गत वर्ष व इस वर्ष प्रिन्सिपल सहित ६ लेडी प्रोफेसर और २५ लेडी टीचर्स हैं। अधिक अध्यापिकाओं की आवश्यकता नहीं है।

(ख) इन्टर की कक्षाओं के लिये गत वर्ष प्रिन्सिपल सहित ६ लेडी प्रोफेसर हैं और अधिक प्रोफेसरों की आवश्यकता नहीं है।

(ग) श्रीमती एस० डी० भटनागर लेक्चरार लोजिक व श्रीमती एल० एस० पीयर्स व कुमारी एस० के० बसवानी निम्न प्रकार एक मास से अधिक अवकाश पर रहीं:—

१. श्रीमती भटनागर ७-४-५३, से ९-५-५३,

२. श्रीमती एल० एस० पीयर्स ६-३-५३ से ११-४-५३,

Page No.26

[श्री भोलानाथ]

३. कुमारी एस० के० असवानी ५-६-५३, से ५-११-५३.

(घ) कुमारी असवानी के रिक्त स्थान पर कुमारी एस० सविदसानी की अस्थाई नियुक्ति की गयी थी। नम्बर १ व २ का छुट्टी के सिलसिले में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया; क्योंकि उस समय इन्टर तथा हाई स्कूल कक्षाओं की परीक्षाएँ हो रही थीं और उनके स्थान रिक्त होने से छात्राओं की पढ़ाई पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। श्रीमती भटनागर के अवकाश काल में तो परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी थीं। इनके अतिरिक्त कोई ऐसी अध्यापिका नहीं थी जिसने एक साथ दस रोज से अधिक छुट्टी ली हो

श्री खेत सिह—क्या सरकार को यह मालूम है कि प्रश्नकर्त्ता की एक नहीं ७ बच्चियाँ इस इन्स्टीट्यूशन में शिक्षा पा रही हैं और लेडी लैक्चरार्स के छुट्टी में जाने से २ फैल हो गई हैं।

(हँसी की लहर)

श्री अध्यक्ष—The allegations have been accepted.

प्रश्न संख्या ३२

गंगानगर जिले में अमोनियम सल्फेट के क्रय-विक्रय के भाव

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार को अमोनियम सल्फेट किस भाव पर मिल रही है और वह गंगानगर जिले में किस भाव पर बेची जा रही है ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार इस खाद को पड़ोसी राज्य पंजाब के भाव पर बेचने को तैयार है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) राजस्थान सरकार को अमोनियम सल्फेट अब २७०) रु० प्रति टन की दर से मिलता है और ३८०) रुपया प्रति टन के भाव से कुल रियासत में बेचा जा रहा है।

(ख) नहीं। रेल का खर्च व अन्य इन्डीविज्युअल चार्जेज़ में समानता न होने के कारण राजस्थान व पन्जाब में अमोनियम सल्फेट के रेट भिन्न-भिन्न हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—क्या सरकार जांच करायेगी कि रेट्स इतने ज्यादा चार्ज नहीं किये जा सकते क्योंकि रेलवे व अन्य इन्डीविज्युअल चार्जेज़ का इतना खर्चा नहीं आता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी जांच की गई है, राजस्थान में यही भाव रखने का यही कारण है कि इससे कम रेट में नहीं दिया जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—इस पर जो रेल्वे चार्जेज़ आदि का खर्चा राजस्थान में पड़ता है पन्जाब में भी तो यह सब खर्च पड़ता है, फिर वहाँ सस्ता कैसे दिया जाता है ?

Page No.27

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पन्जाब की बनिस्पत राजस्थान में निश्चित तौर से ज्यादा खर्चा पड़ता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—साँभर से जो एमोनियम सल्फेट लिया जाता है तो क्या इस लिहाज से राजस्थान को रियायत नहीं मिल सकती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रियायत का यहां कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ३३

नरसिंहपुरा, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में विद्यार्थियों के लिये अध्यापकों का उचित प्रबन्ध

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नरसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर, की स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ?

(ख) स्कूल में पढ़ाने के लिये कितने अध्यापक हैं ?

(ग) उनकी योग्यता क्या-क्या है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—इस प्रश्न का जो नोटिस आया था उसमें और जो प्रिंट किया गया है उसमें फरक रहा है। प्रश्न ओरिजिनल यह था कि:—

'नरसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर, स्कूल की छठी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं ?'

जवाब इतना है:—

छठी क्लास में ७ विद्यार्थी हैं।

पूरे स्कूल में पढ़ाने के लिये ३ अध्यापक हैं। उनकी योग्यता यह है कि वे मिडिल हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—छठी क्लास को वे मास्टर क्या पढ़ायेंगे जो कि खुद मिडिल तक पढ़े हुए हैं ?

श्री भोलानाथ—आठ जमात तक पढ़े हुए भी पढ़ा सकते हैं।

श्री एच० के० व्यास—On a point of order, Sir, the question which has been printed and entered in the Order Paper for today, is that authorised question or any other question Which the Hon'ble member replies ?

श्री अध्यक्ष—The question that has come. There is on point of order It goes without saying that the list of question that is printed is the only authentic list.

श्री एच० के० व्यास—Then he has answered only for Class VI.

श्री अध्यक्ष—No, you were not attentive. He has answered.

श्री एच० के० व्यास—I think......

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या राजस्थान में छठी जमात को पढ़ाने के लिए आठवीं जमात पास मास्टर ही रखे जायेंगे।

श्री भोलानाथ— ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इतनी योग्यता वाला ही मास्टर रखा जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास— इस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ? इसकी पूरी संख्या बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष— ऑर्डर, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४

जिला गंगानगर में सन् १९५३-५४ में खोली गई पाठशालाएं

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सन् १९५३ व ५४ में कितने नये स्कूल खोले गये ?

(ख) जिला गंगानगर में कितने स्कूल और किस हिसाब से खोले गये ?

(ग) अगर जिला गंगानगर में दूसरे जिलों से कम स्कूल खोले गये तो क्यों ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)— (क) कुल १२४३ नये स्कूल खोले जा चुके हैं।

(ख) ५५ नये स्कूल खोले गये हैं।

(ग) कमी का कोई सवाल पैदा होता नहीं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— गंगानगर में हाई स्कूल कितने खोले गये ?

श्री भोलानाथ— कोई नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया— राजस्थान में सन् १९५३-५४ में कितने नये स्कूल खोले गये ?

श्री भोलानाथ— १२४३ ।

श्री कंवरलाल जेलिया— मुझे डिवीजनवाइज चाहिए।

श्री भोलानाथ— इसके लिए आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह— माननीय अध्यक्ष, हमारे विपक्ष की तरफ देखने में आया है कि एक तरफ तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने और हमारे पीछे से कॉम्युनिस्ट भाइयों ने ट्रेसपास कर लिया है। संयुक्त दल के लिए क्या स्थिति है ? कोई स्थान है कि नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास— जहां तक कांग्रेसजनों का ताल्लुक है कोई ऐसा कब्जा नहीं किया गया है जिससे विपक्ष के दल को जगह नहीं मिले। कम्युनिस्टों से उनकी नई दोस्ती है तो उसे निभाना चाहिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह रजिस्ट्रेशन किया है, वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—That is a trap laid down for you.

महारावल श्री संग्रामसिंह का त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष—I have to inform the House that under Article 190, read with Article 235 of the Constituion of India, Maharawal Shri Sangram Singh, a member of the Rajasthan Legislative Assembly, from Amber 'B' Constituency, has sent to me his reignation of his seat in the assembly with effect from 1st March 1954.

(विराम)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष— सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :—

श्री विजय सिंह (वि. सं. १५८)	दिनांक ८-३-५४ से १२-३-५४ तक।
श्री माधो सिंह (वि. सं. ८६)	,, ५-३-५४ से सत्र की समाप्ति तक
श्री बद्री प्रसाद (वि. सं. ६)	,, ५-३-५४ से सत्र की समाप्ति तक

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

कार्य-सूची में शेष रहे प्रश्नों सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास— दूसरा कार्य शुरू होने से पूर्व जो प्रश्न आज पोस्टपोन हुए हैं...

श्री अध्यक्ष—They will come on the next turn. You should not be so impatient as to interrupt the business of the House.

विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा श्रीमन् राजप्रमुख की अनुमति

सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)—Sir, I lay on the table of the House a statement showing-the Bills which were passed by the Assembly and have been assented to either by the President or by His Highness the Rajpramukh.

Bills assented to by the President.

1. The Rajasthan Panchayat Bill, 1952.
2. The Rajasthan Land Acquisition Bill, 1952.
3. The Rejasthan Stamp Law (Adaptation) Bill, 1952.
4. The Rajasthan Maternity Benefit Bill, 1952.
5. The Indian Registration (Rajasthan-Amendment) Bill, 1953.
6. The Rajasthan Laws Repealing Bill, 1953.

Bills assented to by H. H. the Rajpramukh.

1. The Rajasthan Agricultural Income Tax Bill, 1952.
2. The Rajasthan Land Summary (Settlement Bill, 1952.)
3. The Rajasthan Stamp Law Adaptation (Amendment) Bill, 1953.
4. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1953.
5. The Rajasthan Produce Rents Regulating (Second Amendment) Bill, 1953.
6. The Rajasthan Lands Special Irrigation Charges Bill, 1953
7. The Rajasthan District Boards Bill, 1953.

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव तथा सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद विवाद ।

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमद् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। प्रस्ताव अंग्रेजी जुबान में इस तरह हैं।

"That the Members of the Assembly assembled in this Session are deeply grateful to H. H. the Rajpramukh for the Address which he has beon pleased to deliver to the house."

"सदन के सदस्य श्रीमान् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये बहुत आभारी हैं," यह प्रस्ताव में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिये जो उत्साह मुझे हुआ था उसके दो-तीन मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कानून और व्यवस्था के सुधार में जो बातें कही गई हैं, दूसरी बात राजस्थान सरकार की आर्थिक व्यवस्था के सुधार में जो बातें कही गई है और फिर टीनेन्सी के सुधार में और इसके साथ-साथ विकास के संबंध में जो बातें कहीं गई हैं, इसके लिये श्रीमन् राजप्रमुख हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं।

आज से एक वर्ष पहले जब हम श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद कर रहे थे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि सदन में चारों तरफ से और खास तौर से सदन के उस और बैठने वालों की तरफ से यही आवाज निकलती थी कि सरकार दूसरे कार्यों को रोक दे, लेकिन कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिये जितने पैसों की जरूरत हो खर्च करे और हमारे यहां कानून और व्यवस्था कायम की जावे। उस वक्त कई सदस्यों ने यह भी कहा था कि स्कूलें ठहर सकती हैं, होस्पिटल्स रोके जा सकते हैं, मगर कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिये पुलिस के लिये जितने साधनों की आवश्यकता हो, दिये जावें। उस वक्त राजस्थान में और खास तौर से राजस्थान के उन इलाकों में जो रेगिस्थान में आये हुए हैं और अरावली के नीचे हैं वहाँ पर कानून और व्यवस्था का इन्तजाम इस तरह से बिगड़ रहा था कि कई लोग राजस्थान छोड़कर बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे। आज एक साल के बाद जब कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, यदि हम स्थिति को देखें तो आज सदन के हर एक सदस्य को इस बात को मंजूर करना होगा कि कानून और व्यवस्था में सुधार एक साल में जो हुआ है वह एक ऐतिहासिक चीज है, इसके लिये सरकार को मुबारिकबादी दी जावे। सरकार ने कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिये कई डाकू मारे, कई गिरफ्तार किये और कई डाकुओं ने स्वयं आकर अपने आपको समर्पित तक कर दिया है। मैं सरकार की उस नीति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें यह बतलाया गया है कि ३८ डाकुओं ने अपने आपको सरकार के समक्ष समर्पित किया, ३७ डाकू गोली से उड़ा दिये गए गये और ४८३ डाकू गिरफ्तार किये गये। इन आंकड़ों को देख कर आप यह महसूस करेंगे कि सरकार और हमारे चीफ मिनिस्टर ने इन लोगों को बसाने के लिये साकडा में जो कुछ किया है, यदि उसमें कामयाबी हुई तो और भी कई राजस्थानी जो गुमराह होकर डकैतियों में लग गये थे वे उसे छोड़कर अच्छे नागरिक बन जावेंगे। ३८ डाकुओं के लिये जो सरकारी नीति बरती जा रही है वह ठीक है। इसलिये मुझे सदन के सामने इस बात

[श्री मथुरादास माथुर]

को कहने में कतई संकोच नहीं है कि राजस्थान के पुलिस विभाग ने जहां तक उसका संबंध डाकुओं को गिरफ्तार करने से और अमन-चैन कायम करने से है, काफी काम किया है। हो सकता है कि पुलिस विभाग के बारे में और उसके भद्दे कारनामों के बारे में अलग टीपा-टिप्पणी हो सकती है, लेकिन जहां तक डाकुओं का संबंध है उनका कार्य सराहनीय है और श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में खास तौर से पुलिस के उन कर्मचारियों के लिये जो अमन-चैन कायम करने में मारे गये हैं, उनके घर वालों को जो समवेदना दिखाई गई है, बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। इसके साथ-साथ श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में यह भी है कि पुलिस विभाग के लिये अच्छे से अच्छे तथा नये यन्त्र-तंत्र हैं तथा पुलिस को इस तरह से नये यन्त्रों-तन्त्रों से इक्विप किया गया है कि हिन्दुस्तान की कोई भी अच्छी पुलिस के मुकाबले में हमारी पुलिस सुगमता से खड़ी हो सकती है। (विरोधी दल की ओर से 'हिअर-हिअर' की ध्वनि) इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस अर्से में २४६१ विलेज डिफेन्स सोसाइटीज जनता के सहयोग से कायम की गई हैं तथा और भी ज्यादा तादाद में विलेज डिफेन्स सोसाइटीज़ कायम होंगी, जिससे वे अपना काम करेंगी तथा इससे सरकार का काम भी हल्का होगा और जनता को भी राहत मिलेगी। इसलिये मेरे विचार में यह आया कि राजप्रमुख के अभिभाषण में कानून और व्यवस्था के साथ-साथ जो-जो अन्य बातें कही गई हैं उन सबके लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये इस प्रस्ताव को आपके सामने मैं पेश करूं।

इसके साथ-साथ जब एक साल पहले श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण हुआ था उस वक्त हमारे यहाँ की आर्थिक हालत इस तरह से गिरी हुई थी कि हम सब लोग यहां सोच रहे थे कि यदि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कोई न कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे आर्थिक संकट दूर हो सके तो यह हालत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। लेकिन एक साल के बाद हम यह देखते हैं और तसल्ली से कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सोचनीय नहीं है। हमारी आर्थिक हालत बहुत ठीक हो रही है। जो बजट पेश होगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है कि सरकार ने जिस तरह से गेडगिल कमेटी में राजस्थान का केस रखा था और गेडगिल कमेटी से रुपया मिला है तथा भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन आदि से जो रुपया मिला है उसको देखते हुए श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये उनको धन्यवाद देना लाजमी है।

इसके साथ-साथ एक बात मैं आपके सामने इस सिल-सिले में जो अर्ज करना चाहता हूँ, वह यह है कि प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजना में पहले १, ६८१) लाख रुपये मुकर्रर किये गये थे। राजस्थान सरकार के प्रयत्नों से ये आँकड़े बढ़ा दिये गये और २२६७ लाख रुपये हमें पंच वर्षीय योजना के लिये मिले। इन रुपयों की बढ़ोतरी से हमारे यहाँ सिंचाई और दूसरी विकास योजनाओं में मदद मिली है जिससे हमारी जनता का और राजस्थान का फायदा होगा। इसके साथ-साथ प्लानिंग कमीशन

[श्री मथुरादास माथुर]

की पंचवर्षीय योजना के अलावा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेन्शन ब्लोक्स जो एक साल भर में हमारे यहाँ बड़े हैं और जिनके आंकड़े राजप्रमुख के अभिभाषण में दिये गए हैं इससे लाखों की तादाद में हमारे यहां की जनता को रुपया मिलेगा और लोगों को फायदा होगा।

पहले जब श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण हुआ था उसमें दो बातें मुख्य थीं। एक तो आर्थिक स्थिति की और दूसरी डाकुओं द्वारा डकैतियों की। आर्थिक स्थिति और कानून और व्यवस्था में सुधार न होने के विषय में सदन के सभी सदस्यों को, चाहे वे इधर हों या उधर, चाहे वे सरकार में हों या सरकार से बाहर, चिन्ता थी। विरोधी दल के नेता ने भी वक्तन फवक्तन अपने भाषणों में जोर दिया था कि आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाय और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जाय, हम सब इसका साथ देंगे। हमें आशा है कि उनका सहयोग हमें अब भी मिलता रहेगा। अगर इन दो मुद्दों पर हम श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद दें तो विरोधी दल के नेता भी हमारे साथ होंगे।

(विरोधी पक्ष की ओर से हंसी)

दो एक बात मुझे और अर्ज करना है, जो मुख्य हैं; उनका जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में किया गया है। पहली बात जो है वह यह कि हमारे यहाँ अकाल की स्थिति थी। राजस्थान में अकाल की स्थिति को लेकर पार्लियामेंट में भी बहस चली थी, इस सदन में भी इसकी काफी आवाज उठी। कुछ साथियों ने तो इससे राजनैतिक फायदा भी उठाने का प्रयत्न किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे इसमें नाकामयाब रहे, वे राजनीतिक फायदा नहीं उठा सके। अगर वे महसूस करें तो मैं यह कहूँगा कि उनको राजनैतिक बदनामी तो इसमें जरूर उठानी पड़ी थी। जिस तरीके से हिम्मत के साथ अकाल की समस्या जो एक साल के अन्दर जोधपुर तथा उदयपुर डिवीजनों में खड़ी हुई थी उसको दूर किया गया। (राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) अतः इसके लिए सरकार को मुबारिकबाद दिया जाय और श्रीमन राजप्रमुख ने जो इस विषय में चर्चा की है उसके लिये भी उनको धन्यवाद दिया जाय।

मैं आपको तसल्ली दिला सकता हूँ कि जिस इलाके का मैं रहनेवाला हूँ, वहां हर तीसरे साल अकाल पड़ जाता है। कई सरकारों द्वारा मैंने इन्तजाम करते देखा है और मैंने इन्तजाम करने में हाथ भी बंटाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो गत साल अकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई थी, अकाल को रोकने के लिए, उसको दूर करने के लिए तकावी बाँटी गई थी, सड़कों पर मजदूरों को काम दिलाया गया था, वैसी सुव्यवस्था पहले कभी देखने में नहीं आई है। विरोधी दल के नेता भी इस बात में साथ देंगे। (विरोधी पक्ष की ओर से हंसी) मुझे और भी अधिक उत्साह हुआ जब मैंने पूरा पेरा-ग्राफ इस सम्बन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में देखा। लाखों रुपयों के आँकड़े देखे हैं और खर्च भी हुए हैं। अतः इसका जिक्र करने के कारण श्रीमन राजप्रमुख को अगर धन्यवाद दें तो उचित ही होगा।

[redacted]

[श्रीथुरादास माथुर]

मैं एक दो और बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह कि सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद मिलना चाहिए कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन की नीति के अनुसार भारत सरकार और प्रांतों की सरकारों द्वारा जो नीति बरती जा रही है, उसी नीति के आधार पर सीलिंग कमेटी नियुक्त की है। वह कमेटी यह निर्णय करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन किसान या प्रतिव्यक्ति के पास कितनी रहनी चाहिए? वही इसका निर्णय करेगी। किस तहसील में किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, मैं इस वक्त इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब सिलिंग कमेटी इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तब पता चलेगा। कई इलाकों में कइयों के पास जमीन नहीं है और कई इलाकों में बहुत-सों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में जो दर्ज है उसकी चर्चा की गई है। इस आधार पर दूसरे प्रान्तों में इस नीति को देखते हुए जो कदम उठाये गए हैं, राजस्थान सरकार ने भी जो ऐसा कदम उठाया है वह सराहनीय है। हमें यह देखना है कि वह कमेटी किस हद तक इस समस्या को तय कर सकेगी, वह किस हद तक काम कर पायगी। इसका पता हमें शीघ्र भविष्य में ही चलेगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह टिनेन्सी बिल के बारे में है। टिनेन्सी बिल दुबारा सदन में पेश हुआ है, उसमें कई चीजें रखी गई हैं। टिनेन्सी पौलिसी द्वारा सरकार ने किसानों को बेदखली से रोकने के लिए जो ऑर्डिनेंस फिर से जारी किया है हमें उसे देखकर उत्साह होता है। सरकार की नीति उनकी तकलीफों को दूर करने की है और साथ ही साथ जागीरी प्रथा को खत्म करके उन लोगों को खातेदार हकूक देकर एक व्यवस्था बनानी है।

(कुंवर श्री जसवंत सिंह द्वारा "हियर हियर")

मुझे और भी उत्साह मिलता है जब किसानों के हकूक की चर्चा के लिए विरोधी दल के नेता की ओर से आवाज होती है। इस बारे में हम पूरे कामयाब होंगे।

इसमें और भी कई बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। उनको दुहरा कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। सब सदस्यों ने श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण को पूरा पढ़ा होगा। जो मुद्दे की बातें किसानों के लिए, अमन-चैन के लिए, आर्थिक हालत के लिए है उनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ विकास के लिए डेवलप्मेंट-प्रोग्राम, पंचवर्षीय योजना को अमल में लाने के लिए जो बातें थीं वह मैंने आपको अर्ज कीं।

मैं सरकार का ध्यान अब चंद बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो अभिभाषण श्रीमन् राजप्रमुख ने सदन के सामने दिया है अगर उसमें कुछ बातें और भी रखी जातीं तो यह अभिभाषण और भी सुशोभित होता। मैं सरकार से इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर डिवीजन के करीब सब कस्बों में एक ही समस्या है और वह समस्या है पीने के

[कुंवर श्री जसवंतसिंह]

पानी की। पीने के पानी की समस्या सीकर और झुंझुनू के कुछ इलाकों में नहीं है, किन्तु कुछ इलाकों में तो यह बहुत ही गम्भीर है। डा० काटजू जोधपुर में आये थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि, "मैं यह सोच नहीं सकता कि लोग गांवों में अस्पताल की माँग करें, किन्तु यदि वे पीने के पानी की व्यवस्था की मांग करते हैं तो मेरा कलेजा भर जाता है।" तो मैं इस वक्त अर्ज कर रहा था कि यह गम्भीर समस्या हमारे राजस्थान में है। यह काफी तादाद की जनसंख्या पर असर डालती है। अतः इसके लिए राजस्थान सरकार यदि कोई अमली कदम उठाये तो अच्छा है। हम आशा करते हैं कि श्रीमान् मुख्यमन्त्रीजी श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वादविवाद के पश्चात् अपने भाषण में ऐसी बात कहेंगे जो कि इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो पीने के पानी के लिए बेताब हैं, जिनको ६-७ मील से पानी लाना पड़ता है, जिनके यहां ऐसा पानी है कि जिसको पीने से मवेशी मर जाते हैं, सरकार ऐसे लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भारत सरकार और पंचवर्षीय योजना बनाने वालों का ध्यान आकर्षित करेगी। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी।

(१० बजे प्रातः)

भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के प्रतिनिधियों को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। हमारा प्रजातंत्र बेकार हो जाता है अगर हम अपने राज्य के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए और हमारे यहाँ के लोगों की तन्दुरुस्ती और हालत को ठीक करने के लिए हमें इस अहम समस्या को अवश्य हल करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

इसके साथ-साथ मैं सरकार के कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इर्रिगेशन के जितने महकमे हैं उनमें मीडियम इर्रिगेशन, माइनर इर्रिगेशन और मेजर इर्रिगेशन के लिए काम होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय कृषि मन्त्री मौजूद नहीं हैं, उनको बुला लिया जाय और फिर आप उनसे कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— मुख्य मन्त्री उनकी तरफ से बैठे हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर— (अपना भाषण जारी रखते हुए)

(श्री हरिकृष्ण व्यास को सम्बोधित करते हुए) मुझे इस बात की खुशी है कि आपका ध्यान तो इस ओर आकर्षित हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— सदैव होता रहता है।

श्री मथुरादास माथुर— (अपना भाषण जारी रखते हुए)

माननीय अध्यक्ष, मगर इन तीनों प्रकार के इर्रिगेशन के अलावा एक लिफ्ट इर्रिगेशन भी होता है जिसके ऊपर न कभी ध्यान दिया गया है और न इस प्रकार की कोई योजना ही बनाई गई है और न इस बारे में रिसर्च ही किया गया है। जिन इलाकों के अन्दर न तो बड़े-बड़े बाँध बन सकते हैं और न जहाँ नदियां हैं और न तालाब बनाये जा सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ पाताल तोड़ कुओं और ट्युब वेल्स से ही खेती की पैदावार बढ सकती है। मैं सरकार का ध्यान उन इलाकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ लिफ्ट इर्रिगेशन चालू किया जा सकता है और वहाँ की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जब कभी इस बात पर जोर दिया गया तो इर्रिगेशन के महकमे की तरफ से कहा जाता है कि इसके लिए हमारे पास धन नहीं है, इस लिफ्ट इरीगेशन से हमारा ताल्लुक नहीं है और इसी प्रकार दूसरे सीगे भी इस काम को करने से इन्कार कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी तो इससे राजस्थान के बहुत बडे इलाके को लाभ होगा ।

मैं अब कुछ बातें शिक्षा मन्त्री से अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति का दिग्दर्शन राजप्रमुख के भाषण में नहीं कराया है। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण से हम यह आशा रखते थे कि उनके भाषण में प्रत्येक विभागीय नीति का समावेश होगा और जो बड़े-बड़े विभाग हैं उन पर रोशनी अथवा प्रकाश डाला जायगा, लेकिन जहाँ तक शिक्षा का ताल्लुक है उन्होंने किसी विशेष नीति का प्रतिपादन नहीं किया है और न सरकार इस दिशा में किसी नीति को बना पाई है। मगर जो कुछ भी बातें शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, उन बातों का जिक्र अवश्य किया जाना चाहिए। आज शिक्षा का जो मुख्य अंग है, जिसके बिना प्रजातंत्र अधूरा है वह है प्रौढ शिक्षा का प्रसार। प्रजातंत्र इसके बिना अधूरा है। इस दिशा में १९४७ में और बाद में यह तय किया गया कि एडल्ट एज्युकेशन पर जोर दिया जाय और जोर दिया भी गया, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। हो सकता है, जल्दी में यह रह गया हो। मैं तो यह आशा करूंगा कि शिक्षा का अंग बहुत बड़ा है। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा नहीं होती है बल्कि जहाँ पर करोड़ों इन्सान रहते हैं, जो अब तक दायें हाथ से अंगूठा करके अपनी रोजी कमाने का जरिया करते है उनको हम शिक्षित नहीं कर पाये तो हम अपने प्रजातंत्र की नींव को मजबूत नहीं कर पायेंगे। हमें इसके लिए लाखों ही नहीं, करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे। जब तक हमारे यहाँ के नागरिक अशिक्षित रहेंगे, प्रजातंत्र की नींव कदापि मजबूत नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इस ओर सरकार का भी ध्यान है तथा सरकार की तरफ से कुछ न कुछ कदम उठाया जा रहा है। उस कार्यवाही की चर्चा यदि राजप्रमुख के अभिभाषण में होती तो सदस्यों को उस पर कहने का अच्छा मौका मिलता।

अब मैं एक दो बातें और कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। वे ये है कि आज राजस्थान में चारों ओर निराशा का वातावरण नजर आ रहा है, उसकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहूँगा। हमारा राजस्थान कई रजवाड़े मिलकर बना है। जो

[श्री मथुरादास माथुर]

पुरानी राजधानियां थी वहां की जनता उन राजधानियों के उजड़ जाने से परेशान है। उस परेशानी का वामपन्थी लोग दूसरी तरह से फायदा उठा लेते हैं। उस परेशानी का फायदा हमारे यहाँ के राजनैतिक दल उठाकर जनता के सामने गलत तरीके से उन परिस्थितियों को रखते हैं। अभी हाल का बीकानेर का आन्दोलन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। मैं तो इस आन्दोलन को उचित नहीं मानता और ईमानदारी से पूछा जाय तो विरोधी दल के नेता भी इससे सहमत नहीं थे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं तो इसमें शामिल था।

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) without conviction

(विराम)

शामिल होते हुए भी आपकी संजीदगी और आपका विश्वास इस आन्दोलन के साथ नहीं था। इस तरह से आप शामिल होते हुए भी आन्दोलन से अलग थे। कभी-कभी मजबूरी और परेशानी से कई व्यक्ति आन्दोलन में शामिल हो जाते हैं लेकिन दिल और दिमाग से वे उसे नहीं चाहते। आपकी और मेरी इस सम्बन्ध में जो बात हुई उससे भी यह पता चलता था और आप महसूस करते थे कि जो मार्ग अपनाया गया है वह ठीक नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—बिल्कुल ठीक था।

श्री मथुरादास माथुर—क्योंकि मैं ऑफिशियल सीक्रेटस को डिसक्लोज़ नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप इसको ठीक नहीं मानते थे।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने तो इस आन्दोलन में हजारों रुपये दिए हैं और मैं शामिल रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

आप रुपए दे सकते हैं, हरेक इन्सान जिन्दा रहना चाहता है। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि आप और हम सब इस बात को मानते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर यह आन्दोलन उठा था वे मुद्देमुद्दे नहीं थे। बीकानेर शहर की जनता को राजस्थान बनने के बाद जोर निराशा हुई कि हमारे केपिटल से राजधानी चली गई। यह स्वाभाविक चीज है कि राजधानी हर जगह नहीं रह सकती। उन उजड़ी हुई राजधानियों के विकास के लिए, शहरों में रहने वाली जनता के विकास के लिए मुझे याद है कि सन् ५२ में सरकार की तरफ से एक कमेटी मुकर्रर हुई थी, वह कमेटी केपीटल इम्प्रूवमेंट के नाम से या राजधानी विकास समिति के नाम से थी। उस कमेटी ने कुछ न कुछ काम किया होगा और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास विचारणीय है। मैं आशा करता था कि इस मौके पर उस रिपोर्ट पर विचार किया जाकर सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जो बड़ी-बड़ी राजधानियाँ थीं, जो आज बीरान हो रही हैं उनके सम्बन्ध में उसके विकास की कोई योजना हमें सुनने को मिलेगी। इस तरह से बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा आदि इलाकों में रहने वाले जो मध्यम

[श्री मथुरादास माथुर]

श्रेणी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन राजधानियों के उजड़ जाने से निराशा हो गई थी और उनकी निराशा के कारण जो आन्दोलन खड़ा हो जाता है वह आन्दोलन नहीं उठ पाता और हमारी सरकार को उस आन्दोलन को ठीक करने के लिए, उन व्यक्तियों को समझाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है वह भी नहीं हो पाता। अगर राजप्रमुख ने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र नहीं किया है तो मैं मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करूँगा कि वे इस बात पर रोशनी डालेंगे तो हम उनके आभारी होंगे।

एक और चीज जो आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। वह यह है कि जिस चीज को मैं कहने जा रहा हूँ उसको आप इस नुक्ते-निगाह से न देखें कि मैं किसी खास डिवीजन का रिप्रेज़ेन्टेशन करने खड़ा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ राजप्रमुख के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूँ। जो अभिभाषण उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद अवश्य मिलना चाहिए व जो कुछ भी बातें कही गई हैं, वे सराहनीय हैं। सरकार ने जिन बातों के लिए कदम उठाया है उसके अलावा भी दो-चार बातें और रह गई हैं। अगर उनका भी समावेश अभिभाषण में हो गया होता तो इस अभिभाषण में चार चाँद लग गए होते। मैं सरकार का ध्यान उन दो-चार बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और भूतपूर्व जोधपुर के महाराजा के बीच जिसमें स्टेट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ था एक शर्तनामा हुआ था जो छप चुका है और उसमें यह था कि १८ लाख रुपया जोधपुर महाराजा को उनके हिस्से का देने पर चार करोड़ की आज की मारकेट वेल्यु के और बुक वेल्यु में पौने दो करोड़ के छीतर पैलेस इमारत, जो कि हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी इमारत भी अगर कही जावे तो गलत बात नहीं होगी, उसको १८ लाख रुपये में देने का निश्चय किया था और वह शर्त यह थी कि या तो जोधपुर में राजधानी बनायी जावे या जोधपुर में ("हीयर-हीयर" की आवाज विरोधी दल की ओर से), यूनीवर्सिटी की सीट कायम की जावे, वहां विश्व-विद्यालय की सीट कायम की जावे; ये दो बातें थीं।

राजस्थान की राजधानी तो वह नहीं बन सकी। राजधानी जयपुर बनी। इसलिए वह शर्त तो अब नहीं रही। पर विश्व-विद्यालय की सीट वहाँ रखने की बात पर अब भी विचार किया जा सकता है।

इधर जयपुर शहर में भी राजधानी बनने से तरक्की हुई है और इस पर भी तीस लाख रुपया खर्च करके मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण यहाँ किया गया है। इसके लिए भी हम लोगों ने ही साथ दिया था और खास तौर से मुख्य मन्त्री महोदय के और डाक्टर मैनन के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं; जिनके प्रयत्नों से हमें यहां यह मेडिकल कॉलेज मिला है और जिसकी वजह से हिन्दुस्तान भर में भी हम नाम पा सके हैं और जिसकी वजह से हम सीधे ट्रेनिंग के लिए विलायत भी जा सकते हैं।

इसलिए इस तरह जहाँ पर इतना रुपया खर्च हो रहा है फिर वहीं युनिवर्सिटी के लिए भवन बनाकर लाखों रुपया खर्च किये जाने से बहतर है कि जोधपुर में छीतर की गढ़ी पर बने उस

[श्री मथुरादास माथुर]

शानदार भवन का क्यों न उपयोग किया जावे। उस गढ़ी पर बना भवन, जब हम हवाई जहाज से कभी उधर से गुजरते हैं और उसको देखते हैं तो बड़ा शानदार लगता है। तो, उसको अगर काम में लिया जावे तो १८ लाख में पाँच करोड़ रुपये की इमारत हमें मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह एक अच्छा सौदा होगा और जोधपुर के विकास के लिए भी, जहां पर इस समय ३ कॉलेज, महाराज कुमार इन्टर कॉलेज, जसवन्त कॉलेज और इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं, और जहाँ पर १४ हाई स्कूलें हैं जिनमें तीस हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं; यह एक अच्छा सौदा साबित होगा। ऐसे इलाके में इस तरह की चीज अगर हमने की तो मैं आशा करता हूँ कि आर्थिक लाभ तो सरकार को होगा ही, जोधपुर के लोगों को भी सन्तोष होगा और वहाँ की जनता में आज जो बेचैनी है वह भी मिटेगी और अगर इस चीज का उल्लेख भी इस श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में होता तो हम राजप्रमुख को धन्यवाद ही नहीं, अभिनन्दन भी करते।

मैं और भी अर्ज करूँ। मैं सदन का कोई ज्यादा समय लेना तो नहीं चाहता, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस विषय पर विरोधी दल के लोग बहुत आतुर होंगे बोलने के लिये और वे ज्यादा बोलना चाहेंगे इसलिए मैं अब ज्यादा समय न लेकर फिर से माननीय मुख्य मन्त्री महदोय से अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव मैंने रक्खे हैं उनपर वे प्रकाश डालेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं एक चीज का जिक्र और कर दूं और वह यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण के अन्दर जो यह कहा कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने के लिए सरकार का ध्यान है, क्योंकि बड़े-बड़े अस्पताल कस्बों के भले के लिए भले ही हों मगर बहुत अधिक तादाद में गांवों में रहने वाले हमारे यहाँ के निवासियों के लिए उनसे अधिक लाभ नहीं हो सकता। इसके लिए तो आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियाँ और छोटे- छोटे अस्पताल एवं एड पोस्ट ही काम दे सकते हैं; ये ही अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान जो सरकार का खींचा है वह तो अच्छा है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ; मगर जो आँकड़े उन्होंने इस बारे में बताये हैं कि इस साल ३५ आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोली जावेंगी तो अगर ये ३५ डिस्पेन्सरियाँ खोली गई तो मेरा खयाल है कि एक एक डिस्पेन्सरी एक एक परगने में आती है और इस तरह पांच छः लाख की आबादी के पीछे एक पड़ती है जो बहुत कम पड़ती है। अगर कुछ और अधिक खोली जावें तो मेडीकल रिलीफ का काम देहातों में ज्यादा अच्छा हो सकेगा। इस ओर भी मैं अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इन बातों को सदन के समक्ष उपस्थित करते हुए, मैं अपील करता हूं सदन से कि जो बातें श्रीमन् राजप्रमुख के इस अभिभाषण में बताई गई हैं, जो सुधार और जो-जो योजनाएँ विकास की सरकार ने बनाई और जो जो प्रगति इस दिशा में हमारी सरकार ने की और जिसका जिक्र भी इसमें किया गया है उन सब के लिए मैं फिर से अपील करता हूं कि हमें इन सबके लिए श्रीमन्

[श्री मथुरादास माथुर]

राजप्रमुख को धन्यवाद देना चाहिये और इस विषय का जो प्रस्ताव मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में भी, मुझे विश्वास है कि विरोधी दल के नेता भी उसे पास करने में हमारा साथ देंगे और हम सभी मिलकर सर्व-सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्तावक ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

बजट में हम आगामी वर्ष का हिसाब लगाएंगे, अतः यह उचित है कि इसके लिए हम चालू वर्ष जो खतम होने वाला है उसकी कार्यवाही का अवलोकन करें।

धन्यवाद के प्रस्ताव में मुख्यतया गत वर्ष की कार्यवाहियों का एक पर्यवेक्षण किया जाता है। श्रीमन् राजप्रमुख ने हमें बतलाया और हम इसको भी जानते थे कि यह वर्ष एक नैराश्यपूर्ण वातावरण में शुरू हुआ था, किन्तु आज यह एक बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारी जो तीन मुख्य चिन्ताएं प्रारम्भिक वर्ष में थीं वे अब समाप्त हो गई हैं। हमारी मुख्य तीन चिन्ताएँ थीं। एक आर्थिक सुरक्षा, दूसरी खाद्य की स्थिति तथा तीसरी कानून व व्यवस्था की स्थिति। ये तीनों अत्यन्त सन्तोषपूर्ण अवस्था से निकल गई हैं।

श्रीमन् राजप्रमुख ने और मेरे पूर्व वक्ता ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर बहुत प्रकाश डाला है। आर्थिक स्थिति को निश्चयात्मक रूप से हम बजट के प्रस्तुत होने पर देख लेंगे और मैं सोचता भी हूं कि वह बहुत ही सन्तोषप्रद रहेगी।

रहा खाद्य का विषय। यह इस वर्ष के शुरू में एक बहुत बड़े क्षेत्र में अभाव की बड़ी स्थिति का विषय रहा और इस समय भी बड़ी स्थिति का विषय रहा और इस समय भी कुछ हिस्सों में अभाव की स्थिति है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में जिस प्रकार टिड्डियों का अभूतपूर्व आक्रमण हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए, इन तीनों बातों को देखते हुए, हम अपने इस बड़े प्रदेश को जहाँ कि उपज बहुत कम है खाद्य स्थिति को हम ठीक तरह से मेनटेन कर सके; इसके लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

इन तीनों समस्याओं को हल कर लेने के अतिरिक्त जो समस्याएँ हमारे सम्मुख उपस्थित थीं, मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य इस वर्ष में उन समस्याओं को हल करके किया है और इस सब के लिए मैं सरकार को और इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो अतिरिक्त समस्याएँ हमारे सामने थीं वे थीं भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण की। जागीरदार, उनके नेताओं तथा दलों से जो सरकार ने समझौता कर लिया और अब शान्तिपूर्ण वातावरण में जागीरों का पुनर्ग्रहण सरकार करेगी यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। सरदार पटेल ने भारत में बिखरे हुए सैकड़ों देशी राजाओं का एकत्रीकरण करके जो महान् कार्य देश की दृष्टि से किया, सारे भारत के लिहाज से किया। हम समझते हैं कि इस प्रदेश की विकट स्थिति को देखते हुए, इस

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

प्रदेश के महत्व के लिहाज से उसी के मुकाबले का काम सरकार ने इन जागीरों के पुनर्ग्रहण का किया है। इसमें केवल सरकार का ही हाथ नहीं है बल्कि एक-दूसरे पक्ष का भी हाथ था और वह पक्ष है जागीरदार, उनके प्रतिनिधि और नेता। मैं उनको भी शान्तिपूर्ण तरीके से इस प्रश्न को हल करने के लिए, धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

किन्तु, यह सब होने पर भी हमारे सामने पश्चिम के काले बादल मँडरा रहे हैं। इसको देखकर और जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है, उसके फलितार्थों पर विचार करके मैं तो एक तरह से काँप उठता हूँ और वह बादल हैं अमेरिका और पाकिस्तान के फौजी समझौते का।

पाकिस्तान को यह जो मदद मिल रही है और यह जो फौजी समझौता हुआ है यद्यपि यह सब विषय हमारे इस सदन के विचार-विमर्श की सीमा से बाहर है, किन्तु फिर भी यह इस प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात हुई है; महत्वपूर्ण इस रूप में कि इस सब का अधिक असर इस प्रान्त की जनता पर होना स्वाभाविक है; क्योंकि पाकिस्तान हमारी सीमा पर स्थित है। मैं भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार की इस सम्बन्धी किसी भी नीति पर कुछ भी नहीं कहना चाहता किन्तु इससे इस प्रदेश की जनता की जो चिन्ताएँ उपस्थित हो गई हैं, जो बात सामने हम देख रहे हैं, इसके लिहाज से हमारे लिए इस पर भी विचार-विमर्श करना नितान्त आवश्यक है।

इसके लिये मैं जागीरदारों से भी अपील करूँगा कि, जागीर पुनर्ग्रहण करने का प्रश्न हल हो जाने के बाद अब उनके लिये यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। इस प्रश्न पर वे अपना ध्यान पूरी तरह से दें और भारत सरकार और इस प्रदेश की सरकार जो कुछ कदम उठावें उनको भरसक सहयोग दें। यदि वे इसके विपरीत चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस सदन की ओर से या इस प्रान्त या देश की नजरों में छोटे अवश्य बन जायेंगे। किन्तु, कोई कारण नहीं है कि जागीरदार और यहाँ के अन्य वर्ग इस प्रश्न पर, जितनी भी सरकार की सहायता हो सकेगी उसे वे करने में त्रुटि करें।

एक बात इसके साथ मुझे बड़ी खटकती है। हमारे इस प्रान्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमेशा से बहुत ऊँचा फौजी सिद्धान्त रखती आई है। राजाओं तथा उनके साथियों ने ऐतिहासिक रूप में बड़े-बड़े कार्य किये हैं। किन्तु मुझे इस बात पर विचार करते हुए एक बात का एक तरह से खेद सा होता है कि ऐसे प्रदेश में फौजी शिक्षा देने का कोई अच्छा इन्तजाम नहीं है। पाकिस्तान की सीमा हमारे प्रदेश से इतनी लम्बाई में मिलते हुए और विशेषकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फौजी समझौता हो जाने के बाद यह एक बहुत ही आवश्यक विषय है और मैं आशा करता हूं कि सरकार, भारत सरकार या इस प्रदेश की सरकार और राजप्रमुख महोदय इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे कि इस प्रदेश में फौजी शिक्षा अति शीघ्र चालू की जायगी। इसके लिये मिलिटरी स्कूल्स की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि यहाँ के विद्यार्थियों को या ऐसे लोगों को जो वोलन्टियरिली ऐसी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें जल्दी और अच्छी शिक्षा दी जाय।

Page No.42

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

हमारे प्रदेश का एक बड़ा भाग विशेषरूप से ड्राइ (सूखा) है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर डिविजन में तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पीने के लिये भी पानी उपलब्ध कठिनाई से होता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां के बहुत से गांवों में पानी की कमी है। जहां पीने के लिये भी पानी नहीं हो वहाँ सिंचाई करना बहुत कठिन काम है। किन्तु, इस सरकार ने जवाई और भाखरा की योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया है, यह एक बहुत सुन्दर कार्य किया है और हमें श्रीमन् राजप्रमुख ने यह बतलाया कि इस वर्ष से ही उनके फल मिलने शुरू हो गये हैं और कुछ और भी मिल जायेंगे और एक-दो वर्षों में जब नहरें आदि पूरी तरह से चालू हो जायेंगी तो वे बड़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। ये ही ऐसे कारण हैं कि जिनसे रूरल एरियाज़ में रूरल पॉपूलेशन को कुछ दीखने वाले फायदे पहुँचा सकते हैं। सरकार ने इस ओर विशेष प्रयत्न किया और मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूर्ण आशा रखता हूं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वे इस वर्ष में उन कार्यों को बहुत ही उचित सफलता से कार्यान्वित करने की व्यवस्था करेंगे।

इसके अलावा चंबल और भाखरा से जो विद्युत शक्ति का उत्पादन होने वाला है वह भी एक अत्यन्त संतोष का विषय है।कुछ कार्य अब तक हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े समय की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार दृढ़ता से इस ओर बढ़ेगी तो बहुत जल्दी ही हमें वहाँ से बिजली मिलनी शुरू हो जायगी। यद्यपि इस प्रदेश में बिजली से कोई उल्लेखनीय सिंचाई का कार्य नहीं होता और जब तक बिजली से सिंचाई के कार्य में प्रगति नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि सिंचाई कार्य छोटे-मोटे तरीके से इतना लाभदायक नहीं होता जितना बिजली के कार्य से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आशा है बहुत जल्दी ही चंबल और भाखरा योजनाओं से बिजली मिलेगी और उससे सिंचाई होगी और हमें यहां हरे-भरे खेत देखने को मिलेंगे। बिजली के लिये हमारा विशेष ध्यान रूरल एरियाज की तरफ रहना चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि इस महान् प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या गाँवों में झोंपड़ों में रहती है और उनकी उन्नति सिंचाई से हो सकती है और उनके घरों में बिजली पहुँच सकती है ; छोटी-छोटी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कोटेज इंडस्ट्रीज़ उससे शुरू हो सकती है। बहुतसी कोटेज इंडस्ट्रीज़ हमारे इस प्रदेश में हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि बड़े-बड़े नगरों में बननेवाली बहुतसी चीजें मशहूर हैं; उनके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उनके विस्तार की ओर सरकार का ध्यान है और रहेगा; यह आशा रखते हुए भी मैं इस बात के लिये जोर देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बिजली प्राप्त करके कोटेज इंडस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दिया जाय। सरकार की नीति इस समय तक यह बराबर रही है कि जो सर्वथा इन्डिपेन्डेन्ट बोडीज़ है उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करे। मैं इस नीति का अनुमोदन करता हूँ और सरकार की इस तरह की नीति की प्रशंसा करता हूँ। सरकार को एक जज की तरह, निष्पक्ष जज

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

की तरह किसी भी ऐसी इंन्डिपेन्डेन्ट बोडी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। विश्व-विद्यालय जोधपुर में रहे या बीकानेर में रहे या तीसरे स्थान उदयपुर में रहे ; इसका फैसला विश्वविद्यालय की कमेटियों को ही करना चाहिये या जो ऑथोरिटीज़ हैं उन्हें ही करना चाहिये। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना उचित और मान्य नहीं हो सकता। (हीयर हीयर)

इसमें कोई संदेह नहीं कि छीतर पैलेस मिल जाने से हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है लेकिन तुच्छ लाभ के कारण हमको अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिये। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि विश्व-विद्यालय की ऑथोरिटीज इस बात को तय करती हैं कि छीतर पेलेस मिलने से लाभ होता है तो मैं इस फैसले का अभिनन्दन करूंगा कि जोधपुर में विश्व-विद्यालय की स्थापना की जाय। विश्वविद्यालय की ऑथोरिटीज़ यदि यह ठीक समझें कि उदयपुर इसके लिये ठीक जगह है, वहाँ पर विश्वविद्यालय और एफलियेटेड इन्स्टीटयूशन होने चाहिये तो मैं उसके लिये भी उनका अभिनन्दन करूँगा। यदि वे यह फैसला करते हैं कि जयपुर में यह रहेगा और बहुत से स्थानों के मुकाबले में यहाँ ठीक है तो मैं उनका भी अभिनन्दन करूंगा। एक तरफ छीतर पेलेस का आर्थिक लाभ देखते हुए और उसे तराजू में रखते हुए तथा और बातों का ध्यान रखते हुए यदि उनका यह फैसला होता है कि विश्वविद्यालय यहीं रहे तो मैं उसका भी अभिवादन करूंगा। इसलिये मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय या ऐसी किसी स्टेचुटरी बोडीज़ के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही उनके लिये उचित होगा। ऐसे कुल प्रश्न सम्बन्धित ऑथोरिटीज़ पर ही छोड़ देनी चाहिये।

एक-दो बातें और भी इस वर्ष में या आगामी वर्ष के लिये ध्यान देने योग्य हैं।

शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की। उनके इन वाक्यों से अथवा विचारों का मुझे खेद है कि मैं समर्थन नहीं कर सकता।

हमारे विधान में ही सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह यथाशक्ति फ्री कम्पल्सरी एज्युकेशन १४ वर्ष तक के बालकों के लिये देगी। जितने स्कूल विगत वर्ष में खोले गये हैं, जितने विद्यार्थियों ने विगत वर्ष में लाभ उठाया है वह कम उत्साह की बात नहीं है। सरकार को एक ऐसा प्लान बना लेना चाहिये कि १० वर्षों में, ५ वर्षों में या निश्चित समय में विधान की इस धारा का परिपालन किया जा सके।

मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा का बजट प्रस्तुत करते समय शिक्षा मन्त्री सरकार के इस प्लान, इस पोलिसी के बारे में प्रकाश डालेंगे और अब तक जितना कार्य हुआ है, मैं यह नहीं कह सकता कि वह सन्तोषजनक नहीं रहा।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

मेडीकल और हैल्थ, मेरे विचार में हमारे इस प्रदेश में यह तो कोई ऐसे गहन विषय नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक मनुष्य को कोई छोटी सी भी पीड़ा हो तो उसकी चिकित्सा की आवश्यकता है। चिकित्सा सुलभ और सस्ती हो, यह सरकार की पोलिसी है। गाँवों में जो चिकित्सा मिल सके वह अस्पतालों के जरिये नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिये एक ही रास्ता है अथवा यह कहा जाय कि इन दिशाओं में ही प्रगति हो सकती है—आयुर्वेदिक, हिकमत और होमियोपैथिक।

आयुर्वेदिक तथा हिकमत की शिक्षा के लिये कुछ स्थान या इन्स्टीटयूशन्स हैं। सरकार उनको चला रही है और अपने तरीकों पर जनता द्वारा स्थापित संस्थाएं भी इस तरह की शिक्षा देती हैं। किन्तु होमियोपैथिक की शिक्षा हमारे प्रदेश में कहीं दी जाती हो, यह मेरी जानकारी के बाहर है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि होमियोपैथिक जैसी चिकित्सा प्रणाली लाभदायक सिद्ध हो सकती है या क्या ?

यदि इसका उत्तर मुझे 'हाँ' में मिले तो मुझे आशा है कि इस वर्ष अथवा अगले वर्ष होमियोपैथिक की शिक्षा के लिये भी इन्स्टीट्यूट हमारे प्रदेश में सरकार खोले।

मुझे जहाँ तक समझ में आता है सरकार अभी तक उस पुरानी रूढ़ी से अलग नहीं हो पाई है जिसमें सरकारी अधिकारियों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दे रही है। यह शल्य की तरह मुझे चुभ रहा है। हमारे इस गरीब प्रदेश में औसतन एक व्यक्ति की आय चार आने, पाँच आने या आठ आने से ज्यादा नहीं हो सकती; वहाँ सरकारी अधिकारियों को चार-चार हजार रुपया मासिक दिया जाता है।

मैंने कांग्रेस के उस फैसले का अभिनन्दन किया जब यह घोषित किया गया था कि काँग्रेस के मन्त्री ५००) रुपये से ज्यादा मासिक नहीं लेंगे।

इसके बाद समय बदला, लड़ाई की वजह से वस्तुओं के भाव बहुत चढ़ गये। इसलिये उसी संस्था ने ठीक तौर पर यह विचार किया कि कांग्रेस के मन्त्रियों को १०००) रुपये ही वेतन लेना चाहिये क्योंकि मँहगाई पहले से चौगुनी है। मँहगाई को देखते हुए पहले के हिसाब से वे ५००) के बजाय २५०) रुपये ही ले रहे हैं। पर, ऑफीसर्स के लिये यह बात नहीं रखी। जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं उनके लिये तो अलग बात हो सकती है परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर्स के लिये तो मैं कतई उचित नहीं समझता कि उनका वेतन १०००) रुपये से ज्यादा रखा जाय। जब तक यह सामन्जस्य सरकार और जनता की आमदनी में मौजूद है, सरकार की नीति में मौजूद है, वहाँ तक एक तरफ तो हम कहते हैं कि जागीरदारी हटानी चाहिये, क्योंकि वह एक बड़ी जमीन के मालिक बने बैठे हैं और दूसरी तरफ किसानों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, वही सामन्जस्य जो उन बातों में मौजूद था वह इसी प्रकार मौजूद

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

है कि सरकार अपने बड़े-बड़े ऑफीसर्स को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देती है, जहाँ की प्रजा को अपने जीवन-निर्वाह के लिये मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

श्रीमन् राजप्रमुख ने हमारी और और प्रगतियों पर फैक्ट्स और फीगर्स के आँकड़ों के द्वारा प्रकाश डाला है और बतला दिया है कि गत वर्ष में सरकार ने किस प्रकार प्रगति की है। मैं उन सब बातों का उल्लेख करके दोहराना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, मैं उस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ जो श्रीमन् राजप्रमुख को इस सदन में अभिभाषण करने के उपलक्ष में धन्यवाद देने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मिस्टर चेयरमैन, सर, इस सदन में इस दफा यह चौथा मौका था जब कि श्रीमन् राजप्रमुख यहाँ पधारे और अभिभाषण दिया इससे पहले तीन दफा यहाँ पधारे थे उस वक्त भी उन्होंने अँग्रेजी में भाषण दिया था और विरोधी पक्ष की तरफ से इस पर प्रोटेस्ट की गई थी, विरोध किया गया था।

सरकार से हम आशा करते हैं कि इस गणतन्त्र राज्य में, इस राज्य के हैड ऑफ दी स्टेट प्रजा की इच्छा का आदर करे और इस वक्त इस सेशन में करीब-करीब हमें यह विश्वास दिलाया भी गया था कि उन्होंने कृपा करके हिन्दी में अभिभाषण देने का इरादा भी कर लिया है, परन्तु जब उन्होंने यहाँ अभिभाषण दिया तो वह हिन्दी के बजाय फिर भी अंग्रेजी में था।

इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि जब से यहाँ विधान सभा ने काम शुरू किया तब से इसका ऐतराज विरोधी पक्ष की ओर से किया जा रहा है इसलिये शायद सरकार ने और श्रीमन् राजप्रमुख ने यह समझा कि सुझाव अच्छा होने के बावजूद भी इसके विरुद्ध ही करना चाहिये।

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि श्रीमन् राजप्रमुख अंग्रेजी में ही बोलना पसन्द करते हों और अपनी जो मातृभाषा या राष्ट्रभाषा समझिये, उससे उन्हें कोई प्रेम नहीं।

तीसरी बात यह हो सकती है कि वे हिन्दी बोलना पसन्द नहीं करते हों।

मगर कोई भी कारण हो, जब कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है और जब हमारे देश की भाषा, हमारे राज्य की भाषा हिन्दी घोषित कर दी गई है तो हेड ऑफ दी स्टेट अगर हिन्दी में भाषण नहीं दें तो यह बड़े दुःख की बात है।

यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता का नमूना है कि हेड ऑफ दी स्टेट आज राजप्रमुख के रूप में यहाँ गणतन्त्र के समय में हैं। गणतन्त्र में जनता की इच्छा को ठुकराया नहीं जा सकता। अगर गणतन्त्र में हेड ऑफ दी स्टेट जनता की इच्छा को नहीं माने, तो वह समय दूर नहीं, यह स्थिति नज-

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

दीक में है, ज्यादा समय तक निभनेवाली नहीं और आशा की जाती है कि अगले सेशन तक राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति हेड ऑफ दी स्टेट का स्थान ग्रहण करेगा जो हिन्दी में भाषण देगा और जनता की जो माँग है उसको पूरा करेगा।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण को हम लोगों ने शुरू से आखिर तक सुना और बाद में अच्छी तरह से पढ़ा। हमारे साथियों ने जो सरकारी पक्ष के हैं उन्होंने इस अभिभाषण की प्रशंसा की और इसमें महत्वपूर्ण बातें बतलाईं। मगर जहाँ तक मैंने इस भाषण को पढ़ा और जिसे मैंने सुना मुझे ऐसी बातें कहीं देखने में नहीं आईं जिन पर कि कुछ कहा जा सकता है और जिन पर सरकार की प्रशंसा की जा सकती है। मगर चूंकि यह रिवाज-सा है कि जब राजप्रमुख अपना भाषण दें उस पर कुछ कहना चाहिये तो इस पर मैं भी दो शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

राज-पक्ष की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि कानून और व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है, डाकुओं और डकैतियों पर काबू कर लिया गया; इतने डाकू मारे गये और ये इतने पकड़े गये। यह सब आँकड़े हमारी सरकार के प्रोपेगेन्डा डिपार्टमेंट से निकाले जा रहे हैं। अखबारों में दिए गए आँकड़ों से हम यह समझते थे कि जब इतने डाकुओं का सफाया हो गया, तो अब तो राजस्थान में एक भी डाकू नहीं रहा होगा, मगर फिर भी देखने में आता है कि काफी तादाद में डाकू अभी तक बचे हैं।

मैं यह नहीं समझ सका कि कानून और व्यवस्था के माने सरकार क्या समझती है और उसकी क्या मन्शा है? श्रीमन् राजप्रमुख अपने भाषण में फरमाते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सरकार महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में समर्थ हुई है। अगर कानून और व्यवस्था का मतलब इन चोरों और डकैतों को खत्म करने से ही है तो ठीक है। यह सही बात हो सकती है, मगर जहाँ तक मेरा खयाल है और मेरा तजुर्बा है कि कानून और व्यवस्था को ठीक रखने का मतलब चोरों और डाकुओं से ही सम्बन्ध नहीं रखता मगर पब्लिक के साधारण व्यक्तियों की सुरक्षा से भी, उनसे भी बहुत हद तक सम्बन्ध रखता है। कानून और व्यवस्था के बारे में मुझे यह कहना है कि जितना कानून और व्यवस्था का इन्तजाम होना चाहिये, मेरी दृष्टि में उतना नहीं हुआ है। यह तो जन-साधारण के लिए होना चाहिये। मैं तीन-चार मिसालें इस सदन के सामने रखूँगा जिसमें यह बतलाने की कोशिश करूँगा कि कानून और व्यवस्था में कहाँ तक सुधार हुआ है?

हमारे पिछले साल सेशन हुआ उसके पश्चात् सबसे पहले महत्वपूर्ण कानून और व्यवस्था का काम जो बिगड़ा हुआ दिखाई दिया वह जयपुर का आन्दोलन था। वह आन्दोलन जयपुर में १०-१५ दिन तक जारी रहा और ऐसा रहा कि जहाँ पर साधारण आदमी आसानी से चल-फिर नहीं सकता था। हमारे बड़े-बड़े मन्त्री, चीफ मिनिस्टर आदि जो सदन में आते थे वे पुलिस प्रोटेक्शन से आते थे

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

और साधारण तौर पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि, वे मन्त्री हैं और मन्त्री के नाते इनका जनता के साथ सीधा सम्बन्ध होना बहुत जरूरी है, वे पब्लिक में खींच देते। अगर इसी का नाम कानून और व्यवस्था का अच्छा होना है तो मैं उनके इस कथन से सहमत हूँ। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर में यहाँ तक व्यवस्था बिगड़ी कि हमारे इस सदन के नेता लोगों को और बड़े-बड़े आदमियों को मारपीट हो जाया करती थी। हमारे पुलिस भाइयों की, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने गांधी टेक्टिक्स-अख्त्यार कर ली है, जो हालत हुई वह भी सोचनीय थी। स्थिति यहाँ तक खराब हो गई थी कि उन दिनों में राजस्थान सरकार का रिट जयपुर में नहीं चल रहा था। अगर इसी को कानून और व्यवस्था का रूप बताते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी नाकिस राय में कानून और व्यवस्था का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं।

दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने पिछली सेशन के बाद में हमारे केन्द्रीय सरकार के मन्त्री डा० काटजू बीकानेर में पधारे उस समय का है। जब वे बीकानेर में पधारने वाले थे उस वक्त वहाँ के स्थानीय अधिकारियों की तरफ से सैकड़ों की तादाद में लोगों को निमन्त्रण दिये गये। मैं भी उनमें से एक था। सैकड़ों को मालाएँ दी गईं, कुछ राजनैतिक दल द्वारा और कुछ दूसरे लोगों द्वारा और कुछ लोग मालाएँ ले कर आए थे। मगर जो दृश्य उस समय स्टेशन पर देखा गया वह बड़े दुख का था कि जो हमारे भारत के इतने बड़े नेता, जिनकी भारत में ही प्रसिद्धी नहीं किन्तु बाहर भी है उनका राजस्थान के एक डिविजन के हेडक्वाटर पर इस प्रकार से स्वागत किया गया। जो लोग उनके स्वागत के लिए मालाएँ लेकर पहुँचे थे उनका धक्का-धूम में पता तक नहीं लगा कि वे कहाँ रह गये और बड़ी मुश्किल से उनको थर्ड क्लास पैसेन्जर गेट से निकाल कर वहां से भगाया गया। और गार्ड ऑफ ऑनर कहीं रही व मोटर कहीं रही। उनको लालगढ़ या कहीं दूसरी जगह जहाँ पर उन्हें जाना था ले जाया गया। अगर इसी का नाम कानून और व्यवस्था का ठीक होना है तो मैं यह कहूँगा कि इस कानून और व्यवस्था के लिये आप सराहने योग्य हैं।

तीसरा दृष्टान्त यह है जब कि अभी तीन-चार महीने पहले हमारे केन्द्रीय सरकार के बड़े भारी नेता श्री जगजीवनरामजी, बीकानेर दलित वर्ग की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भाग लेने के लिए आये थे। उनके स्वागत के लिए स्टेशन बीकानेर पर बड़ा भारी बन्दोबस्त किया गया। पुलिस द्वारा स्टेशन के दरवाजे के सामने उनकी सफाई की जा रही थी। वहाँ पर गार्ड ऑफ ओनर भी लगाई गई। उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी का एक छोटा सा नेता जो जगजीवनरामजी के मुकाबले में कोई चीज नहीं थे, उसी गाड़ी से आ रहे थे। उनकी गाड़ी ठीक सेन्टर में पहुँचने के बजाय बहुत पीछे थी। जब रिसेप्शन का समय आया तब छोटे बच्चे: छोटे बच्चे तो क्या कॉलेज के विद्यार्थी आकर वहाँ पर जमा हो गए और कहा कि केन्द्र के मन्त्री इस दरवाजे से होकर नहीं निकल सकते और डी. आई. जी, कलेक्टर आदि की जो हालत हुई और पुलिस के दूसरे लोगों की जो हालत हुई, वह देखने के लायक थी और वहाँ पर ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़ा भारी युद्ध हो रहा है, लेकिन आखिर में हार तो

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

सरकार को माननी पड़ी। जिनके लिये बड़ी तैयारी की गई थी उनको थर्ड क्लास गेट से किसी तरह से बचा कर ले जाया गया और वहाँ दूसरी तरफ उस नेता का जबर्दस्त रिशेप्शन हुआ और उसको खास दरवाजे से निकाला गया।

चौथा दृष्टान्त देकर मैं इस विषय को खत्म करूंगा। वह है अभी हमारे बीकानेर में जो आन्दोलन हुआ। उसका जिक्र करने की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन जब कि मेरे मित्र श्री मथुरादासजी माथुर ने उस पर बहुत कुछ कहा तो मेरे लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि मुझे भी उसका जवाब देना चाहिये। उस आन्दोलन में भी कहाँ तक कानून और व्यवस्था रही उसका भी अगर नक्शा खींचा जाय तो कोई बुरी बात नहीं होगी। दुनिया में यह पहला ही उदाहरण होगा कि बीकानेर में इतनी शान्ति से इतना बड़ा आन्दोलन बीस दिन तक चला जिसमें पूर्णतया हड़ताल रही। जितना बिजनिस एक शहर में होना चाहिए वह सब बन्द हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर सरकार कोशिश करे और हड़ताल कराना चाहे तो वैसी हड़ताल एक दिन के लिए भी नहीं हो सकती। इस हड़ताल में क्या प्राइवेट ताँगे वाले, क्या किराये के तांगे वाले, कोई भी सड़क पर नहीं नजर आता था। उन्होंने बगैर किसी डर के यह काम सस्पेन्ड कर दिया, बन्द कर दिया। कुछ नौजवान बेसमझ आदमी होते और उससे जनता का वास्ता नहीं होता तो ऐसा सर्वप्रिय आन्दोलन नहीं होता और राजस्थान सरकार के प्रति उनकी दिली भावना, उनके प्रति एतराज लायक बातें नहीं होतीं तो इतना सक्सेसफुल (सफल) आन्दोलन इस तरह से नहीं होता।

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

जयपुर में तो जनता ने मारपीट करके सरकार को कुछ दबाया, किन्तु बीकानेर के आन्दोलन की खूबी यह रही कि उन्होंने गाँधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर गवर्नमेंट (सरकार) को मात दी। यह खुशी की बात है और बीकानेर के लिए गौरव की भी बात है।

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

आप अगर न्याय और व्यवस्था की बात करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी और दूसरे मन्त्री, मेरा मतलब यहाँ बीकानेर के प्रतिनिधि से है, अगर दूसरे मन्त्री भी बीकानेर से सहानुभूति रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है किन्तु हमारा मतलब इस समय केवल मुख्य मन्त्री जी और बीकानेर के प्रतिनिधि श्री कुम्भरामजी से है। वे बीकानेर शहर में बगैर पुलिस प्रोटेक्शन के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं? मैं यह भी कह सकता हूँ कि हाल ही में पिछले सप्ताह मुख्य मन्त्रीजी जो मेरे परम मित्र हैं, वहाँ (बीकानेर) आये थे तो मेरी बड़ी ख्वाइश रही थी कि उनके साथ बातचीत की जाय किन्तु वहाँ एक जबरदस्त वातावरण बन गया था। जिस प्रकार एक युद्ध का वातावरण होता है वैसा वातावरण बन गया था। सरकार और जनता एक दूसरे के विरुद्ध डटी हुई थीं और अगर इसी का नाम कानून और व्यवस्था है तो बड़ी खुशी की बात है और इसका सरकार को श्रेय है और इसकी

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हम प्रशंसा भी करते हैं, किन्तु मेरी नाकिस राय में मैं यह कहूँगा कि कोई सरकार यदि अपने आपको सरकार कहलाने का दावा कर सकती है तो क्या कानून और व्यवस्था जन-साधारण के लिए ऐसी होनी चाहिये ? जो हमारे नवयुवक हैं, जो कॉलेजों के विद्यार्थी हैं उनकी क्या भावनायें हो गई हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं और गवर्नमेन्ट किस तरह से चुपचाप शांत बैठ सकती है, यह सोचने की बात है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जिनके पास न्याय और कानून व्यवस्था को कायम रखने का महकमा है, प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर खास तौर से ध्यान दें। चोर और डकैतों को पकड़ने के लिए इतना समय लग सकता है। आँकड़ों के देखने से मालूम होता है कि इन पर काबू पा लिया गया है। ईश्वर ने उनको कुछ सफलता दी। वे सफलता प्राप्त करके अब अपना ध्यान जनसाधारण की तरफ कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए दें।

माननीय मथुरादास जी ने अकाल के मुतल्लिक बहुत कुछ बातें कहीं। मुझे कुछ इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अब अकाल नहीं रहा। गवर्नमेण्ट ने भरसक कोशिश की या नहीं की, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। समय निकल गया और अब टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अभी उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने यह बताया था कि राजनैतिक दलों ने बहुत कुछ फायदा उठाने की कोशिश की। मैं भी इस बात से इत्तिफाक करता हूँ। यह बिलकुल ठीक है। पिछले अकाल में खास तौर पर एक राजनैतिक दल ने जहाँ एक-एक दफा तकावी दिलानी चाहिए था वहाँ अपने पक्ष के काश्तकारों को चार-चार दफा तकावी दिलाई। मैं इसके लिए सरकार की प्रशंसा करता हूँ।

(विपक्ष द्वारा "शेम-शेम" की आवाज)

दूसरी तरफ जहाँ तकावी देने की जरूरत नहीं थी और कोई आवश्यकता भी नहीं थी वहाँ काफी जोरों से तकावी दिलाई गई। यानी जहाँ दस रुपये की आवश्यकता थी वहाँ सौ रुपये प्रदान किये गये। कुछ स्थानों की ऐसी हालत थी कि जहां तकावी दिये बिना काम चल ही नहीं सकता था, मुसीबतें काफी थीं, वहाँ एक पैसा भी नहीं दिया गया। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे।

(विपक्ष द्वारा 'शेम, शेम' की आवाज)

अकाल के लिए मुझे इतना ही कहना है कि राजनैतिक दलों ने फायदा उठाया। इसके बनिस्पत ठीक तो यह था कि एक राजनैतिक दल ने इस अकाल की स्थिति में बड़ा फायदा उठाया और जन-सेवा की ! मैं इतना इत्तिफाक नहीं करता कि इस शब्द को प्लुरल (बहुवचन) में काम में लाया जाय जिसको कि मैं 'सिंगुलर' (एक वचन) में काम में लाना चाहता हूँ।

पंचवर्षीय योजना के मुतल्लिक खुशी है कि १६८१ लाख के बजाय राजस्थान को २२६७ लाख रुपये खर्च करने के लिए मिले हैं। गत काल की भाँति मैं उन इलाकों को बधाई दूँ जहाँ कि यह रुपया बहुतायत से काम में लाया जावेगा। मुझे दुर्भाग्य से यह कहते हुए दुख होता है कि मैं उस जिले और इलाके से आया हूँ जहाँ पंचवर्षीय योजना से मालूम नहीं किस कारण से कुछ भी रुपया

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

नहीं दिया जा रहा है। मुमकिन हो सकता है कि बीकानेर जिले से तीन व्यक्ति जो इस विधान सभा में चुनाव द्वारा भेजे गए हैं, दुर्भाग्यवश तीनों एक ऐसी पार्टी से चुने गए हैं जिसमें तीनों सीटों पर हमारे कांग्रेस के नेता नहीं चुने जा सके। हमारे मुख्य मन्त्री जी यह न समझें कि मैं मन्त्री जी का आभारी नहीं। मैंने निजी काम के लिए आज तक कभी किसी मन्त्री से माँग नहीं की है, रुपया सार्वजनिक काम के लिए ही लेना उचित समझता हूँ। जहाँ तक मेरे जिले का सवाल है, वहाँ पर हम लोगों की पहुँच सरकार के पास इतनी नहीं है जिससे हम हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में जनता को कोई मदद दे सकें। पंच वर्षीय योजना में जिन-जिन इलाकों में करोड़ों रुपया लगाया जा सकता है वहाँ पर (बीकानेर में) लाखों तक तो बड़ी बात है हजारों की तादाद में भी रुपया खर्च नहीं किया जाता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उधर (लॉबी में) कुछ शोर हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—कोई भी आवाज नहीं आ रही है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—जहां तक बीकानेर जिले का सवाल है वहाँ लाखों रुपयों का सवाल तो दूर रहा, हजारों रुपयों का सवाल भी नहीं है और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ खर्च नहीं हो रहा है। अतः पंचवर्षीय योजना के लिए तो मुझे यह कहना है कि जहाँ मैं दूसरे इलाकों के लिए और जिलों के लिए बधाई दूं कि पाँच करोड़ रुपये अधिक मिले जब कि पहले १६ करोड़ ही मिले थे, इससे उन जिलों को बहुतायत से फायदा पहुँचेगा, वहाँ मुझे दुख है कि मेरे जिले में उस रकम में से कोई तादाद में रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है।

(११ बजे प्रातः)

समुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बीकानेर डिवीजन में समुदायिक विकास खण्ड के अन्तर्गत एक जगह पर यह योजना काम में लाई जा रही है; यह अच्छी बातें हैं कि उनको राहत मिले। लेकिन ऐसी योजनाओं की सब से ज्यादा जरूरत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में थी, जहाँ पर पीने के पानी की समस्याएं और दूसरी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लिए विकास कार्यों की आवश्यकता है। इससे जनता को बड़ी तादाद में राहत मिलती।

लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य रहा है और हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिससे कि हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकें।

माननीय श्री कासलीवाल जी ने, गवर्नमेन्ट के जो अफसर हैं उनकी तनख्वाह के बारे में जिक्र किया कि उनको ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, यह बहुत बुरी बात है उन तनखाओं को कम किया जाय। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बारे में गांधी जी के क्या विचार थे यह भी बताया था। इसके अलावा कराँची सेशन में काँग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि ५००) रुपये से ज्यादा किसी अधिकारी को वेतन नहीं मिले। मैं मानता हूँ आज की आर्थिक स्थिति में और उस समय की

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

आर्थिक स्थिति में और संसार की आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। जब कि यह प्रस्ताव पास किया गया था उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और उस वक्त उनका ऐसा विचार था। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और इस विचार का हूं कि हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाय और जितनी ज्यादा तनख्वाह दी जायगी उतना ज्यादा जनहित होगा, नहीं तो कोई भी योग्य व्यक्ति अपना नुकसान करके. केवल जनहित के लिए ही बाहर नहीं आयगा। यह तो महात्मा गांधी ही की माता थी जिन्होंने ऐसे पुरुष को पैदा किया, जो केवल जनहित के लिए ही कार्य करते रहे, दूसरी मातायें ऐसे पुत्र को पैदा नहीं कर सकती जो जनहित के लिए अपना सर्वस्व खपा सके और हमें ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिये। जो आजकल की मानव भावना है वह हम लोगों से छिपी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे भारतवर्ष में जो बुरी हालत हो रही है जो जनहित नहीं हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि उनको, कर्मचारियों को, उनकी योग्यता के अनुसार तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर कासलीवालजी के विचार के मुआफिक हमारे राजस्थान में भी यही हालत कर दी गईः जैसा कि श्री कासलीवालजी चाहते हैं कि यहाँ भी टेक्निकल व्यक्तियों को छोड़कर किसी अफसर का वेतन ५००) रुपये से ज्यादा न हो तो भगवान ही इस राजस्थान को बचाये। क्या उन्होंने सोचा है कि इस राजस्थान की क्या हालत होजायगी ? मैं इन विचारों से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को खराब करना हो तो यह कार्य किया जाय। जो इस वक्त की सरकार है उससे जनता को सन्तोष नहीं। वह सन्तोष बहुत कुछ इन अफसरों से ही जनता पा सकती हैं, क्योंकि वे योग्य हैं और उनकी योग्यता के मुआफिक ही वेतन दिया जाना चाहिये। मैं इस विषय में बीकानेर का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ; जहाँ हमारे मन्त्री, मुख्य मन्त्री पधारते हैं और उनका सम्पर्क खास तौर से अमुक पार्टी के साथ ही रहता है और उनके जाने के बाद में वे अपने पीछे वहाँ मित्रता के भाव छोड़ने के बजाय एक दूसरे के बीच दुर्भावना पैदा कर जाते हैं। मगर सरकार के जो उच्च अफसर वहां आते हैं, खास तौर से मैं चीफ सेक्रेटरी के लिए कहूंगा जो तीन या चार महीने पहिले बीकानेर आये थे, वे वहाँ की कितनो ही समस्यायें हल कर चुके हैं। बहुत कुछ सार्वजनिक संस्थाओं के जो झगड़े थे, जिनका सम्बन्ध मुझ से भी था और जिनको सुलझाने के लिए मैं ऊँचे- ऊँचे मन्त्री तक पहुँचा लेकिन उनको सुलझाने में असफल रहाः मुझे खुशी इस बात की रही कि चीफ सेक्रेटरी ने वहां आते ही उन झगड़ों को तुरन्त हल कर दिया। आज हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी को तीन या चार हजार रुपया मासिक वेतन दिया जाता है, अगर उनकी जगह ४००) या ५००) रुपये के व्यक्ति को मुकर्रर कर दिया जाय तो जो हालत आज सरकार और जनता के बीच हो रही है वही हालत हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हो जायगी। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तनुख्वाह कम करदी जाय। योग्य व्यक्ति जो आयेंगे वे अपनी कर्त्तव्यपरायणता के रूप में हम लोगों के साथ काम करने आयेंगे।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में गंगानगर की सुगर फेक्ट्री के मुत्तलिक कुछ कहा। अभिभाषण में इसका ज्यादा उल्लेख नहीं है कि यह मिल वहाँ किस शर्त पर चलाई जाती है, किसके अधीन थी और क्या हिस्सा सरकार का उसमें था और क्या-क्या उसके फेल होने के

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

कारण थे। अगर ये सब बातें उस अभिभाषण में होतीं तो उस पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला जा सकता है; फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी वहां की मैं रखता हूं। मेरे ख्याल में शक्कर बनाने के लिए, पैदा करने वालों की आर्थिक स्थिति का विचार नहीं किया गया बल्कि अमुक फेक्टरी के मालिक का ही ज्यादा विचार गवर्नमेन्ट द्वारा किया गया है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि बीकानेर के कमिश्नर और बीकानेर के दूसरे बड़े अधिकारी को इस सुगर फेक्टरी का मैनेजर नियुक्त किया है और उनका ऑफिस गंगानगर में रख दिया है। जैसे एक व्यापारिक एजेन्ट अपना बस्ता हाथ में लिये हुए, सुगर का नमूना हाथ में लिये हुए हर जगह घूमा करता है, उसी प्रकार आज हमारे बीकानेर के कमिश्नर की दशा उसी एजेन्ट के मुवाफिक हो रही है। आज हमारे सरकारी पदाधिकारियों का जनता के अन्दर क्या मान और इज्जत है? यह इस बात से पता चलता है कि वे आज जिन २०–२५ आदमियों को बुलाना चाहते हैं उनको बुला नहीं सकते। आज वहाँ के डिवीजन के कमिश्नर को एक मिल का एजेन्ट बना दिया गया है: एक सुगर फेक्टरी का मैनेजर बना दिया है। वह ऐसा डिवीजन है जहाँ पर इन्टर्नेशनल बोर्डर लगता है। मौजूदा पाकिस्तान की हालत को देखते हुए, वहाँ के जहरीले वातावरण को देखते हुए, वहाँ के कमिश्नर को एक सुगर फेक्टरी का एजेन्ट बना दिया जाय, जो सुगर का नमूना लिये हुए फिरे, कभी रेलवे मेनेजर के पास जाता है वेगनों के लिए, तो कभी बोरी वालों के पास जाता है बोरियों के लिए, कभी ईख वालों के पास जाता है ईख के लिए। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या इस कार्य को उस अफसर के हाथ में देना उसको जलील करना नहीं है। उनको ऐसे काम के लिए नियुक्त किया जाना चाहिये जिससे वे जनहित कर सकें, डिवीजन की बहुत-सी समस्यायें हैं उनको हल कर सकें। दिन-रात जिन समस्याओं का सामना वहाँ की जनता को करना पड़ता है उनको दूर करने की चेष्टा वे करें।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन करने में श्रीमन् राजप्रमुख फरमाते हैं कि उनकी सरकार ने बहुत अधिक प्रगति की है: उनके लिए मकानात वगैरह बनाये गये हैं। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। बजट में बहुत बड़ी रकम इस कार्य के लिए रखी गई है। इसी रकम में से दो लाख रुपये लगाकर बीकानेर में भी शरणार्थियों के निवास के लिए ५०–६० मकान बनाये गये हैं। उन मकानों को जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन ५०–६० मकानों में से सिर्फ एक दो मकान ही भर पाये हैं। वे शरणार्थी ही वहाँ जाकर बसे हैं जिनको रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसे बुरे और असुविधा वाले मकान बनाये गये हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर रहना पसन्द नहीं करता।

ये मकान सरकार के पब्लिक वर्क्स महकमे द्वारा बनाये गये थे। आखिर उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है फिर चाहे किसी भी महकमे द्वारा बनाये गये हों और जिस खर्चे पर ये बनाये गये हैं वह भी बहुत ऊँची रकम है। उसके मुकाबले में इन मकानों की बनावट कुछ भी नहीं है। तो पचास या साठ जो मकान बनाये गये हैं उनमें करीब-करीब ६० प्रतिशत मकान, आज बनाये हुये उनको डेढ़ साल हो गया, खाली पड़े हैं। अगर मन्त्री महोदय जाकर उनको देखना चाहें तो देख सकते

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हैं। तो, यह सही हालत में आपके सामने रख रहा हूँ इस पुनःस्थापन विभाग के कार्य की। और अगर राज्य का रुपया खर्च करने से ही आपका मतलब है तब तो ठीक है। आप कह सकते हैं कि हमने रुपया लगा दिया, फिर चाहे वह रुपया किसी काम का रहा हो या न रहा हो। पर, अगर आप अपना कोई उत्तरदायित्व बाद में भी समझते हैं और यह चाहते हैं कि वह रुपया सही रूप में, सही काम में खर्च किया गया है या नहीं तो आपको इस पर सोचना होगा।

आप उदयपुर में भी, जो प्रतापनगर बना है अथवा और भी जगह जहाँ ऐसे स्थान बने हैं, वे भी आज खाली पड़े हैं। यह तो सरकार का रुपया खराब किया गया है और जो भाई यहाँ बसने के लिए आये उनको राहत नहीं मिली है। इसलिए अफसोस है कि मैं सरकार की तरफदारी नहीं कर सकता।

श्री कासलीवाल जी ने एक बड़ी महत्व की बात कही और वह है अमरीकन-पाक पैक्ट की। इसके मुतल्लिक, जिसका कि सम्बन्ध इस विधान सभा से नहीं है और जिसका जिक्र करना भी कोई आवश्यक नहीं था, मगर दूसरे सिलसिले में जब जिक्र किया गया है क्योंकि हम पाकिस्तान की सरहद पर हैं तो मैं भी एक-दो शब्द इसके बारे में आपसे बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। उन्होंने अपने व्याख्यान में जागीरदारों से कुछ अपील की है। मैं भी उसका जवाब दो-चार शब्दों में देना चाहता हूँ। अब कोई जागीरदार और गैर जागीरदार का सवाल नहीं है। यह पूरे देश का सवाल है और दूसरी बात यह भी है कि जागीरदार तो अब रह भी नहीं गये हैं। पर, यह हमारे देश का सवाल है। इसमें जागीरदार हों, राजपूत हों, बनिये हों, ब्राह्मण हों, या और भी कोई भी जाति के हों; सबको इसे अपना ही सवाल समझना है। सबका यह अपना सवाल है चूँकि हम सब भारतवासी हैं और यह हमारे इस समूचे देश का सवाल है और इसलिए हरेक देशवासी के लिए फिर चाहे वह राजपूत हो, जागीरदार हो, बनिया या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, यह एक परम कर्तव्य बन जाता है कि देश के हित के लिए, बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए उन्हें सर्वदा तैयार रहना चाहिये और वक्त आने पर अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करनी चाहिये। (विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

पर चूँकि उन्होंने जागीरदारों से और राजपूतों से खास तौर पर अपील की है तो मैं उसके उत्तर में यह कह सकता हूँ, कासलीवाल जी इस समय यहाँ मौजूद नहीं हैं शायद, कि वे पूरा विश्वास रक्खें और साथ ही सरकार को भी विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि खास तौर पर जब जागीरदार और राजपूतों का सवाल आ गया है तो हम लोग कह देना चाहते हैं कि हम लोगों की परम्परा ही यही रही है कि देश के कष्ट-काल में देश के लिए होम हो जावें। हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "Cannon fodder" यानि गोला और बारूद के हम चारा बन जायें।

तो मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और साथ ही कासलीवालजी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक अमुक जाति का प्रश्न है हम "Cannon fodder" होना ही पसन्द

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

करेंगे और पाकिस्तान ने हमारी पवित्र भूमि पर अगर पैर रखने का दुस्साहस किया तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।

(विपक्ष द्वारा "हियर-हियर")

यही बात नहीं, बल्कि किसी भी राजनैतिक दल के लिए यह एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मसला है। हमारे देश में कई राजनैतिक दल हैं। हम लोग किसी खास राजनैतिक दल में नहीं रहे हैं और न हमें इस बात का कभी अनुभव रहा है। अब नया अनुभव हम जरूर रख रहे हैं। मगर इसके साथ-साथ यह भी कह सकता हूँ कि कई राजनैतिक दल इस देश में हैं, पर ज्यादातर हमारे वर्ग के लोग राजनैतिक दल में नहीं हैं। मगर अगर बदकिस्मत से पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के बीच कभी गड़बड़ी हुई तो दस गुना और पचास गुना और सौ गुना भी हम लोग ज्यादा तादाद में अपने आपको हिन्दुस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जावेंगे, बनिस्पत किसी भी राजनैतिक दल के लोगों के, यह तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

(करतल ध्वनि)

अब मैं ज्यादा न कहकर एक विषय पर सिर्फ पाँच मिनट कहने के लिए आपकी आज्ञा मागूंगा, अध्यक्ष जी और वह यह है कि अपने अभिभाषण के अन्त में श्रीमन् राजप्रमुख ने यह कहा कि स्वस्थ परम्पराएँ कायम की जाएँ और इसके लिए आपने हमसे अपील भी की है।

स्वस्थ परम्पराओं के लिए जो आपने फरमाया उनमें से दो तो पहले से ही कायम हो गई हैं और वे यह हैं कि एक तो श्रीमन् राजप्रमुख ने स्वयं ने कायम की है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है, पर उस भाषा में अपना व्याख्यान न देकर उन्होंने अपना व्याख्यान अँगरेजी में दिया। इस तरह एक तो परम्परा यह कायम हुई।

दूसरी परम्परा हमारे सदन में यह कायम हुई कि अभी तक दो साल से जब से कि हमारा सदन चल रहा है और इस अरसे में श्रीमन राजप्रमुख चार बार सदन में पधार चुके हैं पर अब तक वाक-आउट इस सदन के मेम्बरों से कभी नहीं हुआ; पर वह परम्परा भी इस दफा कायम हो गई। ज्योंही राजप्रमुख का अभिभाषण शुरू हुआ कुछ हमारे साथी इस सदन को छोड़कर, अङ्गरेजी में भाषण दिये जाने के प्रोटेस्ट के रूप में, सदन से बाहर चले गये। तो इस तरह दूसरी परम्परा यह कायम हो गई।

और तीसरी परम्परा, मैं आशा करता हूँ, कि इस सदन में जल्दी ही और कायम हो जावेगी और जरूर हो जावेगी और वह यह है कि पिछले वर्ष इस सदन के सत्र में एक एस्टीमेट कमेटी मुकर्रर की गई थी और उस एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट करीब तीन-चार महीने पहले पूरी भी हो गई थी। इस सदन में वह जब आवेगी या नहीं आवेगी या किस रूप में आवेगी, तो वह रिपोर्ट भी इस तीसरी परम्परा को कायम करेगी। सुना जाता है कि सरकार किन्हीं कारणों से इस रिपोर्ट को सदन में

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

पेश करना नहीं चाहती। यह तीसरी परम्परा, जिसके लिए कि राजप्रमुख ने अपील की है इस सदन से और कायम हो जावेगी। तो, जिस प्रकार की ये परम्पराएं कायम की जा रही है वे भी हम इस सदन में देख रहे हैं परम्पराओं का मुहूर्त इस सदन के लिए बहुत अच्छा शुरू हुआ है। हमें देखना है कि ऐसी परम्पराएँ और कितनी हम इस अपील के उत्तर में कायम करेंगे।

अब सवाल रहा राजप्रमुख को धन्यवाद देने का। हाँ, उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, यहाँ पधारें, उन्हें खास पोशाक भी पहननी पड़ी, थोड़ा बहुत यहाँ आकर बोलने का भी कष्ट करना पड़ा, इस सबके लिए हम जरूर धन्यवाद देने के लिए सरकार के साथ सहमत होंगे और इसके लिए धन्यवाद क्यों न देंगे? जरूर देंगे।

यह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री गोपीलालयादव—माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव में एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ जिसका कि नोटिस भी मैंने परसों.........

श्री अध्यक्ष—इन्टीमेशन नहीं मिला आपको?

श्री गोपीलाल यादव—ऑफिस में भेज दिया उसके बाद में मिला है।

श्री अध्यक्ष—Your amendment has been ruled out of order.

श्री गोपीलाल यादव—मैं समझता हूँ, तब संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(विराम)

मैं इस प्रस्ताव के विरोध में अपना भाषण देना उचित समझूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हमारे जिन दोस्तों ने इस प्रस्ताव को रक्खा या जिन्होंने इसका समर्थन किया उनके भाषण इस प्रकार के थे कि वे गवर्नमेन्ट की पोलिसी को मानो आउट राइट कन्डेम (आदि से अन्त तक काट) कर रहे हों और उनके भाषणों से कम से कम मैंने यह नहीं समझा कि वे ऐसा कांग्रेस में या अपने दल में जिक्र करेंगे जो इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद उन्होंने भाषण में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं यह समझ रहा था कि वे प्रस्ताव के समर्थन की हिपोक्रेसी नहीं करेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्तमंत्री) Sir, is the word "hypocrisy" parliamentary?

(विराम)

I really want a ruling of the Chair. Either the word should be ruled as "parliamentary" or it should be withdrawn.

श्री अध्यक्ष—He is ready to withdraw it.

श्री गोपीलाल यादव—मैं हर वक्त वापिस लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम लोगों को आपको बताने का दावा नहीं रहा।

इसलिये अब हम लोगों के अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन सबसे पहले इस बात पर बोलना चाहता हूँ कि यहां पर यह कांग्रेस कैसी चली आई ? हाउस में इसको आने का अधिकार नहीं है। यहां तो दो ही दल बैठ सकते हैं : गवर्नमेन्ट दल और ऑपोजिशन। लेकिन यहां पर कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस है, जिसको हाउस में आने का अधिकार नहीं है यह हाउस की प्रिविलेज पर कांग्रेस दल का आक्रमण है और मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रार्थना करूंगा कि हमें इस आक्रमण से बचाइये।

अब मैं भाषण पर आता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने इसे शुरू से लिया और मैं उनसे उल्टा चलता हूँ, मैं इसे अखीर से लेता हूँ। सबसे अन्तिम चीज जो श्रीमन् राजप्रमुख ने कही वह यह थी कि पिछले साल लेजिस्लेचर ने बहुत अच्छा काम किया, अपने डिस्कशन्स (वाद-विवाद) के वातावरण को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया। मुझे यह पढ़कर ताज्जुब होता है कि राजप्रमुख महोदय को कहना यह चाहिये था कि मेरी गवर्नमेंट ने पिछले साल ऐसा बरताव किया जिससे प्रजातन्त्रीय शासन खत्म हो गया। सारे साल में दोनों सेशन ३० दिन तक चला जिसमें ८ दिन की छुट्टियें आगई और २२ वर्किंग डेज़ रहे। पहले अधिवेशन में बजट और सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स पास हुई और दूसरा अधिवेशन भी सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स के लिये बुलाया गया। इसके अलावा किसी तरह का और बिजनेस नहीं हुआ, किसी तरह का लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हुआ। यह ठीक है कि गवर्नमेन्ट के पास काम नहीं था पर हमने जो बिल पेश किये थे उनके लिये भी कोई समय नहीं दिया गया। दो साल हुए उन बिलों के इन्ट्रोडक्शन की नौबत से आगे नौबत नहीं आई। पूरे अधिवेशन में एक दिन नॉन ऑफिशियल बिल्स, रिज़ोल्युशन्स आदि के लिये रखते हैं। इस रफ़्तार से तो ५ साल के जीवन में ही क्या बल्कि १०० साल में भी नॉन ओफिशयल बिल पास नहीं हो सकेगा। हम इस चीज पर पहुँचते हैं कि राजप्रमुख किस चीज से समझते हैं कि एसेम्बली ने बढ़िया से बढ़िया काम किया। एसेम्बली का अधिवेशन न हो और मेम्बरों को बोलने का अवसर न मिले, यह है हमारे पिछले साल का एचीवमेन्ट।

इसके बाद वे कहते हैं कि हेल्दी पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्शन्स कायम किये जायं। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया जितना और जिस तरह से चाहते हैं विरोधी दल के लोगों को डराकर, धमकाकर व डाँटकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार का कन्वेन्शन हमारे मित्रों ने स्थापित किया है। मुझे बड़ा दुःख है यह कहते हुए कि हम अपने राजनैतिक जीवन में, वे लोग जो जनता को यह कह कर हाउस में आये हैं कि हम सरकार से तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारी हिमायत करेंगे वे ही लोग पार्टीबाजी में पड़कर अपने-कर्तव्य को भुलाकर यदि धोखे में आ जाते हैं तो इसमें दोष उन लोगों का है जो उनको इस तरह से धमकाकर अपनी ओर करते हैं।

[श्री गोपीलाल यादव]

वे कहते हैं कि यदि तुम हमारी पार्टी में आजाओगे तो अधिकारियों पर तुम्हारा अच्छा असर पड़ेगा। वे गवर्नमेन्ट बेंचेज़ में क्यों पहुँच जाते हैं? चोर चोरी करता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती है गवर्नमेन्ट की जो उसे भूखा रखती है। मैंने पहले कहा था कि मेरी गाय चोरी नहीं करती है उसका कारण यह है कि मेरी गाय को पेट भर खाना मिलता है इसलिये चोरी नहीं करती। जो लोग कमजोर हैं उन्हें कहा जाय कि तुम्हारी खुदकाश्त की जमीनें जाने वाली हैं, जागीरें जानेवाली हैं, कई तरह के मामले होंगे, अफसर दबायेंगे, इसलिये तुम ही क्यों न काँग्रेस में आ जाओ ताकि तुम जो कुछ चाहो वह करा सको और किसानों को पीस सको। गवर्नमेन्ट ने सबसे बड़ी परम्परा यहाँ जो डाली है वह यह है कि राजा-महाराजा, जागीरदारों और सेठ साहूकारों का संगठन बना कर किसानों को कुचलना और इसके लिये उन्होंने पूरी तैयारी करदी है।

इसके ऊपर का पेरा है नम्बर २७ का, जिसमें बार-बार कहते हैं कि "...the cumulative effect of which is to take a step forward in the building of a welfare state in Rajasthan."

उनका कहना है कि इन बिलों के पास होने पर नतीजा यह होगा कि वेलफेअर राज्य की स्थापना होगी। राजस्थान की भूखी जनता जिसके पास खाने-पहनने के लिये पैसा नहीं है उसके ऊपर और टेक्सों का बोझा लादकर उन पर बोझ डाला जाय और उनसे कहा जाय कि कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं तो यह कहां तक ठीक है। नये नये कर लगाकर उनको खाने और पहनने के योग्य भी नहीं रहने देना चाहते हैं, उनकी इन्कम आपने किसी भी तरह से बढ़ाई नहीं है और कहते हैं कि इससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी।

इसके ऊपर भाषण का जो २६ वां पैरा है उसमें लिखा है कि ५०) रु. मासिक वेतन से ऊपर वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्श्योरेन्स का प्रबन्ध कर दिया गया है। सबसे पहले दुःख की बात तो यह है कि हमारे यहां राज्य में ५०) रु. की तन्खवाह पानेवाले लोग भी हैं और ५०) रु. से कम पानेवाले भी हैं। लेकिन ५०) रु. से ऊपर पानेवालों को आपने यह लाभ दिया है, तो कम पानेवालों को, जिनको कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने क्यों नहीं कुछ दिया, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया। यदि ऊपरवालों को फायदा पहुँचाना था तो नीचेवालों का क्यों नहीं किया। यदि वे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उनके लिए गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस किसी भी पेरा को देखा जाय उसमें यह मिलता है कि गवर्नमेन्ट गरीबों की तरक्की व पिछड़े हुए लोगों की तरक्की के लिए, चाहे वह मुलाजिमों की तरक्की हो या और किसी की, कोई ध्यान नहीं दे रही हैं।

२५ वे पैरे में आप कहते हैं कि बेकवर्ड क्लासेज़ के लिए १५० स्कूलें और १० होस्टल्स खोले गये हैं। वेकवर्ड क्लासेज़ में वेकवर्ड क्लासेज, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं और इन तीनों के लिए सेन्टर से अलग अलग इमदाद मिलती है। लेकिन जो इमदाद हमें मिलती है वह थोड़ी है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अधिक इमदाद सेन्टर से ला नहीं सकती और वह थोड़ी

[श्री गोपीलाल यादव]

इमदाद एक ही वर्ग को यानी शिड्यूल्ड क्लासेज़ को मिलती है। जितनी स्कूलें हैं, अस्पताल हैं वे सब शिड्यूल्ड क्लासेज़ के लिए हैं। बेकवर्ड क्लासेज़ में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को शामिल कर लिया जाता है जिसके कारण सारा रुपया शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ पर खर्च हो जाता है और एक पैसा भी बेकवर्ड क्लासेज़ पर खर्च नहीं किया जाता, नौकरियों में भी उनको कोई स्थान नहीं मिलता, शिक्षा में उनको कोई रियायत एवं सुविधा नहीं है। मुझे बड़ा दुःख हुआ, यह पढ़ते हुए कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, पर वास्तव में कुछ नहीं किया जाता। आज तक दो साल में बेकवर्ड क्लासेज़ के लिए कुछ नहीं किया गया सिवाय इसके कि थोड़े से वजीफे दे दिये गये। सेन्टर के फाइनेन्स विभाग के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी से मेरी बातें हुई थीं। उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान को हम बहुतसी मदद देना चाहते हैं लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट मदद के लिए ठीक तरह से बेकवर्ड कोम्युनिटीज़ की आबादी और नाम आदि नहीं भेजती। वे कहने लगे कि पिछले साल ४० लाख रुपये बेकवर्ड क्लासेज़ को वजीफों के लिए मुकर्रर किये थे जिनमें से २० लाख रुपये की मदद अकेले मद्रास को दी गई और २० लाख रुपये बाकी सभी स्टेट्स को बांटे गये। मैंने उनसे पूछा कि इतने अधिक रुपये अकेले मद्रास को कैसे दिये गये तो उन्होंने बताया कि हमने सभी स्टेट्स से पूछा था कि आप अपने यहां के बेकवर्ड क्लासेज़ की संख्या बताइये, लेकिन किसी ने भी ठीक तरह से संख्या नहीं बताई; लेकिन मद्रास स्टेट ने बताया कि हमारे यहां की कुल आबादी इतनी है जिसमें से इतने ब्राह्मण हैं और बाकी सब नौन ब्राह्मण हैं, जो सब बेकवर्ड हैं इसलिए उनको २० लाख रुपयों की मदद मिल गई। हमारे यहां के पण्डित भी मद्रास की बेकवर्ड जातियों से कहीं अधिक बेकवर्ड हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सेन्टर को यह लिखना नहीं चाहती कि हमारे यहां इतने बेकवर्ड लोग हैं इसलिए उनको इतना रुपया मिलना चाहिए। इसे आप बेकवर्ड क्लासेज़ की भलाई करना कहते हैं!

इससे आगे शरणार्थियों के बारे में आपने कहा कि जो लोग राजस्थान में आये उनको ठीक तरह से बसा दिया गया है। इन शरणार्थियों से मेरा बहुत सम्बन्ध रहा है और वह राजस्थान बनने से पहले से है इसलिए मैं जानता हूँ कि उनको बसाने के लिए आपने क्या किया है। यदि एक बापू बाजार बना दिया गया तो उससे इनकी समस्या हल नहीं हो जाती।

आज आप अलवर भरतपुर में चले जाइये। शरणार्थियों को १०-१०, पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन दी गई है। उस पर भी किया क्या जा रहा है कि अगर उस जमीन को बोने का इन्त-जाम करने के बाद वह लोग कमाने के लिए दिल्ली या आगरे चले गये और वहां से कुछ कमा लाये, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि १५ बीघा जमीन से साल में एक व्यक्ति चार सौ, पांच सौ रुपया कमा सकता है और उस आमदनी से उन शरणार्थियों के परिवारों का कैसे गुजर चल सकता है जो हजारों रुपया सालाना की आमदनी से अपना गुजारा चलाते थे। इस पर एक मेव वहां शिकायत करता है पटवारी के यहां और उसको कुछ पैसे दे देता है और पटवारी तहसीलदार के यहां शिकायत करता है कि यह दिल्ली चला गया है इसलिए इसका एलोटमेंट केन्सिल कर दिया जाय और इस तरह उसका एलोटमेंट केन्सिल कर दिया जाता है। फिर वह कितना ही पुकारता रहे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती।

[श्री गोपीलाल यादव]

इस प्रकार शरणार्थी बसाये जा रहे हैं। जो सम्पत्ति वे पाकिस्तान में छोड़ आये हैं वे तो उनको मिल नहीं रही है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का जो इवेक्युई प्रोपर्टी का रेकार्ड है उसमें भी बड़ी अजीब पोलिसी बरती जा रही है। हिन्दुओं की जो जमीनें, प्रोपर्टी आदि पाकिस्तान में है उसके मुत-ल्लिक पाकिस्तान कहता है कि यह हमारे यहां के लोगों की प्रोपर्टी है और हमारे यहां ऐसा होता है कि एक जमीनदार ने अपनी जमीन एक साल के लिए काश्त करने को किसी मेव को दे दी और वह मेव पाकिस्तान चला गया तो उसके लिए कहा जाता है कि यह इवेक्युई प्रोपर्टी है जब कि भरतपुर-अलवर के जमींदार कानून के मुताबिक एक साल के काश्तकार को बेदखल कर सकते थे। यहां के लोकल आदमियों की जमीनें हैं उनको पाकिस्तान के आदमियों की जमीनें बता कर इवेक्युई प्रोपर्टी बताया जा रहा है और उधर पाकिस्तान, जो जमीनें हमारे यहां के शरणार्थियों की हैं, अपने आद-मियों की बता रहा है। इस तरह की नीति यहां बरती जा रही है। इस तरह गलत चीज़ कर रहे हैं और यहां के आदमियों की बर्बादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, न तो मेवों को बसाया है और न शरणार्थियों को बसाया है। यहां के जो असली वाशिंदे हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है। पहले मालिक काश्त दर्ज नहीं कराते थे। अगर यहां का कोई लोकल जमींदार है और उसने टीप नहीं कराई है तो किसान अदालत में जाकर टीप दुरुस्त करवा सकता है, परन्तु आज मेव की जमीन के काश्तकार की सुनवाई नहीं होती, वह ऐसा नहीं करवा सकता। किसी गांव में उन किसानों के ४० परिवार २०० साल से रह रहे हैं, माल शुमारी के रजिस्टर में उनके हल बैल लिखे हुए हैं। मेवों ने बिचारों ने आकर एक एक बीघा जमीन को रुपये देकर खरीदा। अफ़सरों को हिदायतें की गई थी कि मेवों को वही जमीन दी जाय जो उनकी खुदकाश्त में वास्तव में थी, मगर उन्होंने उनकी कोई पर-वाह नहीं की। अब हिन्दू काश्तकार भी बगैर जमीन के रह गये और वहां प्रोप्राइटर जो थे उनको भी उनकी तमाम जमींन दे दी गई। यहां से लोग डेपुटेशन लेकर जाते हैं, मौलाना आजाद से मिलते हैं, पाकिस्तान रेडियो पर स्टेटमेंट देते हैं। इस पर यहां पर विचार किया जाता है और जो तरीका सोचा जाता है वह यह कि गरीब अछूत छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको निकाल दो। यह रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का काम राजस्थान में हो रहा है।

एक दो चीज में इस सम्बन्ध में और बता दूं कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? रेवेन्यु के बारे में बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर। आप ताज्जुब करेंगे कि क्या यह भी कोई हुकूमत है। शाहपुरा में एक तेली परिवार का कब्जा एक जमींन पर ४० वर्ष से है, वह चालीस साल से काश्त करता था। एक कांग्रेसी नेता तहसीलदार से जाकर कहता है कि इस जमीन को हमें दिलवा दो। तहसीलदार ने कहा कि मैं दिलवा देता हूँ। एक रिपोर्ट लिखदी कि इस काश्तकार ने चौथाई लगान पेशगी जमा नहीं किया है इसलिए इसकी जमींन जब्त करली जाय। उस बेचारे ने कहा कि साहब ऐसा कोई कायदा ही नहीं था, मैं बराबर इकट्ठा लगान दे रहा हूं। वह केस आखिर में यहां सेक्रेटरी के पास आता है। एक सेक्रेटरी लिखते हैं कि ४० साल से इस जमीन पर इस किसान का कब्जा है, चालीस साल से इस किसान की जमीन है, नहीं छीनी जा सकती। उस सेक्रेटरी का ट्रांसफर

[श्री गोपीलाल यादव]

हो जाता है, दूसरा सेक्रेटरी आता है तो वह लिख देता है कि क्योंकि अब तहसीलदार ने उस कांग्रेसी को उस जमीन का कब्जा दे दिया है इसलिए उसी के रखी जाय। इस तरह की धांधलेबाजी चल रही हैं, इसमें जरूर कुछ गोलमाल है। जिस आदमी को जमीन मिली है वह कांग्रेसी नेता है, मन्त्री महोदय नोट करें, मैं, उनको बताऊंगा सारा पता।

लॉ एन्ड ओर्डर की कुछ तो चीजें मेरे मित्र ने बतलाई। भाषण में राजप्रमुख ने कहा कि ५२ प्रतिशत इसमें कमी हो गई है। ४८ परसेन्ट डकैती हुई। डाकू मौजूद हैं। यह तादाद नहीं बताई है कि ४८ परसेंट में कितने डाके हुए हैं। २००–४०० डाके पड़ गये हैं। हो सकता है कि डाकुओं ने इस साल ४८ परसेन्ट डाके कम डाल कर अगले साल के लिए रिजर्व रखे हों, अगली साल वे शायद ज्यादा डाके डालें।

मुझे मेरे भरतपुर के एक कांग्रेसी मित्र मिले। वे एक औरत को ले कर आये जिसके चोरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस कदर चोरियां हो रही हैं कि वह तांता सा बंध रहा है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं को कहो। उन्होंने जवाब दिया कि मिनिस्टर तो मिलते ही नहीं और दूसरे कोई सुनवाई ही नहीं करते।

तो ऐसा लगता है कि डाकुओं ने डाके डालने के बजाय चोरियां करना शुरू कर दी हैं, डाकू बजाय डाकुओं के चोर हो गये हैं। चोरियों का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है।

कहा गया है कि फूड प्रोब्लेम को हल कर लिया गया है। मैंने पहले ही कहा था कि फूड प्रोब्लेम हमारे राजस्थान में है ही नहीं, पर वह बनाई गई है। बीकानेर में अनाज की निकासी के खिलाफ आन्दोलन हुआ। गवर्नमेंट ने यह शोर किया, इस हाउस में किया, रेडियो पर किया कि राजस्थान में अनाज की कमी है। लोगों ने देखा कि पिछले साल भी लोग अन्न के बिना मर गये थे, इस साल भी मर जायेंगे, इस लिये लोगों ने अनाज की निकासी के खिलाफ आवाज उठाई, आन्दोलन किया; वह सब सरकार के प्रचार के कारण। सरकार की ड्युटी थी कि वह बताती कि राजस्थान में अनाज की कमी नहीं है। सरकार इस अनाज को होर्ड करती है और पब्लिक के करोड़ों रुपये इस प्रकार बरबाद करती है। सरकार यह कहती है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अनाज बाहर से ले आवेंगे। लेकिन यह नहीं कहा गया कि राजस्थान अनाज के मामलों में डेफिसिट नहीं है। यह गवर्मेंट की जिम्मेदारी थी; गवर्नमेंट को यह बात जनता को बतानी चाहिये थी।

आपने फाइनेन्शियल पोज़िशन ठीक होने की बात कही। पिछले साल यह कहा गया कि माली हालत चिन्ता-जनक है और इस साल में बताया कि हमारी फाइनेन्शियल पोजिशन सुधर गई है। जो कहा जा रहा है, तो उस सम्बन्ध में मैं यह पूछूंगा कि यह रुपया कहां से आया? क्या सेन्टर से रुपया आपके पास डेवलपमेंट आदि कामों के लिये आया उसे आपने लोगों को तनख्वाह में लगा

[श्री गोपीलाल यादव]

दिया । समझ में नहीं आता कि आपकी आमदनी बढ़ कहाँ से गई ? आपने कोई नये कर तो लगाए नहीं । पिछले साल कर्जदार थे, अब मालदार कहाँ से हो गये ।

इसके अलावा गवर्नमेंट की एक नीति यह रही है कि वह किसी वक्त कुछ कह देती है और किसी वक्त कुछ । कभी कह देती है कि कपड़े और अनाज की कमी है और अभी उसे निकाल देती हैं । अभी किदवई साहब आये तो अनाज और कपड़ा निकाल कर कह दिया कि इनका इन्तजाम बढ़िया हो गया ।

सरकार ने जनता से १२) रुपये मन अनाज खरीदा जब कि बाजार में वह १६ रुपये बिकता था । अब उसी अनाज को सड़ने के बाद १७ रुपये मन बेचा । क्या गवर्नमेंट का काम प्रोफीटिअरिंग का है ? सरकार को चाहिये था कि वह आज भी उसी अनाज को १२) रुपये मन बेचती और कोई मुनाफा नहीं लेती । इस पर भी सरकार को चाहिये था कि यदि वह सबको नहीं देती तो कम से कम सरकारी मुलाजिमों के लिये जिनकी तनख्वाह ३०) माहवार है उसके लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोलती और उन कर्मचारियों को एक रुपये के ५ सेर के भाव से अनाज देती ।

मुझे यह निवेदन करना है कि जो एमेंडमेंट मैंने भेजा था वह स्वीकार नहीं हुआ । मैं यह कहूँगा कि गवर्मेंट का सबसे बड़ा एप्रीसिएशन (प्रशंसा) यह है कि उसने जनता का जनतन्त्र में विश्वास खो दिया है ।

(कुछ सदस्यो के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर-ऑर्डर !

श्री मोतीचन्द खजांची—अध्यक्ष महोदय, मैं भी श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर प्रकाश डालना चाहूँगा । वैसे तो इससे पूर्व वक्ता इस पर काफी, प्रकाश डाल चुके हैं लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि जो बातें कहनी चाहिये और रह गई हैं उनको कह कर मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूं ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में बतलाया है कि साल भर पहले जब मैंने भाषण दिया था तो एक नैराश्य का वातावरण छाया हुआ था । हमारी आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं थी तथा आज की दशा बहुत कुछ सुधर गई है । मैं यह नहीं समझता कि यह कैसे हुआ ? न जाने हमारी सरकार कैसे इतनी साधन सम्पन्न हो गई है ? मैं तो यह कहूँगा कि आज जनतन्त्र की ओट में जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस प्रकार से पब्लिक भावनाओं का दमन किया जा रहा है वह राज्य लोक कल्याण-कारी राज्य नहीं कहलाया जा सकता, उसको तो पुलिस की गुन्डागर्दी और भ्रष्टाचार का राज्य कहा जा सकता है क्योंकि इन्हीं का बोल-बाला है । इस राज्य को पुलिस राज्य कहना चाहिये न कि गणतन्त्र का राज्य । मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जगह-जगह पर जनता की भावनाओं का पूर्ण रूप से अनादर किया गया और उसका विश्वास खोया गया । वह इस राज्य की सबसे बड़ी जवाबदारी है ।

[श्री मोतीचन्द]

पिछले दिनों जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में जो आन्दोलन हुए उस समय जनता ने जिस प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शित किया और यह बतलाया कि यह राज्य भृष्टाचार का राज्य है और हमारी सच्ची आवाज का दमन किया जा रहा है किन्तु अभिभाषण में उसी राज्य के लिये यह कहा जाता है कि यह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। (राज्य पक्ष द्वारा 'हां-हां') जिस पुलिस ने बीकानेर में जनता का बुरी तरह से दमन किया, टीअर गेसेज़ का प्रयोग किया, लोगों को बुरी तरह से पीटा वह लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं, वह पुलिस राज्य का अच्छा खासा नमूना बन गया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बीकानेर का आन्दोलन एक छोटा-सा आन्दोलन नहीं था। वह गेहूँ के नाम पर आन्दोलन था। लेकिन उसके पीछे जनता के प्रति जो दुर्भावना और वहाँ के लोगों के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किया जा रहा था उस असन्तोष को वहाँ की जनता ने प्रकट करने के लिये एक मार्ग चुना था।

मैं यह मान लेता हूँ कि सरकार यह सोचती है कि उसने गलत या सही कदम उठाया लेकिन इसका स्पष्टीकरण तो होना चाहिये था। आप लेवी हमसे लेते हैं राज्य में अनाज बेचने के लिये और उसी अनाज को बगैर टेन्डर कॉल किये ही आप बाहर भेज देते हैं। क्या यही आपका उद्देश्य है कि ५), ७) रूपये का प्रोफिट करके उसको बाहर भेज दिया जाय ?

इस सम्बन्ध में जब २२ तारीख को बीकानेर में लोग एकत्रित हुए थे, सभाएं हुई थीं, उस समय मैं आपको क्या बताऊं करीब १० हजार व्यक्तियों के सामने वहाँ के प्रमुख नागरिकों को कैसे जलील ढङ्ग से पुलिस के अधिकारियों ने पीटा और टीअर गेसेज़ का प्रयोग किया, उसे देखकर कोई इसे लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकता। उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था लेकिन यह तो पुलिस राज्य है, जनतन्त्र और लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं। इसका प्रमाण भी मैं दूंगा। अभी अभी तारीख ३०-७-५३ को तथा तारीख २१-१२-५३ को माननीय सेशन्स जज ने बीकानेर में दो मुकदमों का फैसला किया है। उसमें बतलाया है कि किस प्रकार पुलिस ने········

श्री अध्यक्ष—Order ! it is not my intention to interfere in the speech of the Member, but, what is desired under the parliamentary convention is to make a general criticism of the whole policy of the Government which is enunciated by way of the speech of the Rajpramukh. The Hon'ble Member is no doubt entitled to centre on a particular point but the citing of instances will be more appropriate when the particular demand comes.

श्री मोतीचन्द—माननीय अध्यक्ष, मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ लेकिन जो यह घटना घटी है वह एक ऐतिहासिक घटना है और इस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मेरा प्रयास विषय से बाहर जाने का नहीं है। मैंने जो बात पुलिस की व्यवस्था और जनता की रक्षा के लिए कही है कि किस प्रकार पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार किया, डकैतियों में कमियें हुईं,

[श्री मोतीचन्द]

किस प्रकार भ्रष्टाचार को कम किया गया है, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है, जैसी कि कही जा रही हैं। मैं यह कहूंगा कि पुलिस भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। पुलिस ने ३०७ के जुर्म में १६ साल से लेकर २२ साल के चार लड़कों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक व्यक्ति दर्शनचन्द्र राजस्थान सरकार के एक विभाग में नौकरी करता था और किसी प्रकार से बीकानेर आया हुआ था। पुलिस वालों ने उससे अनुचित माँग की और धमकाया और आरोप लगाया कि पुलिस पर हमला किया और उसको वगैर कसूर के फंसाया गया। इस सम्बन्ध में सेशन्स जज ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसके कुछ अंशों का भावार्थ यह है—"मेरी राय में उक्त मुकदमे की सारी की सारी कहानी स्पष्ट तौर पर मूर्खतापूर्ण है और बिना किसी अपराध के केवल कुछ निर्दोष व्यक्तियों को फाँसने के लिए ही इसे गढ़ा गया है।"

इसके बाद उन्होंने डी. आई. जी. को एक डी. ओ. लिखा :

"इस मामले में दर्शनचन्द्र नामक एक निरपराध युवक को लगभग ८ महीने तक जेल में सड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस की क्रूरता का उसे यहां तक शिकार होना पड़ा कि बाद में बेहोशी की हालत में पुलिस को उसे अस्पताल भेजना पड़ा और चिकित्सा व उपचार के लिए वहां पर उसे कई दिनों तक रहना पड़ा। इसी तरह दर्शनचन्द्र के साथ के ३ अन्य निरपराध व्यक्तियों को भी लगभग १ साल तक अकारण ही जेल में रहना पड़ा। वस्तुतः यह एक अत्यन्त दुखपूर्ण बात हैं कि आज के जनतंत्र में भी पुलिस के डिवीजनल हेडक्वार्टर तक में छोटे पुलिस अधिकारी इस तरह निर-पराध व्यक्तियों को विभिन्न मामले के मुकदमों में उलझाने में नहीं झिझकते और इसीलिए मैं अपना कर्त्तव्य मानता हूं कि इस तरह के मामले व्यक्तिगत तौर पर भी में आपकी जानकारी में ले आऊं।"

माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह पत्र लिखा था। इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक केस और आता है कि एक निरपराध व्यक्ति लालिया को, जिसके पिता का नाम सादिक था लालिया वल्द फजल खाँ के स्थान पर हत्या के अपराध में पुलिस द्वारा जानबूझ कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सेशनजज ने अपने फैसले में जो लिखा है उसका भावार्थ इस प्रकार है। "सब इन्सपेक्टर पुलिस हेतराम ने जानबूझ कर मामले की जाँच पक्षपातपूर्ण तथा गलत ढंग से की और लालिया वल्द फजलखाँ के बजाय लालिया वल्द सादिक को गिरफ्तार करके अकारण ही महीनों तक जेल में सड़ाया गया। सिटी के एक सबइन्स्पेक्टर पुलिस जैसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के द्वारा किये जाने वाला इस तरह के व्यवहार का शासन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है, वह नितान्त भर्त्सना किये जाने योग्य है तथा अधिकारियों द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।" यह माननीय सेशन जज ने अपने फैसले में लिखा है। अब भी क्या यह पुलिस राज्य नहीं? यह तो एक प्रमाण है। न्यायाधीश ने स्पष्ट लिख दिया है कि किस प्रकार की कार्यवाही आज के जनतन्त्र के युग में की जा रही है। इस प्रकार यह जनतन्त्रीय या लोककल्याणकारी राज्य नहीं किन्तु इसमें तो भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी और लोगों पर जुल्म ढाने का खेल चलता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, "गुन्डागर्दी" का शब्द जो यूज़ किया जा रहा है क्या यह पार्लियामेन्टरी है ? Is it a parliamentary word that he is using every time ?

श्री मोतीचन्द खजान्ची—यह लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सत्य है।

(विपक्ष द्वारा हँसी)

श्री अध्यक्ष—Perhaps the Hon'ble Member does not follow the significane of the word which he uses.

श्री मोतीचन्द खजान्ची (राज-पक्ष द्वारा हर्ष-ध्वनि)—मेरा इन्टेशन यह नहीं है कि........

श्री अध्यक्ष—That is out of ignorance. I also presume.

श्री मोतीचन्द खजान्ची—अब मैं दूसरी बातों की ओर........("इस शब्द को प्रोसिडिंग्ज़ से निकाल दिया जाय" इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह शब्द वापिस लिया जा रहा है।

श्री मोतीचन्द खजान्ची—इसको वापिस लेने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोसिंह (दाँता रामगढ)—इस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त ही क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि बोलने वाले को खुद सोच-समझ कर बोलना चाहिये।

श्री मोतीचन्द खजान्ची—अब मैं मुख्य बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में बेकारी और बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने यही बताया कि आर्थिक कठिनाइयों से गुजर करके बहुत कुछ स्थिति पर काबू पा लिया गया है। यह नहीं बताया गया कि आज की इस भूखी जनता को जहाँ बेकारी और बेरोजगारी फैली हुई है, किस प्रकार से रोजी दी जाय। श्रीमन् राजप्रमुख ने आशाप्रद और सराहनीय शब्दों में बता दिया है कि जो कुछ कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है वह बहुत ही सफल कही जा सकती है किन्तु जहाँ तक सरकार की इस नीति पर प्रकाश डालने का सवाल था उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। बेकारी और बेरोजगारी की समस्याएं आज भयंकर रूप से व्याप्त हो रही हैं। किसी समय यह कहा जा सकता है कि ऐसा तूफान आयगा कि जिसमें जनतन्त्र और अन्य हमारी जो सारी इस प्रकार की प्रणालियाँ हैं उन पर से जनता का विश्वास उठ जायगा। श्रीमन् राजप्रमुख ने बताया है कि डाके इत्यादि की जो घटनाएँ हुई हैं वे सब आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही हुई हैं। तो, वही मार्ग लोग आर्थिक कठिनाइयों के वशीभूत होकर अख्तियार कर लेंगे तो क्या वजह है कि उसकी रोकथाम के लिए कोई योजना उपस्थित नहीं की गई।

[श्री मोतीचन्द खजांची]

दूसरी बात आती है पंचवर्षीय योजना के विषय में। पंचवर्षीय योजना के विषय में सरकार की प्रगति का प्रमाण यह है कि बीकानेर में भाखरा-नांगल योजना आ रही है और वहाँ पर (अभी इसी साल जून में) जैसा कि सरकार ने बताया था कि पानी मिल जायगा जिससे हमारी उधर की भूमि शस्यश्यामल हो उठेगी। लेकिन, यह कहते हुए खेद होता है कि जिस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर के एक विशेष भाग में १२ लाख एकड़ भूमि सिंची जाने योग्य थी वह राजस्थान सरकार ने ६ लाख एकड़ कर दी थी और अब पांच लाख एकड़ कर दी है। मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है जिसमें पाँच लाख और कितने ही हजार एकड़ भूमि बतायी गयी है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति है उससे क्या सफलता मिल रही है ? मैं आपको यह बता दूँ कि बीकानेर को इस साल पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पंजाब के दूसरे भागों को पानी लगने वाला है।

अब सड़कों के विकास की बात आती है। इस चालू वर्ष में तथा वर्षों में बीकानेर से गंगानगर तक की सड़क के लिए बजट में १०-१० लाख रुपये रखे गये किन्तु दस पैसे भी खर्च नहीं हुए। ८५ लाख की योजना बनाई गई थी। इस साल के बजट में जो रकम रखी गई है, वह भी लैप्स होने वाली है और इस साल रखी जायगी वह भी लेप्स हो जायगी। इसलिए सारे बीकानेर के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं किया गया है ? यह तो केवल दिखावा-मात्र रह गया है। अतः मैं इतना बता दूँ कि जैसी लोक-कल्याणकारी राज्य बनाने की योजना बनाई गई है उसमें भारी भूल रखी गई है और इसको कल्याणकारी राज्य के बजाय सितमकारी राज्य बनाया जा रहा है।

बिक्री कर आ रहा है। जनता को भय हो रहा है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा जकात उठाई नहीं गई है, तो इस हालत में आवश्यक भी नहीं है कि बिक्री कर लगे। मैं यह कह दूँ कि जनता का शोषण करने का यह सरल तरीका है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं बल्कि पुलिस राज्य है जिसके प्रमाण मेरे पास हैं। अतः धन्यवाद देने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसके खिलाफ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो सुझाव रखे गये हैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उदयपुर डिविजन से हाजिर हो रहा हूँ।

(१२ बजे मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is speaking at an odd hour.

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—He is not a Sardarji.

श्री जगतसिंह झाला—एक सदस्य महोदय ने यह फरमाया था कि बीकानेर डिविजन में जो विरोध हुआ था उसमें राजनैतिक पार्टियों का हाथ था। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उदयपुर बिजलीघर के मामले में तो किसी पार्टी का हाथ नहीं है। वैसे कांग्रेस भी उसमें शामिल है। इस प्रकार से दूसरी पार्टियाँ भी हैं किन्तु फिर भी सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस मामले

[श्री जगतसिंह झाला]

में भंडारी द्वारा रेट्स बढ़ाई गई। असहयोग आन्दोलन हुआ। सरकार से निवेदन किया गया किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमें इस बात का जरूर दुख है कि उदयपुर डिविजन से तीन मंत्री महोदयों के सरकार में होते हुए भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको यह भी निवेदन कर दूँ कि उदयपुर का बिजलीघर का आन्दोलन किसी पार्टी का आन्दोलन नहीं है। यह आन्दोलन जनता का है और इस ओर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में जिन-जिन बातों पर कहा गया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिससे कि मैं आ रहा हूँ उनका पालन नहीं हो रहा है। जैसे पुलिस के लिए फरमाया गया कि इतने कैदी पकड़े गये, इतनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और शान्ति की व्यवस्था कायम हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के डूँगला तहसील में एक घटना घटी है। वहाँ के चिकारड़े ग्राम में दिन-दहाड़े डाकुओं ने गाँव को लूटा और उस डाके में एक आदमी को मार भी दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ राजस्थान की शान्ति-व्यवस्था की क्या स्थिति है ? केवल कुछ इलाकों में शान्ति व व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि तमाम राजस्थान में शांति-व्यवस्था की स्थिति ठीक हो गई है। इस डिस्ट्रिक्ट के पहले बहुत शांति थी, लेकिन यह घटना इसी साल की है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की जेल से कुछ कैदी फरार हो गये हैं। इधर तो कैदियों को पकड़ा जाता है और उधर वे कैदी जेल तोड़ कर भाग निकलते हैं। यह है हमारी राजस्थान की सरकार की कार्य-कुशलता का परिणाम। इसके अलावा मैं आपको चित्तौड़ की उन खास-खास बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके कारण वहाँ की जनता को काफी परेशानी है; जिनके साथ वारदातें हो रही हैं। श्री माणिक्यलाल वर्मा के चुनाव में खड़े होने के कारण उन दिनों वहाँ पर इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थीं कि चित्तौड़ में नल की व्यवस्था होने जा रही है। उनके चुनाव में हार जाने के बाद वहाँ नल नहीं लगे और जिन्होंने नल लगवा लिये उनके नल बिना पानी के खराब भी हो गए। वहाँ पानी का इतना कष्ट है कि कहा नहीं जा सकता।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूँगा।

(विराम)

मैं आपके सामने बड़ी सादड़ी और कपासन कॉन्स्टिट्यूएन्सी की हालत पेश करना चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आये, इसलिये इस क्षेत्र को नजर से ओझल कर दिया गया है हर मामले में। मैं स्कूल्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी बड़ी सादड़ी में वहाँ

[श्री जगतसिंह झाला]

की जनता ने दस हजार रुपए लगाकर एक बिल्डिंग तैयार करदी है और सरकार से निवेदन किया गया है कि वहाँ हाई स्कूल बिल्डिंग में सहायता दे. किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि बड़ी सादड़ी ५० हजार की आबादी की तहसील है। उसके अन्दर एक हाई स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और कुछ प्रारम्भिक पाठशालायें हैं। हमने शिक्षा मन्त्री से दो-चार बार निवेदन किया कि दूसरी तहसीलों के अनुपात से हमारे यहाँ भी उतनी ही प्रारम्भिक पाठशालायें होनी चाहिए, किन्तु उन्होंने इस पर कुछ भी गौर नहीं किया। नये ३०० प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हैं किन्तु बड़ी सादड़ी उगला की दो तहसीलों में एक भी प्रारम्भिक स्कूल नहीं खोला गया हैं।

अब मैं आपसे हॉस्पिटल्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। डूँडला में एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर डाक्टर की भी व्यवस्था है। वहाँ के लिये डाक्टर की बजट में व्यवस्था होते हुए भी दो साल से किसी डाक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है कम्पाउन्डर से काम चलाया जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है। अगर आप नये हॉस्पिटल्स कायम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किन्तु कम से कम जहाँ हॉस्पिटल्स मौजूद हैं वहाँ पर अगर आप डाक्टर नहीं रखें तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है?

हमारे यहाँ कपासन में सहकारी समिति ग्राम-सुधार विभाग की ओर से चलाई जाती थी। हमारे माननीय मन्त्री, जिनके पास सहकारी विभाग है. मावली से चुनकर आये हैं इस वजह से ग्राम सुधार विभाग का कार्यालय कपासन से मावली हटा दिया गया है; क्योंकि कपासन की जनता ने कांग्रेस को हराया है। इस प्रकार हर काम में पक्षपात-पूर्ण रवैया बरता जा रहा है। इस प्रकार केवल इन विभागों में ही नहीं हर विभाग में इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्य होते रहते हैं। इसी प्रकार मैं निवेदन करूँगा कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी यही बर्ताव सरकार बरत रही है। बड़ी सादड़ी में जहाँ म्युनिसिपैलिटी कायम होनी चाहिये नहीं की गई और दूसरी जगह कायम करदी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस सदन में गवर्नमेन्ट के जो नये सदस्य आये हैं उनका और विशेषकर जो नव-निर्वाचित महिला आई हैं उनका मैं अभिनन्दन करूँ। न सिर्फ इसलिये कि कांग्रेसी सरकार के और मन्त्रियों के दौरे के दबाव के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को करारी हार दी बल्कि इसलिये भी कि वे पहली महिला सदस्या हैं जिन्होंने विधान सभा में पदार्पण किया है और राजस्थान के इतिहास में नये गौरवपूर्ण अध्याय के शुरू करने का श्रेय उनको प्राप्त है। (हर्ष-ध्वनि)

श्रीमन् राजप्रमुख का बहुत अच्छे आर्ट पेपर पर छपा हुआ भाषण पढ़ने को मिला। माननीय मथुरादास जी धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय न मालूम यह बात क्यों भूल गये? उन्होंने उनको इसके लिये धन्यवाद देना शायद इसलिये ठीक समझा हो कि राष्ट्रपति का भाषण भी इतने अच्छे कागज पर नहीं छपता जितने अच्छे कागज पर हमारे राजप्रमुख का भाषण छपा है। लेकिन रोज-रोज सदन में इस प्रकार राजप्रमुख का भाषण सुना जाय और रोज-रोज उनके धन्यवाद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दिया जाय। उनको धन्यवाद देने के पहले क्या उन महानुभावों ने, जो धन्यवाद देने के पक्ष में हैं, कभी यह सोचा है कि यह राजप्रमुख संस्था, राजस्थान के राजप्रमुख की संस्था उनके लिए कितनी मँहगी पड़ रही है। १८-१८ लाख रुपये महाराजप्रमुख और राजप्रमुख को दिये जाँय, १० लाख रुपये उप-राजप्रमुख को दिये जाँय और ६॥ और ६ लाख रुपये उनको भत्ते के रूप में दिये जाँय, इसके अलावा एक-एक लाख रुपया उपराजप्रमुख को प्रिविपर्स के अलावा भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। इसके अलावा राहत का काम करने के लिए उदयपुर के महाराणा साहब को ५ लाख रुपये चेरिटी के लिये दिये जाते हैं और फ्री बिजली-पानी के लिए २ लाख रुपये, मकान की रिपेयर के लिए ८० हजार रुपये दिये जाते हैं, हवाई जहाज के मेन्टीनेन्स के लिए एक लाख रुपया और बिजली पानी के लिए डेढ़ लाख रुपया इस प्रकार अगर हिसाब लगाया जाय तो करीब ७० लाख रुपया राजस्थान की जनता का बरबाद हो रहा है, महज इसलिये कि राजप्रमुख संस्था कायम रहे और महज इसलिये कि राजप्रमुख महोदय साल में एक बार अभिभाषण दे जाँय और फिर हम रोज-रोज खड़े होकर उनको धन्यवाद देने का प्रस्ताव पास करें। मैं यह समझता हूँ कि इन सब चीजों से राजस्थान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसको दूर किया जाय, इसको रद्द किया जाय। लेकिन हमारा उद्धार इस संस्था से कब होगा, आज तो ऐसा मौका नहीं है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि इस प्रकार धन्यवाद देने वालों की आबादी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के पक्ष के सदस्यों की जो आबादी बढ़ रही है उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि राजप्रमुख की संस्था के खत्म होने में देरी है।

अब जो राजप्रमुख का भाषण हमारे सामने है उसके बारे में मैं एक ही शब्द में निचोड़ निकालना चाहता हूँ। वह यह कि यह भाषण राजनैतिक तौर पर एक बहुत बेन्करप्ट (दिवालिया) भाषण है। इसमें न कोई महत्त्वपूर्ण चीज़ का जिक्र है और न वास्तविक स्थिति का वर्णन ही। हालाँकि उनके भाषण में राजस्थान की घटनाओं का जिक्र किया गया है, उनमें से एक मुख्य बात यह है कि हम केन्द्र से अमुक-अमुक मद के अन्दर इतनी ज्यादा रकम प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। इससे पता यह चलता है कि अब हमारी सरकार का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वह केन्द्रीय शासन से ज्यादा से ज्यादा रुपया प्राप्त करे।

और अगर यही है दृष्टिकोण भाषण तैयार करने वालों का तो मैं कहूँगा कि यह राजनैतिक तौर पर दिवालियापन है। नहीं तो जिक्र करना चाहिये था राजस्थान की जलती हुई समस्या का, जो आज राजस्थान की ही नहीं सारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या बन रही है। मैं तफसील में नहीं जाता, पर कहता हूँ कि आज क्या हालत है राजस्थान की; जिसकी ओर ध्यान जाना चाहिये था इस सरकार का और वह है समस्या बेरोजगारी की। सारा का सारा भाषण पढ़ गया पर राजस्थान में फैली हुई इस भीषण बेकारी के सम्बन्ध में कोई जिक्र तक राजप्रमुख के इस सारे के सारे भाषण में कहीं नहीं आया। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यह न सिर्फ राजनैतिक तौर पर दिवालिया-पन का ही सुबूत है पर हृदयहीनता का भी सुबूत है, हृदय की कठोरता का एक जीता-जागता नमूना है, आम जनता के हित की जो भावना की कमी है उस जनहित की विरोधी भावना का द्योतक है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस भाषण में इसके बजाय मिलता है दिल्ली से लाये हुए रुपयों का जिक्र। लेकिन देश के मजदूर, बेकस, फाँकेकश और गरीब किसान और गरीब लोग आज बेकारी के मारे दर-दर मारे फिर रहे हैं, जिसके लिए जिक्र तक नहीं मिलता इस भाषण में।

इसके अतिरिक्त बीच में इससे भी गम्भीर घटनाएँ हुई हैं और जिसका थोड़ा जिक्र मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंह ने किया अपने भाषण में। पर मैं भी जिक्र करूंगा कि जिस पिछले वर्ष की सफलताओं का तथाकथित गुणगान इस भाषण में किया गया उसी एक वर्ष में ऐसी घटनाएँ घटी हैं इस राजस्थान में कि जैसी शायद राजस्थान के इतने लम्बे इतिहास में तो आज तक नहीं घटीं; पर हिन्दुस्तान के इतिहास में भी ऐसी बहुत ही कम घटनाएँ हुई हैं। पिछले वर्ष सितम्बर महीने में इस जयपुर शहर में १३ दिन तक आम हड़ताल हुई, बाजार बन्द रहे, एक भी दूकान नहीं खुली और इस प्रकार इस सरकार की नीति के प्रति जो एक जबर्दस्त रोष था लोगों के अन्दर, उसका इस रूप में प्रदर्शन हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे अपने इन सरकारी साथियों से कि क्या आजतक ऐसी कोई मिसाल हुई है इस राजस्थान में कि जहाँ तेरह-तेरह दिन तक लोग हड़ताल किये बैठे रहे और अपना भीषण रोष व्यक्त करते रहें? क्या हिन्दुस्तान के और किसी नगर में ऐसी मिसाल आप प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ १३ (तेरह) दिनों तक सम्पूर्ण बाजार बन्द रहा हो?

इसके बाद अभी पिछले महीने बीकानेर की हड़ताल हुई और २२ दिन तक लगातार आम लोगों ने हड़ताल रक्खी, सारा कारोबार बन्द रक्खा, सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वह बेमिसाल है।

इसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह तो राजनैतिक पार्टियों ने अपने हित के लिए एक स्टन्ट खड़ा किया था। मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री अब बहस का जवाब देंगे तो यही कहेंगे कि कुछ गड़बड़ करने वालों ने, कुछ परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाने वालों ने सारा आन्दोलन और स्टन्ट चलाया था; पर मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि अगर आम जनता की पूरी-पूरी सहानुभूति उन राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ न होती, आज की सरकार की नीति के प्रति उनके दिलों में असन्तोष की तीव्र भावना न होती कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो लाख सिर पटक लें यहाँ के राजनैतिक कार्यकर्त्ता, लाख बहकाने वाले हों, लाख स्टन्ट करते हों पर अगर बुनियादी असन्तोष अगर जनता में नहीं होता तो ये सब किसी को भड़का नहीं सकते, जबकि हजारों-लाखों की तादाद में २२-२२ दिन तक के लिए हड़ताल रक्खी गई और इस तरह सरकार की नीति के प्रति आम जनता में व्याप्त तीव्र असन्तोष और रोष व्यक्त किया गया। और आज हमारे मुख्य मन्त्री को जहाँ वे जाते हैं, जिस इलाके और जिस जगह का दौरा करते हैं और जो कहते थे कि आपसे पहले मैं बीकानेर को जानता हूँ, मैं बीकानेरियों को जानता हूँ, वहाँ-वहाँ काले झंडों से स्वागत किया जाता है और अगर इन सब जगहों पर मुख्यमन्त्री जिन्दाबाद के नारे लगाने वाला कोई मिला तो वह भी डी० आई० जी० मिला। और अगर ऐसी हालत पैदा हो गई है राजस्थान में तो ऐसी राजस्थान की तस्वीर कहाँ मिलती है, इसका कहां जिक्र मिलता है राजप्रमुख के इस भाषण के अन्दर। इसलिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहता हूँ कि असलियत को छिपाया गया है। न इस भाषण में जिक्र है जयपुर और बीकानेर की घटनाओं द्वारा लोगों के व्यक्त तीव्र असन्तोष का, न जिक्र है आज की इस राजस्थान की सरकार के बारे में जनता की तिरस्कार की भावना का जो उसकी नीति के विरुद्ध व्यक्त कर रही है और न जिक्र है बेकारी की भीषण समस्या का जो आज राजस्थान की ही नहीं सारे देश की विषम समस्या बनकर खड़ी हो गई है और इसलिए इस भाषण का जो निचोड़ है वह पेज नम्बर २ में मिलेगा। उसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार से हमें बहुत मदद मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंगें बनाने के लिए लाखों रुपया मिलेगा और ज्यादातर रुपया हमें पुलिस स्टेशन बनाने के लिए मिलेगा। यह निचोड़ है राजस्थान की सरकार की नीति का और इसलिए कहूँगा कि कोई तथ्य नहीं है इस भाषण में जिसके बारे में मैं जिक्र करूं और जिस पर बहस की जावे इस सदन में।

लेकिन कुछ विशेष बातों का जिक्र किया गया है। गंगानगर की एक सुगर मिल के बारे में जिक्र जरूर इसमें किया गया है। मैं पूछता हूँ क्या वह नीति-सम्बन्धी बात है कोई सरकार की, ऐसा सोचा जावे या वह कोई इतनी अहमियत की बात है जिसका खास तौर से इस राजप्रमुख के भाषण में जिक्र किया गया है। यह तो सरकार के जो जवाब देने वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं वही बताएंगे। पर, जिक्र किया गया है गंगानगर की शक्कर बनाने के कारखाने का। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन-सी नीति सरकार की तय हुई, ऐसी कौन सी बड़ी भारी व्यापारिक योजना शुरू हुई है कि जिसका जिक्र इस भाषण में करना जरूरी समझा गया और अगर जिक्र किया भी गया तो खैर कोई बात नहीं, पर अफसोस है मुझे कि जो जिक्र किया गया है वह भी गलत है। कहना तो चाहिए इसे कि झूँठ कहा गया है पर शायद मेरे मित्र यह कह बैठें कि यह शब्द पार्लियामेन्टरी है या अनपार्लियामेन्टरी इसलिए मैं अङ्गरेजी में इसे इनएग्ज़ेक्टिट्यूड का एक नमूना कह कर ही छोड़ दूँगा। इसमें कहा गया है कि हमने फेक्ट्री का मेनेजमेन्ट (प्रबन्ध) अपने हाथ में ले लिया। मैं कहता हूँ मेनेजमेन्ट नहीं लिया आपने, आपने तो ठेका लिया है। आपने इस बात को कबूल किया है कि करीब-करीब लाख रुपया, डेढ़ लाख रुपया इसके एवज में देना तय किया है; जिसे एक प्रकार से लीज़ कहते हैं। इसे मेनेजमेन्ट कहना अपने आपको धोखा देना है। फिर यह ऐसा कौनसा कारखाना है जिसमें सरकार ने लेने की कोई चीज़ सोची। यह वह कारखाना है जो पाँच लाख रुपया सालाना घाटा देता रहा है और जिस कारखाने के बारे में यह बात है कि जो सारे हिन्दुस्तान में ब्लैक रजिस्टर में दर्ज है। इसे अगर सरकार ने लिया है तो यह घाटे का सौदा है। लेकिन सारा मामला श्री रामनाथ पोद्दार के पक्ष में करना था या कुछ रुपया लेना था। क्या करना था यह तो वही जानें। दुनिया में लोग कहते हैं कि उसके साथ पैसे के लेन-देन का सौदा हुआ और इसलिए यह हुआ! पर यह तो तय है कि इसमें नीति-सम्बन्धी कोई बात नहीं थी।

दूसरी बात, एक और विशेष जिक्र किया गया है कि जितना अनाज का स्टॉक था सरकार के पास में वह सरकार का ज्यादा स्टॉक सरकार को बेचना पड़ा। इसका श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिक्र किया है। मुझे समझ में नहीं आया कि यह लुके-छिपे क्यों जिक्र किया? जैसा साफ-साफ श्री

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मथुरादास ने कहा, इसकी तरह ही बीकानेर से निकाले जाने वाले इस अनाज का साफ तौर से जिक्र करते तो ठीक होता। लेकिन क्यों जिक्र करते ? मैं उन तफसीलों में नहीं जाना चाहता जो इस विषय में बीकानेर में हुई हैं, पर जरूर एक उसूल का सवाल उठाना चाहता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न उठा लिया गया है।

कहा गया है कि बीकानेर के आन्दोलन का आधार, उसका उसूल और उसका मूल ही गलत था। पर इसके विपरीत मैं यह कहूँगा कि राजस्थान की सरकार की नीति गलत थी। सरकार की नीति के अन्दर ही गलती थी।

क्या किया सरकार ने ?

आज से साल भर पहले दो साल पहले लेवी के रूप में अन्न लिया और खाद्यमन्त्री गौर देकर सुनें और मैं चाहूँगा कि वे इसके बारे में स्पष्ट करें कि यह लेवी के रूप में गल्ला बारह और साढ़े ग्यारह रुपया मन के भाव से लिया गया और इसके बाद अचानक सरकार के दिल में आया कि बाजार में जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसको यह गल्ला बेचेंगे। यह किस लिए ? पंजाब ले जाने के लिये। किसलिए ? इसलिए कि पंजाब की सरकार खुद मेंदा बनाने के लिए अपने यहाँ का स्टोक नहीं देती, क्योंकि वहाँ गल्ले का अभाव है। कैसी अनोखी बात है कि राजस्थान पंजाब को गेहूँ भेजे। यह तो बात हुई "उल्टे बाँस बरेली को" वाली।

इसलिए कह दिया जाता है लेने वाला पंजाब और देने वाला कौन—अनाज के बारे में भूखों रहने वाला राजस्थान ? वाह रे नीति ! जो सरप्लस होता है उसे दिया जाता है और अभाव ग्रस्त की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता। यह नौबत क्यों आई ? यह भी मैं साफ कर दूँ। यह नौबत इस लिए आई कि पंजाब की सरकार गल्ला मैदा बनाने वाली मिलों को देने को तैयार नहीं थी, पर राजस्थान की सरकार उन्हीं मिलों को मैदे के लिए गल्ला बेचने को तैयार हो गई। आपने जबर्दस्ती गेहूँ लिया किसानों से और लेकर उसे बेचा मुनाफाखोरों के हाथ। तुम्हारे भाई भूखों मर रहे हैं, पर तुमने उनको अनाज नहीं दिया। उनको बाँटने के लिये सस्ते भाव पर देने की हिम्मत इस सरकार की नहीं हुई। हमने कहा भूखी जनता को खाने लायक अनाज यहाँ छोड़ दो और इसके बाद बाकी दूसरे जिलों में भेजो; पर सरकार ने यह नहीं सोचा। उसने तो मुनाफा कमाने की सोची और कहा कि जो सबसे ज्यादा कीमत देगा वह अनाज उसी को बेचा जावेगा। तो, ऐसी स्थिति में जनता बराबर आपसे कहेगी कि आप ऐसा न करें। आपको अगर गल्ला बेचना ही था तो आप राजस्थान में ही बेचते ; उसे बाहर क्यों जाने दिया ? यह बीकानेर का स्थानीय सवाल नहीं था बल्कि सारे राजस्थान का सवाल था। जब यह पूछा गया कि यहाँ क्यों नहीं बेचा तो जवाब दिया गया कि यहाँ खरीदने वाले नहीं थे। पर, मैं फिर पूछता हूँ कि आपने दिसम्बर-जनवरी का महीना गुजार दिया इसी इसी में। आप इस दिसम्बर और जनवरी के महीने के छपे हुए अखबार देखिये; उसमें आँकड़े दिये गए हैं। इसमें चूरू के अन्दर १६) रुपये मन की गेहूँ की कीमत दिखाई गई हैं और झुंझुनूं में १८॥) रुपये की कीमत दिखाई गई है;

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं यह पूछता हूँ कि जो १६।।।) के गेहूँ जो व्यापारी को आप दे रहे थे वह बाजार में १६) की कीमत देने के बाद भी क्यों उन्हें इन्कार कर रहे थे। क्या चूरू की जनता तैयार नहीं थी १८।।।) की कीमत पर गेहूँ लेने के लिए।

और ४५२ मील लम्बा चौड़ा जो अकाल का क्षेत्र आपने कायम किया, वहाँ सस्ता अनाज बेचने के लिए आप सस्ते अनाज की दुकानें खोल सकते थे। यह सब कर सकते थे। पर आपने बेचा, उसे बाहर भेजने के लिए। तो मैं पूछता हूँ क्या मतलब है आपका इससे ?

आप यह कहते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक है उसका चाहे जो करें, आपको यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमने उसे क्यों बेचा या क्या किया, पर हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। यह सब पूछने का हमारा अधिकार है और इसलिए अधिकार है कि जिस समय गेहूँ लेवी में लिया गया था उस समय विशेष अधिकारों से बाजार-भाव से कम भाव पर लिया गया था और यह कहा गया था कि आम जनता के हित के लिये यह लिया जा रहा है। यदि सरकार उस समय यह कहती कि बाजार में व्यापार करने के लिए लिया गया या और मतलब सिद्ध करने के लिए लिया गया तो स्थिति दूसरी होती। लेकिन जन-हित के नाम पर आपने १२) रु० या ११।।) रु० मन के भाव से लिया और फिर अब आप उसे १७) रु० मण के भाव से बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं यह कैसे हो सकता है ? आपकी यह बेजा हरकत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। यदि कोई कहे कि यह उसूल नहीं था बीकानेर की हड़ताल के पीछे तो वह झूठा है। आप यह कहते फिरते हैं कि आन्दोलन इसलिए ढीला पड़ गया है कि आन्दोलन-कारियों ने अब अपना दिमाग बदल दिया है, इस प्रकार के बार-बार बयान निकाले हैं। XXXX दिमाग बदलने का काम उनका है, हम कभी अपना दिमाग नहीं बदल सकते। चाहे आप हमें एक मास कारावास में रखें या एक साल रखें तो भी हमारा दिमाग नहीं बदलेगा। यदि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ करेगी, या भ्रष्टाचार करेगी तो सरकार के साथ हम लड़ेंगे। कहा जाता है कि लोगों ने वहाँ हिंसा का प्रयोग किया और लोगों ने राजनैतिक फायदा उठाने के लिये ये सारी बातें कीं, यह सब झूठ है। आपकी पार्टी के कल तक के कार्य-कर्ता श्री राजवतमल जं. कोचर के सर के ऊपर, जो कि बीकानेर की जनता के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं बीकानेर के डी. आई. जी. ने ठोकर लगाई और गाँधी टोपी को पैरों तले रौंदा रावतमलजी का कुर्ता खून से भीग गया। आप में से यदि उस कुर्ते को देखना चाहें तो वह अब भी मौजूद है। फिर आप कहते हैं कि वहाँ जनता ने अन्याय किया है। हाँ, कुछ पत्थर फेंके गये हैं। उनसे सात काँच टूटे और सात काँचों की कीमत निकाल लीजिये। पाँच सात रुपये की कीमत का नुकसान हुआ होगा; लेकिन जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सर फूटे उनमें से कुछ यहाँ जयपुर में मौजूद हैं। माणकचन्दजी सुराना जैसों को डण्डों से पीटा गया। इसके बाद लगातार बात-चीत करके इसे समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन जो सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि गेहूँ स्टॉक में है हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है तो मैं यह कहूँगा कि यह गलती है। मुनाफा करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। मुझे मालूम है कि ३ करोड़ रुपये का

XXXX यह अध्यक्षीय आज्ञा से निकाला गया।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिविल सप्लाइज़ विभाग में घाटा है और १।। करोड़ या सवा करोड़ के करीब स्टॉक है। इसके लिए गड़बड़ी पैदा हो गई है। ईपीरियल बैंक ने ओवर ड्राफ्ट देना बन्द कर दिया है। पर इनके लिए जनता से लूट कर ३०-४० लाख रुपये इकट्ठे करके बैंक में जमा करने से काम नहीं चलता। इसलिये मैं कहूँगा कि राजप्रमुख के भाषण में यह जिक्र किया गया है कि हमने ज्यादा स्टोक बेच दिया है; यह बहुत अच्छी बात है; मैं कहूँगा कि यह सबसे बड़े अन्याय की बात है।

माननीय अध्यक्ष, यह कहा जाता है कि वह सड़ा हुआ अनाज था। शायद सरकार यह भूल गई कि एक महीने पहले ही सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट दिया गया था कि कितना अनाज सड़ गया है। शायद सरकार इस बात को भूल गई कि बीकानेर में ५-६ हजार, मन से ज्यादा एक दाना भी जरा भी खराब नहीं था। अगस्त में लेवी ली गई थी। यदि आप कहते हैं कि सड़ा हुआ अनाज है तो निश्चितरूप से इसकी जाँच क्यों नहीं कराई जाती, जिससे पता चले कि कौन नालायक है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कौनसा अन्वेषण हुआ है कि जो गेहूँ खाने के काबिल नहीं है उसका मैदा कैसे बन जायगा। यदि इस गेहूँ का मैदा नहीं बनेगा तो ऐसा कौनसा अकलमंद व्यापारी है जो १७ रुपये मन या १८ रु० मन के भाव से गेहूँ खरीदेगा ? यह बड़े दुःख की बात है कि अपने आपको आम जनता की कहने वाली सरकार का यह रवैया है।

यह तो हुआ विशेष बात का जिक्र, और भी बहुत सी बातों का इसमें जिक्र है। लेकिन मैं तफसील में कुछ बातों का ही जिक्र करूँगा। कहा गया है कि हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सुधार हुआ है। यदि आंकड़े देखे जाँय तो मालूम होगा कि डिपार्टमेंट का ८०-८२ प्रतिशत पैसा अफसरों आदि की तनख्वाह आदि में चला जाता है। दवाइयों के लिये तो केवल २०-२२ प्रतिशत रुपया बचता है। महकमा सुशोभित तो हुआ लेकिन आम जनता को बचाने के काबिल नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

I hope you will permit me to say a few words.

श्री अध्यक्ष—You have taken at least 25 minutes. You can take 2 or 3 minutes more.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं यह जिक्र कर रहा था कि अन्त में राजप्रमुख ने अपने भाषण में परिस्थितियों का एक सारांश निकाला है कि हमारी आर्थिक हालत सुधर गई है, लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत पहले से अच्छी हो गई है और भविष्य में और भी अच्छी हो जायगी और इस भाषण में यह कहा गया है कि इस विधान सभा के इस साल में सेल्स टेक्स जैसे बिल आयेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कौनसी नयी आमदनी हुई है ? दिल्ली से शायद पैसा मिला होगा। क्या राजस्थान में खानों की उन्नति हुई है ? क्या यहाँ पर खेती में तरक्की हुई है ? क्या राजस्थान की जनता की आमदनी बढ़ गई है ? क्या सरकार के पास पैसे की कमी पूरी हो गई है, इसलिये सेल्स टेक्स लगाया गया है और वह भी मल्टी टेक्स, एक मुँह का नहीं, रावण की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तरह १० मुँह वाला; जिसमें जितनी बार एक चीज बिकेगी उतनी ही बार उस पर टेक्स लगेगा। यहाँ पर सेल्स टेक्स साढ़े सात हजार की आमदनी वाले पर भी लगाया जायगा जब कि बम्बई आदि स्थानों में ३०-४० हजार या इससे ऊपर की आमदनी वालों पर लगाया जाता है। यही यदि आपकी उन्नति या तरक्की का नमूना है तो मैं यह कहूँगा कि यह तरक्की मुबारक हो राजप्रमुख को। अभी मेरे मित्र गोपीलाल जी ने आँकड़ों की मिसाल दी थी। लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करूँगा मेरे मित्रों का वास्तविक हालत की तरफ। वे पढ़ें खुद अपनी पार्टी के विधान सभा के सदस्य श्री हजारीलाल जी द्वारा संचालित पत्र राष्ट्रदूत में छपी खबर को। उसमें छपा है कि जोधपुर में दो महीनों में पचास मकानों के ताले टूटे हैं, चार-पाँच खून हुए हैं? एक डाक्टर को उठा कर ले गये हैं जिसका आज तक पता नहीं लग पाया है। यह लॉ एण्ड ओर्डर है आपका। दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। आदमियों को उठाकर ले जाते हैं, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। केवल गणित के पर्सेंटेजेज़ से काम नहीं चलेगा। एक नदी है जिसके किनारों पर तो शायद ४-६ इंच ही पानी मिले, औसत गहराई ३ फीट ही हो लेकिन जब बीच में जायेंगे तो १०-१२ फीट पानी मिलेगा और सम्भव है कि आप उसमें डूब जाँय। आम जनता के हित में इससे बढ़ कर क्या बात हो सकती है कि बेरोजगारी, परेशानियाँ, नये-नये टेक्स और लगातार पुलिस के डंडे और फिर मन्त्री लोग कहेंगे कि यदि आप मुँह खोलोगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जायगा। मैं इन सब बातों का विरोध करता हूँ और इस आवाज के रूप में विरोध करता हूँ राजप्रमुख के भाषण का और उन लोगों का जो यह कहते हैं कि राजप्रमुख को धन्यवाद दिया जाय।

(श्री शम्भूसिंह—बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Members of this House want, we can hear you also.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—No.

श्री अध्यक्ष—We now adjourn for tomorrow at 8-30 A. M.

(सभा की बैठक १२-३० बजे मंगलवार दिनांक ९ मार्च, १९५४, को प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—८ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७ देखिये)

(क) स्टेटमेन्ट नीचे दिया है ।

(ख) खमनोर तहसील में भी इस वर्ष जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्न लिखित ८ प्राइमरी स्कूल अन्य तहसीलों के समान ही खोले गये हैं :

१. शिशोदा—२.	१९५०–५१ में
२. कुन्तवास	१९५३–५४ में
३. काटारा	,, ,,
४. शिशोदा	,, ,,
५. सिहाद	,, ,,
६. सेमल	,, ,,
७. सिसवी	,, ,,
८. करौलो	,, ,,

तहसील	सन् १९५०–५१.	५१–५२.	५३–५४	ग्राम पंचायत
भीम	डावर	—	शेखावास भगत खेड़ा	—
देवगढ़	कंडवा	—	अंजना लसाड़ी	पारली गौरवा
आमेट	—	—	कंकरमाल अगरिया सेलागुडा	—
कुम्भलगढ़	जीलवाड़ा	—	समीचा खरोता घोटा ओडा ओलादर	—
राजसमन्द	तासोल	—	—	पड़ासली बोरज
रेलमगरा	पचावता	—	कनेदिया	सिंद सरकलां
खामनौर	शीशोदा	सिसरी कूटवास	कंटवास केटर सीसोदा सिहाद सेमल शिशवी करोली	—

तहसील	सन् १९५०-५१.	५१-५२.	५३-५४	ग्राम पंचायत
उदयपुर	रामा	—	—	थर
गिर्वा	थामला			सिसेवी
	दारोली			बल्ली
	चिरवा			ईसवाल
	उदयपुर-५			डांगियो का गुडा
	सारू			
सालूम्बर	सेथरदा	इंटाली खेड़ा	ब्रासी	झालारा
	सेजा	खेराद		जैठाना
	गिंगला			डाल
				करौली
शारदा	केजाड	—	पालसारदा	राठोदा
	झाडोल		बारन	टोकर
	सगटदा			
	सेवारी			
सेरवाड़ा	अडीवाली	छानी	हरसावर	सारोली
		देवपुर	कोजावारा	नया गांव
			उखेड़ी	बावल वाड़ा
भोपाल सागर	ताना	—	धनेटिया	कंकरवास
	आकराना		जीवाना	
			चारआदी	
मावली	सिंदू	—	कंखरवा	सकरोदा
			जावाड़	बड़गांव
			पलाना कलां	
वलभनगर	कंटवास	मीनार	—	चन्देसरा
	मौदी			लंडा
	ढींटा			पोमद
				छटांकट
				नारायण पुरा
लसादिया	—	—	—	खुंन
				खटा
				देवलिया
				पिपलिया सिहाद
				केरता

तहसील	सन् १६५०-५१.	५१-५२	५३-५४	ग्राम पंचायत
पलासिया	ओडा		झिल्झीवारा	गोराना
	कोलियारी		करेल	कथाना
	खानपुरा		खालोद	
	ओगना			
	गोराना			
सावरा	जसवन्त गढ़	—	—	तरपाल
	मानपुरा			बगरुंडा
				रेवलिया
				भोरवाल
कोटडा	मानपुर	—	मालिया	
			क्यारी	
			गोगरूंड के	
			बेकारिया	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८ देखिये)

तालाबों की सूची जो सन् १६४८–४६ व १६४६–५० में खुदाये गये।

१. बेपंचा क. मेंड़ता सीटी
२. देवराणी मेढ़ता सीटी
३. कात्थासनी
४. अरनियाला
५. गगराना
६. इजसास
७. लाम्बाजाटा
८. गोटन
६. डूबाणी
१०. समदोलाव
११. भवाल
१२. डागास
१३. क्वराला
१४. रैण
१५. चुवा
१६. बंवरला
१७ भवरिया
१८. जारोदा
१६. हिरनखुरी
२०. चावडिया
२१. मोरता
२२. कसरू
२३. फलोदी
२४. लाई
२५. निम्बोलाकलां
२६. दूबासरार मेड़ता सीटी
२७. जाखेड़ा
२८. आसवी सुमेर माँगलिया

Page No.79

तालाबों की सूची जो सन् १६५१-५२ व १६५२-५३ में खुदवाये गये।

१. प्याऊ आकेली ब.
२. जक्सावाद
३. नीम्बोलाकला
४. मोडरिया
५. पाडूखां
६. इडवा
७. शालपुरा
८. लंगोड़
६. आकेली ब.
१०. साँजू
११. मेड़तारोड़
१२. हरसोर
१३. जावली
१४. सारसंडा
१५. बडायली
१६. रैन
१७. कुण्डल मेड़ता सीटी
१८. मण्डावरा
१६. डेगाना
२०. ओलादण
२१. डाबराणी
२२. राणास
२३. राजोद
२४. छापरी खुर्द
२५. आंतरोली
२६. नोखां
२७. शिव
२८. पालियास
२६. माजी
३०. बामणता
३१. गुणसली
३२. सीरासना
३३. कुरड़ाया
३४. रायसरी
३५. मेवड़ा
३६. बगड
३७. कवरिपाट
३८. डूमाणी
३६. डोटोलाई
४०. मेडता सीटी बेपना
४१. रलियावता
४२. मूधानाडी
४३. भंवाल
४४. दूगोर
४५. दूदासागर मेड़ता
४६. मेगाडन्ड
४७. पून्दलोता
४८. गोरेडी चाचा
५०. लाई
५१. मोटूस
५२. कात्यासनी
५३. सुरपुरा